According to a spokesman of the Potato Research Centre of the Government of India, during the past three decades, the production of Potatoes in India had grown seven-fold. In acreage, the country occupies the fourth place, while in the field of production, its is the sixth among the ptoato producing countries in the world

10% of the potatoes produced in India are now surplus while another 10% are wasted due to lack of preservation facilities in cold storages.

A representative of the Centre visited West Asia and Europe last year when it was found that the demand for Indian potatoes in some of the countries was good.

The production of potatoes in the country is on the regular increase. But the producers are not getting even the cost of production due to the fact of its being surplus.

If the number of cold storages can be increased to prevent wastage and potatoes are exported, there will be no difficulty for the country to earn about Rs. 100 crores (Rupees one hundred crores) in foreign exchange and there will also be no dearth of this main food item in the domestic market.)

I, therefore, urge upon the Government to take care of the pitiable condition of the potato-growers of the country by making arrangement for the export of the surplus produce which will also help the country in earning about Rs. 100 crores of foreign exchange yearly.

(viii) GROUNDING OF INDIAN AIRLINES PLANE ON 2-4-1982.

SHRIMATI KRISHNA SAHI (Begusarai) : The Indian Airlines flight No. 409 Delhi-Lucknow-Patna left Delhi on 2nd April, 1982 at 7 a.m. and landed at Lucknow at 7.45 a.m.) The flight was grounded due to burst of a piece of its tyres. The passengers who were boarded in the aforesaid flight were forced to be stranded helplessly for a number of hours. Two M.P.s and other passengers who were scheduled to catch the Kathmandu flight from Patna were in bewilderment. There was no provision for replacing the tyre of the plane at Lucknow. Again on 24th of March, 1982, Indian Airlines plane coming from Gauhati was detained at Patna for the whole nigh because the cockpit window was not getting closed. There were neither proper security arrangements nor the control tower was being looked after by any competent authority. This is very unfortunate. No attention for remedial measures are being taken in the matter in spite of the fact that hon. Members have drawn the attention of the Minister on the floor of the House.

(ix) REPORTED IMPRISONMENT OF INDIAN NATIONAL IN PAKISTAN.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान में दस भारतीय नागरिक जिनमें एक महिला भी सम्मिलित है पिछले 8 सालों से बिना मुकदमा चलाये जेल में बन्द हैं। कैद के दौरान लोगों की आंखों की रोशनी चली गयी है। इन लोगों ने अपनी रिहाई के लिये तथा मानवीय आधार पर स्वदेश प्रत्यावर्तन के लिये सिन्ध की प्रान्तीय सरकार तथा एमनेस्टी इण्टरनेशनल को प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। पाकिस्तान के एक समाचार पत्र के अनुसार उक्त दस भारतीय नागरिक अपने सम्बन्धियों से मिलने के लिये पाकिस्तान में वैध रूप से प्रवेश किये थे किन्तु बिना किसी कारण के उन्हें जेल में डाल दिया गया है। उन पर न तो कभी मुकदमा चलाया गया और न ही उन्हें उनका कोई अपराध बताया गया है। जिन लोगों को जेल में रखा गया है उनके नाम मोहम्मद चम्बीका, श्री हरिनाथ, श्री श्योराम, हैदर, शंकरू, शफी, बाबूराम, पीरू, रामा और श्रीमति वदामी। इन में से अन्तिम छः की नेत्र ज्योति चली गयी है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि पाकिस्तान की जेल में बन्द इन भारतीयों की तत्काल रिहाई के प्रयास कर मुक्त कराया जावे।

13.58 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS, 1982-83—*Contd.*

MINISTRY OF LABOUR—*Contd.*

MR. DEPUTY SPEAKER : We have already exhausted about half an hour. The balance is 3 hours 34 minutes. The Deputy Minister will intervene at about 2z30 or 3 p. m. and the Minister will reply at 4.30 p.m.

Now I call upon Shri Bindeshwari Dubey to continue his speech.

13.59 hrs.

(SHRI SOMNATH CHATTERJEE *in the Chair*).

श्री बिन्देश्वरी दुबे (गिरिडीह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग की अनुदानों की मांगों के समर्थन में परसों बोलते हुए मैंने औद्योगिक सम्बन्धों में अधिकाधिक सुधार के सम्बन्ध में बहुत सारे सुझाव दिये थे ।

औद्योगिक सम्बन्धों का मधुर होना, मजदूरों और उद्योग दोनों के लिए हितकर है । औद्योगिक शांति का रहना उत्पादन और उत्पादकता के लिए बहुत आवश्यक है । इसके लिए इस बात की आवश्यकता है कि श्रमिकों को विश्वास में लिया जाए ।

14.00 hrs.

इन्दिरा जी ने इस वर्ष को उत्पादकता वर्ष के रूप में मनाने का आह्वान किया है और उसकी सफलता के लिए भी यह आवश्यक है कि श्रमिकों को विश्वास में लिया जाए । उसके लिए इस बात की जरूरत है कि शाप लेवल, फ्लोर लेवल से लेकर इंडस्ट्रियल लेवल और नेशनल लेवल तक विचार-विमर्श की एक प्रक्रिया जारी की जाए । नेशनल लेवल पर जितनी द्विपक्षीय समितियां पहले बनी थीं करीब-करीब मृतप्राय हो गई हैं । उनको पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्गठित किया जाए । साथ ही साथ श्रम विभाग जो द्विपक्षीय वार्ता समितियां हैं, खास तौर पर वेज फिक्सेशन के लिए द्विपक्षीय वार्ता समितियां हैं विभिन्न उद्योगों में, उन पर भी नगर रखे । वह यह मानकर न चले कि सिर्फ उन्हीं उद्योगों या एंप्लायिंग मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी है, बल्कि श्रम विभाग की भी बहुत बड़ी भूमिका है और उनका कंसर्न है, क्योंकि जो बातचीत हो रही है अगर विफल हो जाती है तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जो औद्योगिक अशांति होती है तो फिर भी श्रम विभाग को तो बीच में आना ही पड़ता है ।

सभापति महोदय, इस वर्ष बहुत सारे विभिन्न उद्योगों में खासकर कोयला, स्टील, भेल, एच० ई० सी०, फर्टीलाइजर्स आदि के प्रतिष्ठानों में जो चार-साला समझौते हुए थे श्रमिकों के साथ, वे सब समाप्त होने जा रहे है और अभी से ही वैसे तत्व जो चाहते हैं कि औद्योगिक संबंधों में बिगाड़ आए, जो औद्योगिक क्षेत्रों में अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, वे इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर अपनी दुर्भिसंधि को पूरा कर सकें और उनके लिए ज्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइसेस ने मौका देना शुरू भी कर दिया है । ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइसेस एकल एक्सपर्ट कमेटी है । मैं समझता हूं कि वेज फिक्सेशन के मामलों में और ऐसे दूसरे मामलों में, जिनका संबंध औद्योगिक संबंधों से है, उसके बारे में श्रम विभाग को एक्सपर्टीज अपनी बनानी चाहिए और उनको एक्सपर्ट एसिस्टेंट देनी चाहिए । वह एक बहुत बड़ी सर्विस आर्गेनाइजेशन, एक सर्विस विभाग है, औद्योगिक शांति कायम रखने की दिशा में । जो लोग जन-असंतोष को भड़का कर औद्योगिक संबंधों में आग लगाना चाहते हैं, उनके लिए ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइसे कमेटी ने होम देना शुरू कर दिया है । अभी बातचीत शुरू नहीं हुई, उससे पहले ही उन्होंने कुछ अपनी गाइड-लाइंस देना शुरू कर दिया है और उन गाइड-लाइन्स को हथियार बनाकर पब्लिक सेक्टर मेनेजमेंट वालों ने भांजना शुरू कर दिया है, पहले वे ही भांजना शुरू कर दिया है, श्रद्रमकों और श्रमिक-संगठनों को भयभीत करना शुरू कर दिया है और उसका नतीजा बुरा होने वाला है । मैं इसकी तफशील में न जाकर इतना ही कहना चाहता हूं कि श्रम-विभाग इस ओर ध्यान दे

[श्री बिन्देश्वरी दुबे]

जसा कि मैंने परसों कहा था कि अग्नि-शामक की तरह आप नहीं हैं, आपको उसके लिए पहले से विचार करना चाहिए, सारे एंप्लायिंग मिनिस्ट्रीज के लोगों को इकट्ठा करके और जो गाइड-लाइन्स बी० पी० ई० ने दिए हैं, वे गाइड-लाइन्स महत्वपूर्ण मंत्रालयों से परामर्श करके दिए हैं या नहीं, आपसे परामर्श करके दिए हैं या नहीं, इसको आप देखें और उसके लिए दिशा-निर्देश दें ।

सभापति महोदय, एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति, खतरनाक स्थिति औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में पैदा हो रही है और वह है अपने आपको स्वयंभू श्रमिक नेता कहने वाले नेताओं की तरफ से जो अपने पर्सनल एंबीशन को फुल-फिल करने के लिए सारे कानून और मर्यादाएं, नार्म्स और तरीकों को लांघकर मजदूर क्षेत्रों में मनमाने ढंग से अपनी मांगों को उठाकर हिंसा और आतंक के जरिए औद्योगिक संबंधों को बिगाड़ने और औद्योगिक अशांति पैदा करना चाहते हैं । 19 तारीख को तो जो घटना हुई सो हुई, लेकिन 20 तारीख की बात मैं आपको बताना चाहता हूं । बी० सी० सी० एल० की भौरा कोलियरी में भी 19 तारीख को तो सब मजदूर काम पर गए । 20 तारीख को दो युवा श्रमिकों की जो इंटक यूनियन में पदाधिकारी भी हैं श्री बिमल आचार्य और श्री बिष्टु बनर्जी, इन दोनों को रात में घेर कर हत्या कर दी गई, क्योंकि इन्होंने 19 तारीख को लोगों को काम पर ले जाने के लिए सक्रिय भूमिका अदा की । यह कौन सा जनतंत्र है ?. जनतंत्र की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं, जो ऐसा कहते हैं, एसमा जनतंत्र पर बड़ा आघात पहुंचा रहा है, उसके लिए हड़ताल का काल दिया, पर यह तो लोगों की इच्छा है कि वे अगर काम पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं । और फिर काम पर जाने वालों की, जहां उनकी शक्ति है, वहां लोगों की हत्या करते हैं । इस तरह की बातें करते हैं ।

दूसरी मिसाल यह है कि आज बाम्बे काटन टेक्सटाइल मिल्स की जहां हड़ताल चल रही है एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि जहां पर भी किसी इंडस्ट्री में कोई ऐग्रीमेंट हो जाता है रिकग्नाइज्ड यूनियन के साथ, तो उस ऐग्रीमेंट की अवधि में कोई उस मांग को नहीं उठाता । आज जो हुआ, क्या हुआ ? बाम्बे टैक्सटाइल मिल आनर्स एसोसियेशन और राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ में बोनस के इश्यू पर एक ऐग्रीमेंट है 8.33 परसेंट से साढ़े 17½ परसेंट तक का । वहां दत्ता सामन्त 20 परसेंट की मांग करते हैं बोनस की कल को 50 परसेंट की मांग भी कर सकते हैं । उन्होंने उस अवधि में ही फिर हड़ताल करवाई आंतक पैदा कर के, हिंसा के बल पर । इस तरह मजदूर सम्बन्धों के क्षेत्र में जो नये ट्रेंड और नई प्रवृत्ति पैदा हो रही हैं, इसकी ओर भी सरकार को सोचना होगा । अगर इसको आइसोलेटेड केस समझकर छोड़ देंगे तो इसके भंयकर परिणाम होने वाले हैं ।

इस तरह की हिंसक और आंतक की कार्यवाहियों के बल पर, मजदूर क्षेत्र में दबाव के बल पर, सारे नार्म्स सिद्धांत, कन्वैंशन्स, कानून की मर्यादाओं का उल्लंघन कर के जो मजदूर आन्दोलन चलायें, उसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिये ।

सरकार ने काटन टक्सटाइल के सम्बन्ध में जो रूख अख्त्यार किया है, मैं उस रुख का न सिर्फ समर्थन करता हूं, बल्कि सरकार को बधाई देना चाहता हूं । अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इस देश में को औद्योगिक संबंध नाम की चीज नहीं

जायेगी फिर जिसकी लाठी उसकी भस होगी ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो बहुत सारे कानून पुराने पड़ गये हैं, इन-इफैक्टिव हो गये हैं, उनमें संशोधन कर के इफैक्टिव बनायें और औद्योगिक सम्बन्धों को बनाने में अपनी सफल भूमिका अदा करें धन्यवाद ।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : चेयरमन साहब, लेबर मिनिस्ट्री की डिमांडज जो यहां पेश की गई हैं, उनके बारे में अपना वक्तव्य रखने का मुझे मौका मिला है । जहां तक इस मिनिस्ट्री का ताल्लुक है और गवर्नमेंट आफ इंडिया की जो पालिसी है, इसका पूरा सबूत इससे मिलता है कि वे क्या चाहते हैं ?

आज से नहीं, 32, 35 बरस से हम देखते आ रहे हैं कि इस मिनिस्ट्री का फंक्शन जिस तरह से हो रहा है वह बिल्कुल मजदूर विरोधी है । जहां जनतंत्र कायम करने के लिए उनकी हर तरह से अवहेलना होती रही है, होती है और आगे भी होगी । इस मिनिस्ट्री का स्टेटस यह है कि यह न तो कबिनेट में है, न कोई मिनिस्ट्री इनकी रिकमैंडेशन को मानती है, न कोई स्टेट गवर्नमेंट मानती है । वैसे भी यह मिनिस्ट्री फिजूल पैसा खर्च करती है । मैं यह बताना चाहता हूं कि सबसे पहले गवर्नमेंट सबसे बड़ा ऐम्प्लायर है पब्लिक सैक्टर का । उसको एग्जाम्पिल सैट करना चाहिये । मगर आज क्या हो रहा है । पब्लिक सैक्टर में सबसे ज्यादा मजदूर काम करते हैं, वहां पर अन-फेयर लेबर प्रैक्टिस चलती हैं और लेबर मिनिस्ट्री बैठी चुपचाप देखती रहती है ।

मैं एक एग्जापिल देना चाहता हूं । आप जानते हैं कि कोंट्रेक्ट एबोलिशन एक्ट पास किया गया । कांट्रेक्ट लेबर नहीं रहेगी । कांट्रेक्ट लेबर से परमानेन्ट नेचर का काम नहीं लिया जायेगा मगर क्या हो रहा है ? वहां पर नाम, के वास्ते इसे हटा दिया है लेकिन वहां पर कांट्रेक्ट लेबर से ही ज्यादा काम लेते हैं । कांट्रेक्टर मुकर्रर कर दिये हैं और करीब-करीब सब जगह आम तौर से यह चीज चल रही है, कोलियेरी में भी चलाया जा रहा है । जहां का जिक्र मेरे मित्र ने किया है, वहां सबसे ज्यादा यह हो रहा है । बोकारो में और तमाम जगहों में यह हो रहा है । यह कांट्रेक्ट लेबर फलां काम के लिए है, इस तरह से कर के हजारों-हजार आदमी काम कर रहे हैं, पब्लिक सैक्टर में आमतौर से यह चीज छा गई है । लेबर मिनिस्ट्री ने मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कभी भी इन्टरवेन्शन नहीं किया है । इस बारे में यह मिनिस्ट्री बिल्कुल हैल्पलैस है । उसने बंगलौर की घटनाओं में कोई इन्टरवेन्शन नहीं किया । यह तय किया गया था कि बी०एच०ई० एल०में जो एग्रीमेंट होगा, उसके मुताबिक मिलेगा । लेकिन कनसर्न्ड मिनिस्ट्री ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया और लेबर मिनिस्ट्री भी चुपचाप बैठी रही । करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ । कम्युनिकेशन्ज मिनिस्टर वहां गए और उन्होंने मामले को और भी उलझा दिया । वहां पर बड़ी भारी स्ट्रगल हुई । ऐसा मालूम होता है कि लेबर मिनिस्ट्री का कोई फंक्शन ही नहीं है । यह मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज भी हमेशा लेबर पर सब तरह के इल्जामात लगाती हैं ।

मैं आज से नहीं बारह चौदह बरसों से उस कमेटी का मेम्बर हूं । मैंने कई

[श्री मोहम्मद इस्माइल]

सवालात उठाए और कई सालूशन पेश किए, लेकिन मैं एक भी मसले को हल नहीं कर पाया । कई मिनिस्टर बदले हैं। अब आनरेलबल मिनिस्टर आजाद साहब आए हैं। बातें तो सब अच्छी करते हैं, लेकिन सब हैल्पलेस साबित होते हैं। वह कहते हैं कि हम कनसर्न्ड मिनिस्ट्री से पूछते हैं, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। स्टेट्स में छः छः महीने तक स्ट्राइक चलती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्शन लेने में नाकामयाब रहती है। हम कमेटी में सवाल उठाते हैं कि उत्पादन नहीं हो रहा है, वर्कर्ज का हैरासमेंट हो रहा है, सरकार को इन्टरवीन करना चाहिये। हमें बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जवाब नहीं देती हैं, हम क्या करें।

जहां तक सिक इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, सब इल्जाम मजदूरों पर लगते हैं कि वे इनडिसिप्लिन्ड हैं, काम नहीं करते हैं। मजदूरों ने जो कुछ भी हासिल किया है, वह लड़ कर और मालिक को मजबूर कर के लिया है। इस मिनिस्ट्री का इतिहास है कि उसने कभी भी मजदूरों के पक्ष में इन्टरवीन नहीं किया है। वर्कर्ज पर सब से पहले इल्जाम लगाने वाले मिनिस्टर ही होते हैं। 19 जनवरी के बन्द के बारे में कहा गया कि वह फैल हो गया, उसका कोई एफैक्ट नहीं हुआ है। इकानोमिक सर्वे में बताया गया है कि वर्कर्ज की इनडिसिप्लिन की वहज से उत्पादन कम हुआ है। होता यह है कि मिल-मालिक बैंकों, एल०आई०सी० और फिनांस कारपोरेशन से रुपया लेते हैं, मजदूरों को कुछ नहीं देते और कारखाने की हालत को खराब कर के, उसे सिक बना कर, भाग जाते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसे खुलवाने की पावर नहीं है। कनसर्न्ड मिनिस्ट्री चुपचाप बैठी रहती है, इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसिज चलती रहती है, और सब इल्जामात वर्कर्ज पर लगाए जाते हैं। मैं उन इल्जामात का प्रतिवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वे बिल्कुल गलत हैं। यह तारीका ठीक नहीं है।

जहां तक इनडैक्स का ताल्लुक है, रथ कमेटी ने दो बरस पहले बताया था कि 7 पायंट का फर्क है। लेकिन लेबर मिनिस्ट्री अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकी है। हर मजदूर का कम से कम 9, 10 रु० महीने का नुकसान हो रहा है। मगर लेबर मिनस्ट्री ने कोई इंटरवेंशन नहीं किया कि आखिर रथ कमेटी ने जो रिकमन्डेशन्स की उनका इमप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ। इस तरह से हैल्पलेस हालत में वर्कर्ज को छोड़ दिया गया है। 7 पायंट पर उनके 9, 10 रु० होते हैं जो मजदूरों को मिलने चाहिए। लेकिन उनको नहीं मिल रहे हैं। दो वर्ष से यह मामला चल रहा है। उल्टे इल्जाम आप मजदूरों पर लगाते हैं कि वह इंडिसिप्लिण्ड हैं। मेरा कहना है कि मजदूर नहीं बल्कि सरकार और लेबर मिनिस्ट्री इंडिसिप्लिन्ड है।

प्राइस इंडेक्स जिस तरह से बढ़ रहा है आप देख ही रहे हैं। इसके साथ साथ और भी सवाल खड़े कर दिये गये हैं। 3 इंस्टालमेंट्स जो ड्यू हो गये थे उनका पैसा मजदूरों को नकद न दे कर उनके प्रोवीडेंट फंड में जमा करा रहे हैं। इससे मजदूरों को क्या लाभ मिलेगा? मैं इस का प्रतिवाद करता हूं।

ई० एस० आई० प्रोवीडेंट फंड का जहां तक मामला है उस रुपये से मालिक अपना

निजी कारोबार कर रहे हैं । मजदूरों से पैसा लेने के बाद उसको उनके फंड में जमा नहीं करते । इसको रोकने के लिए भी मिनिस्ट्री कोई स्टेप नहीं ले पा रही है । हालत यह है कि मालिकान मजदूरों से कहते हैं धमकी दे कर कि तुम्हारा इतना पैसा काट लिया है जो चाहो करो । एक करोड़ रु० बेनी इंजीनियरिंग, वैस्ट बंगाल ने मजदूरों के प्रोवीडेंट फंड में जमा नहीं किया । उल्टे उसको खा कर मालिक भाग गया है । लेबर मिनिस्ट्री को कुछ तो करना चाहिए । लेकिन आपने कोई इन्टरवेंशन नहीं किया । कोई हिसाब नहीं देते, आखिर 14, 15 करोड़ रु० जो मजदूरों का प्रोवीडेंट फंड का मालिकान खाये बैठे हैं वह कैसे वसूल होगा ? आपने जो कानून में जो तरमीम भी की है वह चल रहा है कि नहीं, इसका कोई पता लगाने वाला नहीं है ।

जहां तक कांट्रेक्ट लेबर का सवाल है उसके नियमों को भी पालन कोई नहीं कर रहा है । उस पर कोई पाबन्दी नहीं है । सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकल आफिसर्स जो हैं उन्हें कोई पावर्स नहीं है जो स्टेप ले सकें । रूलिंग पार्टी के मेम्बरान कहते हैं कि मजदूर इंडिसिप्लिण्ड हैं । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लेबर लीडर्स काम करते हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्या करते हैं ? आप गाली ही देना जानते हैं । आखिर मजदूरों का पैसा किस ने मारा ? उसको निकलवाने के लिए मिनिस्ट्री कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाती ? कांट्रेक्ट लेबर कानून क्यों नहीं अमल में आ रहा है ? इसकी जिम्मेदारी किस पर है ?

इसी तरह से संगठन के बारे में आप देखें । सब ट्रेड यूनियन्स, की सेंट्रल आर्गेनाइजेशन्ज की लेबर कानफरेंस बुलाये जाने की एक प्रैक्टिस थी जिसमें मसले तय होते थे । लेकिन वह प्रैक्टिस भी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है । एक भी मीटिंग नहीं बुलायी गई सेंट्रल आर्गेनाइजेसन्स की । अगर कैजुअली बुलाई भी तो सैक्रेटरी को कह दिया, उसने बुला ली और वहीं पर मामला खत्म हो गया । अगर इस तरह से आप काम करेंगे तो अशांति चलती रहेगी ।

इस वर्ष का आपने प्रोडक्शन बढ़ाने का साल कहा है । मेरी राय में आपने निमंत्रण दिया है मजदूरों को कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करें । इसी तरह से स्टील में ऐग्रीमेंट खत्म हो गया । एक पैरलल मिनिस्ट्री आपने बी० पी० ई० के रूप में खड़ी कर दी है । ब्यूरो आफ़ पब्लिक अण्डरटेकिंग का क्या काम है ? मिनिस्ट्री का जो काम होना चाहिए वही काम है । पैरेलल मिनिस्ट्री चल रही है । इन्स्ट्रक्शन्ज दे दिए गए हैं, गाइडलाइन्ज दे दी गई हैं—इस तरह से कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा ? इस साल को आप ने प्रोडक्शन ईयर घोषित किया है । उन का एग्रीमेण्ट खत्म हो गया है । पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज के लोग अब हड़ताल पर जायेंगे या प्रतिवाद करेंगे, तो इंडिस्प्लिन होगा—ऐसी हालत में प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकता है ? जितने लड़ाई और झगड़े होते हैं सब इसी की बजह से होते हैं । पब्लिक अण्डरटेकिंग्ज में जो मैनेजमेण्ट काम कर रहा है वह भी हैल्पलेस है, फ़ैंकली नैगोसियेशन नहीं कर सकता है । गाइडेंस चाहते हैं, पहले सीक्रेट थी अब ओपन हो गया है ।

अन-एम्प्लायमेण्ट का जहां तक सवाल है, कहा जाता है कि अन-एम्प्लायमेण्ट हो रहा है । हर घर के एक-एक आदमी को काम

दिया जायगा और दूसरी तरफ कारखानों में आटोमेटिक मशीनें आ रही हैं और साथ ही छंटाई हो रही है। डाक-यार्ड में हजारों-हजार आदमी काम करते हैं। वहां पर कन्टेनर सिस्टम कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह अन-एम्प्लायमेण्ट का खत्म करने का तरीका है ? आप के रिकार्ड के मुताबिक एक करोड़ 30 लाख आदमी अन-एम्पलायमेण्ट में बढ़ गया है। अन-एम्पलायमेण्ट को दूर करने के लिए आप के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि इस को दूर करने के लिए काम दिया जायगा और दूसरी तरफ आटोमेटिक मशीनें लाई जा रही हैं। नारा यह दिया जाता है कि काम दिया जायगा। जहां एक हजार आदमी काम करते हैं, वहां मशीनें ला कर पांच सौ आदमी भी काम नहीं पाते हैं। कहा जाता है कि बीस प्वाइंट प्रोग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत मदद की जाएगी। आज यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। फलां कानून बनाया जा रहा है, यह कानून बनाया जा रहा है, वह कानून बनाया जा रहा है, सब कुछ काम किए जा रहे हैं, लेकिन जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। इलैक्ट्रिसिटी नहीं, मैटीरियल नहीं कोयला नहीं है, तो प्रोडक्शन कहां से होगा। क्या सारा कसूर वर्कर्स का है ?, कहा जाता है कि प्रोडक्शन बढ़ाओ सामान दिया नहीं जाता है, तो क्या यह मजाक नहीं है। कहते हैं मुल्क का पीछे घसीटने की बात करते हैं, तो क्या इस तरह से मुल्क को आगे बढ़ाया जा सकता है।

जहां तक बम्बई का मामला है, बम्बई का मामला क्यों अटका है ? आपका लेबर लीडर है, तुम्हारी वहां यूनियन थी रिकाग्नाइज्ड थी, जो आई०एन०टी०यू०सी० के नाम पर बरसों से चल रही थी एग्रीमेंट किया, ... मगर उपाय नहीं कर रहे हैं। वहां क्या स्टैंड लिया ? रिकगनाइज्ड यूनियन के साथ एग्रीमेंट किया, लिहाजा वर्कर्स को गुस्सा आ गया और स्ट्राइक हो गई, इतने दिनों से वहां स्ट्राइक चल रही है और आप नखरेबाजी कर रहे हैं। 4 करोड़ रुपये रोज का नुकसान हो रहा है, 300 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। यह नुकसान कौन कर रहा है ? कहते हैं—वर्कर्स कर रहे हैं ? क्यों कर रहे हैं ? आप क्या कर रहे हैं ?. लेबर मिनिस्ट्री अपनी हैल्पलेसनेस दिखला रही है, अखबारों में दे दिया कि सरण्डर कीजिये। इंदिराजी के पास भी वे लोग आये, एम्प्लायर्स ने भी कोशिश की, हमारे यहां के दो चार एम०पीज ने भी कोशिश की, लेकिन वहां पर इनकी कुछ नहीं चलती है। मैं पूछता हूं—वहां दत्ता सामन्त कैसे आया ? आप बुला कर लाये हैं, आप की पालिसी लाई है। मजदूरों की मांगें जायज हैं, उनका फैसला कराओ। 70 दिनों में 300 करोड़ रुपया चला गया—कौन रेस्पोंसिबिल है ? वर्कर्स रेस्पोंसिबिल नहीं हैं, आप रेस्पोंसिबिल हैं, आप की गवर्नमेंट है, आप की पालिसीज हैं—वे रेस्पोंसिबिल हैं। हिन्दुस्तान भर में हजारों-हजार कारखाने बन्द हैं उनको खुलवाने की कोई कोशिश नहीं है। यदि आप इन्टरवीन नहीं करेंगे तो कैसे प्रोडक्शन होगा ? आपने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं—इस तरह से कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, आप कोल सप्लाई नहीं कर सकेंगे, वेगन्ज सप्लाई नहीं कर सकेंगे, इलैक्ट्रीसिटी उनको नहीं मिलेगी, रा-मैटीरियल नहीं मिलेगा तो कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। आप कहते हैं कि तुम्हारा कुसूर है, वर्कर्स का कुसूर है। सारी रेस्पान्सिबिलिटी वर्कर्ज की है, लेकिन जो आप के इतने बड़े-बड़े आफिसर्ज बैठे हैं, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वे क्या करते हैं, उनका कोई फर्ज नहीं है। आप की ही एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो प्रोडक्शन नहीं होता है इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पावर नहीं है, कोल नहीं है... (**व्यवधान**)...

आज बीड़ी के लाखों लाख वर्कर्स का एक्स-प्लाएटेशन हो रहा है लेकिन लेबर मिनिस्ट्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई सेंट्रल बोर्ड बना दे जो आल इंडिया के बेसिज पर उनकी वेजेज को फिक्स कर सके। इस मिनिस्ट्री को एक तरह से तमाशा बना रखा है, इससे क्या फायदा है ? इस बारे में जो कमेटी है उसका मैं भी मेम्बर हूं और श्री एन० डी० तिवारी भी उसके मेम्बर थे। मेरे कहने का मतलब यही है कि वर्किंग क्लास के साथ मजाक हो रहा है—अब वर्कर्स इसक टालरेट नहीं करेंगे, फाइट करेंगे। आप की गलत पालिसीज का नतीजा है कि हम को ता० 19 को हड़ताल करनी पड़ी। जबसे हड़ताल का ऐलान हुआ था—कहां गया मारपीट होगी, ला एण्ड आर्डर को प्राबलम पैदा होगी लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर से लेकर कांग्रेस के मिनिस्टरों और चीफ मिनिस्टर्स तक ने कोशिश की कि हड़ताल कामयाब न हो लेकिन उसके साथ आम-सपोर्ट थी, इसलिये कामयाब हुई। इसलिये मैं कहना चाहता हूं वर्किंग क्लास की शक्ति को अब छोटा करके न देखें, अगर देखेंगे तो आप ही जल कर मर जायेंगे, हम नहीं मरेंगे।

SHRI A.T. PATIL (Kolaba): Sir, I support the demands presented to the House relating to the Ministry of Labour.

Sir, labour has assumed a very material and important position in the administration of the society not only in this country, but all over the world.

It is all over the world, except in Socialist States where the means of production are under the control of the State. It was said at the Trade Unions Conference the other day that there were no problems like disputes between management and labour in those countries, since the means of production were under the control of the State. (*Interruptions*)

As far as the rest of the world is concerned, the situation has assumed serious proportions. As per the facts stated in the Press, we find that there was a 24-hour strike in Italy, a revolving general strike region-wise in Belgium, a railway strike in Britain, the mobilization of Dutch workers against the Government's planned cut in health insurance, preparations for a general strike in Sweden and the strikes in France against wage cuts in connection with reduction in legal work week.

This is the position of the labour movement in the Western world. But there is also another contradictory position, which will be revealing, especially to our friends on the other side. And it is that the general strike in Portugal was a partial failure, in West Germany, the Steel miners have signed an agreement, giving them a wage rise lower than the rate of inflation, and in Britain, their miners have concluded a similar deal, against the advice of the left-wing union president, Mr Arthur Scargill. This is the position in respect of the labour movement all over the world.

I think we should take an overall view of this situation when we talk about labour conditions in this country. Reference has been made especially to Bombay or Maharashtra—to which I shall revert later on. But the labour conditions here, according to my estimates, are not very happy. Right from 1971 to 1981, if we look to the loss of man-days, we will find that in 1974, there was a maximum loss of 40.3 million days; and in 1979 again there was another big loss, viz. 43.85 million man-days. In 1980, the loss was 21.93 million man-days; and in 1981, 22.56 million man-days.

I am not referring to the various States in which maximum loss of man-days has been caused. The reference will be found in the Annual Report of this Ministry for 1981-82 which says that West Bengal—I have not to comment on that; but the situation is like that. I am not blaming anybody—there is the maximum loss of man-days, which comes to 75,40,173. The Report also says that it comes to 8.28 million days. There are two figures.

This is a social problem. It is not a party problem. I am not making it a party problem. It makes us very unhappy when we refer to all these things. What is happening in Maharashtra—or Bombay, particularly—for instance? For the last 80 days, 2.25 lakhs of workers in the textile industry are on strike. You may multiply 2.25 lakhs. man-days by 80, and calculance the man-days lost. Therefore, I am not making it a party problem. It is a social problem. Can we tolerate this? Can we suffer from it? Can we bear this situation? From that point of view, I may invite the attention of this House to this problem, the problem of Industrial unrest in the country.

[Shri A. T. Patil]

When we refer to the Report, we find that three courses have been given. The first cause is with regard to wages and allowances; the second cause is with regard to personnel and retrenchment and the third cause is with regard to indiscipline and violence. Taking all these causes together, although, they have been stated seperately, they go to the root and call for our attention to two main problems. The first problem is regarding the minimum wages. The second problem is regarding workers' participation in the management. There is also the third problem regarding labour philosophy. I am talking about this labour philosophy especially when a reference has been made to the Bombay problem; and a blame is sought to be put on the Government saying that Government is the root cause of all this trouble. A reference has been made under Rule 377 by the hon, member Shrimati Pramila Dandavate that the matter should be settled amicably without disrespect to the workers. I can concur with this view that it must be settled. It is very painful that the workers, labourers in the textile industry remained unemployed and lost their wages for 80 days. They had to sell their household utensils and articles to maintain themselves. But where is the root cause of it? On 10th March, 1982, a convention of the left parties had met in Nagpur. The leftists, both CPI and CPM had joined; and the sympathisers of the Communinst Party had also joined. I have not got the text of the resolution, but the report that appeared in the press speaks volumes about it. I refer to their philosophy. It says—when it speaks about this situation in Bombay—that there is a rise of peculiar type of leadership in labour field and it is described as "anarcho syndalist". The wording is like this: "anarcho syndalist". Now they find it reprehensible and think that this philosophy should not enter in labour movement, But to our great surprise though this has happened on 10th of March 1982, I found the next day, the 11th of March, 1982, that all parties including the leftists had joined the *morcha* to the Vidhan Sabha. BJP and other people did not join it. But these leftists who call this particular philosphy as 'anarcho syndalist" joined hands with those having that sort of philosophy or with that sort of leadership. (*Interruptions*). Is the Government to be blammed for this? Who is to be blamed for this? That is the problem? Therefore, I say, let us forget about your parties. It is a social problem. When we talk about these people, what is the percentage of the people you are talking about? (*Interruptions*) I can understand it very well. You can imagine that there shall be a justification, that there shall be an attempt to justify their act; every act will sought to the justified. It demands no logic. The chairman knows about it very well. He is a renowned lawyer. If he has been given one brief, he will argue for that brief. and if by coincidence brief of other side is given to him, he will equally, with all vehemence argue that brief.

MR. CHAIRMAN: This Chairman will not accept any brief of employers against employees.

SHRI A. T. PATIL: There is no justification for in terference with the workers. . . (*Interruptions*)

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah): It is the employeers who are interfering. (*Interruptions*)

SHRI A.T. PATIL: I fully appreciate the protest. I would have been surprised if there were no protest from that side. You have to protest, and unless you protest the Party workers cannot survive. These people, they are thriving on the miseries of the common man. (*Interruptions*) Still you do not pay attention. You do not make any single effort. or come forward to mitigate the miseries of the people.

MR. CHAIRMAN: Please complete. There is a large number of speakers, from your Party and we have to accommodate a large numbr of speakers.

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur). When will the Minister reply?

MR. CHAIRMAN: Let us see. Please conclude, Mr. Patil.

SHRI A T. PATIL: One point is about the National Wage Policy. We have not been able to. . . (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Make it the last point.

SHRI A. T. PATIL: We have not been able to achieve it give a Concrete shape to it. The Government has been saying that they are going to settle this National Wage Policy in the next tripartite consultations. The basic approch to the policy has been laid down from the beginning; at least the principles have been laid down. But unfortunately the failure give a concrete shape to it has created the biggest problem for settling the issues in respect of the labour movement. The Constitution speaks about it. I am not going to refer to the contents of it. All of you know it. The 15th Indian Labour Conference also spoke about it. Several Commissions spoke about it.

The Boothalingam Study Group also spoke about it. The Plan document, from time to time, had reiterated the policies and yet it has not taken a final or concrete shape. The Government has assured the House while replying to questions and in discussions, that this policy will take shape in the near future. I welcome it. But I will suggest few things about it. The first is about the minimum national wage. Now, the Government while replying has stated that perhaps that may not be possible, especially in the case of agricultural workers. My submission will be... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You give the points for his consideration.

SHRI A. T. PATIL: That is what I say. At least a minimum national wage should be fixed. We have got the recommendations be for us. You can take all these recommendations into consideration and the Government can arrive at a definite, concrete rational minimum wage connected with, linked with productivity. At least there should be a minimum wage.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Why not maximum?

SHRI A. T. PATIL: There is real trouble becasue they do not want to link productivity with labour. I am surprised to find... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not get diverted. Your time is wasted.

SHRI A. T. PATIL: I am surprised to find that hon. Membrs are talking of organised labour, they are almost talking of the ... (*Interruptions*)

Unionised labour in organised sector comes to about only seven million as against out of the total labour force of 236 millions. So, out of every 30 labourers or 30 workers, they are taking care of only one leaving 29 to wait.We have to take all those tweny nine plus one, thirty into consideration.

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

SHRI A. T. PATIL: Therefore, I will say, I submit that it is necessary that... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Discipline is the victim every time, on both sides.

SHRI A. T. PATIL: The national wage policy should be formulated.

MR. CHAIRMAN: You have taken more than 18 minutes. Please conclude now.

SHRI A. T. PATIL: I am concluding. I would like to draw the attention of the Minister to one point. Let us come together and arrive at one decision and that is about pegging strikes for a minimum period of five years.

*SHRI C. PALANIAPPAN (Salem): Mr. Chairman, Sir, on the Demands for Grants of the Ministry of Labour, I rise to say a few words on behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam.

In 1981 in the matter of man-days lost, Tamilnadu occupies the second place. During this year throughout India 22.56 million man-days were lost. In this, West Bengal occupies the pride of place with the loss of 8·28 million man-days and Tamilnadu comes second with the loss of 3·84 million man-days. This proves that there is widespread industrial unrest in Tamilnadu with the consequence of industrial stagnation. For this unhappy state of affairs, the policyless AIADMK Government is primarily responsible. The Central Government should render proper advice to the State Government of Tamil Nadu so that the situation is not allowed to go beyond control.

The Government of India had appointed a Committee to review the existing wage structure in the handloom industry and to suggest measures to bring uniformity. What has happened to the recommendations contained in this Report and when will they be implemented? Next to Agriculture, handloom industry provides the largest number of employment opportunities. The number of workers in the handloom industry is only next to the workers in Agriculture. The Government should ensure that proper wages are given to the workers in the handloom industry.

In January 1981 a Committee was set up to review the working of the Employees State Insurance Scheme hospitals with special reference to administration of medical benefits and improvements thereon. When is this report likely to be submitted? These hospitals and dispensaries extend medical benefits to 63·62 lakhs of workers in 421 centres spread throughout the country. The industrial establishments contribute money to the ESI scheme. As on 31-3-1981 the arrears of contribution from the Central Government's public undertakings are about Rs. 841 lakhs and from private sector undertakings the arrears are about Rs. 3,283 lakhs. With such huge sums in arrears, naturally the medical benefits to the workers will suffer. What steps the Government have taken to recover these arrears so that the medical facilities to the workers are expanded further? Under

*The Griginal speech was delivered in Tamil.

[Shri C. Palaniappan]

the law the Government can take action against the defaulters. I would like to know what steps the Government have taken against the defaulting public sector undertakings?

Similarly, as on 30-9-81 the arrears from the employers to the Employees Provident Fund are also of the order of Rs. 2819·95 lakhs. I need not say that the claims of many workers would have been held up for want of money. How many prosecutions have been launched against the defaulting employers? The hon. Minister should expedite the collection of these huge arrears.

In 1979 a Committee was constituted to study the problems of child labour in the country. This Committee had given 23 recommendations, out of which 22 recommendations have been accepted by the Government. It is stated that these recommendations have been published. Is that the implementation or they will be implemented for the welfare of the children in the country? India employes the largest number of children in the world. There is also the report of the central Advisory Board on child labour. I want to know when they will be implemented. In Sivakasi, which is known as the Little Japan, the largest number of children are employed in manufacturing match boxes, fireworks etc. They handle explosives by their hands. It is such hazardous job to put explosives by hand in the fireworks. Yet they do this job. It may not be possible for India to abolish child labour. Yet adequate steps should be taken to give protection to them from exploitation. In Beedi industry children are employed. In the shops of goldsmiths and silversmiths the children are employed. We should take steps to reduce the rigours of employment for these buds of humanity.

Coming to growing unemployment in the country, as on 31-12-1980 81·64 lakhs of applicants had registered themselves in the 660 Employment Exchanges in the country. The Government have accepted that unemployment increases by 12% annually. At this rate by 31-12-1981 this number would have gone up to 90 lakhs All of them are educated from matriculation to M.A. Besides this, the number of uneducated people registered with these Employment Exchanges as on 31-10-1981 is of the order of 174·24 lakhs. During January to October, 1981 the placement had been only 4·11 lakhs. You can imagine how long will they take to clear the backlog of unemployment. If this situation is allowed to continue, there will be volcanic eruption which will swallow all of us. Somehow, I was not convinced of the statistics given on page 20 of the Annual Report of the Ministry. As compared to 1979-80 when the inerease in employment in all the Central and State Government sectors was just 0·2%, in 1980-81 in all these sectors the increase went up by 2·6%. As compared to 0·4% increase in the employment opportunities in the private sector, the increase in 1980-81 was of the order of 2·6%. In both the Central and State Government sectors and also in the private sector the percentage of increase in employment opportunities in 1980-81 was 2·6. I wonder at the simultaneous achievement of such progress. We are always saying that the public sector is at the commanding heights of economy. Before I conclude, I would suggest that there should be 1 cess on the employees throughout the country so that unemployment allowances can be given to mitigate the misery of these people. We levy cess for the development of industries. A similar approach should be adopted here also so that we give succour to them to the possible extent.

With these words, I conclude my speech.

SHRI H.K.L. BHAGAT (East Delhi) : Mr. Chairman, Sir, while speaking on the Demands for Grants of the Ministry of Labour, I would like to make a few brief submissions.

It is true that there is need for increased production and that it is very much in the interests of the nation, in the interests of the workers, in the interests of everybody to raise production. It is a good thing that Government have taken up a positive attitude for increasing production, which is the need of the country. If we go by national considerations, I think none of us should have any objection to this. We should all co-operate in that endeavour. But how much co-operation will be forthcoming from the different quarters is a matter yet to be seen.

I am glad that the Ministry of Labour is headed by a Minister and a Deputy, who are both conscientiously sympathetic to the cause of labour because it makes a lot of difference. I want to congratulate them for having brought the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Act, which has been passed by the Rajya Sabha two weeks ago, which is likely to come before the Lok Sabha very soon, whereby the workers under suspension would get 75 per cent of the wages, as against 50 per cent which they were getting hitherto during the suspension period. This is a good step, for which I congratulate both the Minister and his Deputy—

One of the matters on which I feel very strongly is the participation of labour in Management. To my mind, we have not progressed at all in this field. That is my

honest feeling. I feel that we have been going on talking of labour participation in management and at the most we have gone to the extent of constituting a works committee, this and that, and that too it is not done properly. I strongly feel and I repeat it, I think in no uncertain words I want to make my views clear to the Government that we can expect production to increase with the help of the working classes certainly. The working class are a very patriotic lot, they have responded to all the situations in this country and they have responded to you now also. On the 19th you gave a call and the working class responded to it. That shows that cooperation from the working class is not lackingis, but we have to do something much more concretely and precisely to give them the necessary confidence that their interests are being protected and therefore, I feel that mere tinkering would not do. We have to make substantial changes. The hon. Minister is bringing forward certain legislative changes. I do not know how many are there and what they are, but I feel that he should bring changes in the laws to see that the working classes get adequate participation in management, and when I talk of them, I say, their representatives. Let their elected representatives be a part and parcel of the management; it is very necessary. Unless you give them that feeling and that actual honest chance of effected participation in management, I think they are bound to feel frustrated and I feek equally frustrated by that. And therefore, I would strongly demand that necessary legislative measures should be brought forward. Secondly, I feel that punishment that you have provided for various offences under the labour laws are firstly very inadequate and secondly, in their implementation they become just minimal or nominal. It looks as if somethimes in dealing with matters relating to labour, it is just something which hardly matters. Now, what happens is that a man is let off with a fine of Rs. 50. Hardly I have come to know of a case where imprisonment is given. Mostly it is a small, petty, fine for major offences. It may be a small thing for a man to have misutilised the provident fund or nor paid provident fund to the workers. But it becomes a question of life and death for a worker who has to depend on the payment of provident fund for his daughter's marriage. For him, payment of provident fund pertains to various major things. And provident fund is not the only case. So many cases are there where, with impunity the people who run these undertakings, all these industrial undertakings, break the laws and they know that nothing is going to happen to them. Firstly, the procedures are very very long. Well it takes years. And then what will happen to me ? Nothing. All right It is a fine of Rs. 50, or Rs. 100. Therefore, I demand from the government that they should change the law, make it very stringent, and also provide that they will not be left off with fine. There should be imprisonment and fine in several cases I demand that minimum punishment of imprisonment should be provided for in the Act. Unless we do that, how are we going to do justice to the working classes ! That is how I feel.

One thing more on which I wish to stress is this. We always talk of bringing some kind of a comprehensive Industrial Relations Bill and so on and so forth.

MR. CHAIRMAN : Unfortunately there are people to espouse that cause in courts also.

SHRI H.K.L. BHAGAT: What I say is that there may be differences here and there, there may be differences of approach on various facets or various aspects for industrial relations, but I say, there may be things on which I may think good, but the other man may think bad, and the third man may think in a different way. I say, you need not wait for at least good things. You can bring it even piecemeal, there is no harm. For things which can help you, you need not wait for drawing up a comprehensive legislation and go on waiting and in that process keep everything pending. About this policy of freezing there may not be agreement, there may not be understanding, but I say there should be talks for understanding. And I am gald that the Minister for Labour, even though he became a Minister a few days back, on 19th he did make an attempt and did make an offer for talks. It is very unfortunate that at the time the representatives of the organsation though I must congratulate the workers and their organisations by and large in the country for they ignored the call for strike and remained on work, yet it would have been much better if the representatives of the organisation had agreed to talk to the Labour Minister.

15.00 hrs.

They just refused to talk. They insisted on one thing repeal of ESMA. About other matters and demands, it seems that the strike on 19th was more politically motivated. I do not want to hang on it. I want to say that whatever good you csn do, bring one, two, three or four acts, but do not wait for something comprehensive to be brought. And for that you may go on waiting indefinitely. That is the thing which I wanted to say.

15.01 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

Thirdly, about public sector undertakings and public sector run units, I think there are people in these public sector undertakings and units who think that as their empire. Some of them are behaving very badly. Some of them, I would say, are behaving shamelessly. I know of a

[Shri H. K. L. Bhagat]

textile mill in Delhi where the Manager had the audacity and courage to send three months salary to woukers without any notice, without any enquiry without any explanation and refuses to budge an inch. The superior officers have been approached repeatedly but they think that the prestige of their Manager is involved in that. It has not been rectified. I did not want to use this forum. There are other ways open which we are taking. But as an illustration I am saying that some of the people are behaving very badly. They think that as their empire and they deal with the workers as they like. This thing must stop. It becomes the responsibility of the Government. It becomes the responsibility of those who run the public sector undertakings not to allow their people to behave dictatorially like this.

AN HON. MEMBER : What is the name of the mill?

SHRI H.K.L. BHAGAT : It is the Ayudhya Textile Mill in Delhi. Had it been left to the Manager, probably he would have liked that the situation on the 19th would have been created that the workers could have gone on strike. He could blame them as indisciplined people. But the workers understood his game. They watched and attended and they did not care for the provocation. What I am saying is that in the public sector undertakings, the approach and mentality of some people is to consider the employees as their slaves and to behave like dictators. This must go. I do not say that it is in public sector undertakings. I do not say that such is the attitude of all the officers or everybody is like that. But even some instances give a bad name to the Government and to the public sector undertakings.

In private organisations the situation is worse. Sometimes we criticise the public sector very rightly. They are open to public scrutiny. More facts are known about them. But some of the private undertakings run by the private people behave even worse. They take things very lightly. Whereas it is necessary to amend laws relating to labout and working classes, it is necessary to do justice to the working class. I am talking about other laws—the laws with which Ministry of Labour is not directly concerned, but with which Industry Ministry may be concerned but with which Industry Ministry may be concerned, Commerce Ministry may be concerned. It is a fact and we all know it that much of the money in these idustrial undertakings is swindled for profit in various ways and various means. What is earned is not shown as profit. So many devices are adopted to corner that money to various cover ups and various other things. It is not only the question of changing the laws, but doing other things. Even in regard to Company Law, I have a feeling that people run away with minor penalty. About the administration of Company Law, the Labour Ministry is not directly concerned. As a matter of fact the labour problems are not in isolation. They are a part of component problems—various Ministries deal with that. Therefore, I have a feeling that the Company Law Administration should be tightened in the interest of of justice to the labour. Therefore, all these things to my mind are very necessary.

I want to touch one more aspect i.e. housing for the working classes. It is true that the Government has made some schemes and they are given houses; there have been certain improvements and gains and so on and so forth but I feel that it is not enough. I feel that in the field of housing the Labour Ministry may not be, very very helfpful. I give one suggestion—Government should make it compulsory as least for new undertakings—it may be said that there is lot of financial burden—there may be a housing cell. Something should be contributed compulsorily by the workers and something should be contributed by the management. and something should be contributed by the Government and some arrangement should be made. The Government can help in the shape of providing some land or something like that. They can make the housing facilities available to the working classes more than what is available now. I have seen the housing conditions, some of the so-called housing colonies being run in Delhi by various industrial establishments. Things are so bad there. They ae hardly maintained for years. They would not look at it. They would not bother about it. They would not care about it. Therefore, in the field of housing also, I thing much more is to be done, As I said the Minister is very conscious and alert. I am sure, he would give attention to these problems.

I see some of the canteen facilities. Even the management is very stringy. Various other devices are adopted. Labour is shown as contract-labour for years together while they are actually doing the job of real and regular employees of the factory. Therefore, all these things are necessary and it should be done in order to instil greater confidence in the workers.

While I can say workers, I know that there are political problems. May I know the race for leadership, the race for credit and

the race for winning over the confidence of workers, which goes on. In that, some time, the natural consequence is the disservice to the workers, the loyal workers.

My hon. friend was mentioning about the Bangalore strike and said the Government did not interfere and therefore and crores and crores of rupees were lost. With due respect, I have a difference of opinion. The crores of rupees should not have been lost. The kind of strike which went on for such a long time, particularly in the core sector, in communications and other fields, should not have gone on. By this, they did not do any service to the workers. We all know that the working classes are highly patriotic and they stood by the nation for all time and continue to stand. So, they cannot be taken by mere slogans. And that is why, I tell this to the above friends in the Opposition for whom I have great respect and they are as patriotic as we are and we depend on their relationship also. The workers do understand their reguirement and they understand the internal danger and the external danger. The Governement has chartered a coursre of development greater production and so on and so forth. The Prime Minister has given a call to which the whole nation has responded on the 19th. I say, it was absolutely incorrect to say that because of the repressive measure, the 19th strike was not materialised. I think, in Delhi, no mill worker participated in the strike. There was no repression or coercion used against them. Actually, some section of workers used to adopt repression, coercion or oppression methods against others. But majority would like to say, no. There might be a stray case of slapping and so on by a group of ten prople or so.

What I am saying is this . When the working classes are for the nation, they would stand by you. They will do greater production, they will understand all political elements who are trying to exploit them. But, I am sure they want more attention to be paid by us, more care and rgreater justice in vital matters, which I hope the Government will do.

With these words, I support the Demands for Grants for the Ministry of Labour.

SHRI K.A. RAJAN (TRICHUR) : Mr. Chairman, while discussing the Demands for Grants for the Ministry of Labour, we cannot discuss this matter in isolation. I am not going to discuss in detail about the overall income, wage and price policy, which is in vogue, but I am just mentioning it because it cannot be discussed in isolation. It will have its effect on the overall industrial relations.

While discussing these Grants, I would like to draw the attention of the House to two major important events that had taken place during this period. I am just mentioning it. unfortunately, it has been mentioned here, regarding the 19th January strike which was sponsored by the National Campaign Committee representing nearly all the major trade union centres except INTUC.

Some one attributed the motive that it was a politically motivated stirke. I am sorry to say that it is quite contrary to that.

What were the demands projected by the National Campaign Committee of trade Unions? I would like to hilight those demands :

Sale of all essential comodities such as foodgrains, edible oil, cloth, sugar, etc. at subsidised prices through a network of shops in a comprehensive public distribution system, under the control and suprervision of popular committees to ensure adequate and uninterrupted supply of essential commodities;

Remunerative prices to the peasants and guarnteed supply inputs;

Enactment and implementation of legialation to guarantee a minimum living wage and job security for the agricultural workers;

Stringent measures against black-marketeers, hoarders, smugglers, speculators and officials protecting them;

Repeal of the National Security Act, 1980, and the Essential Services Maintenance Act, 1981;

Need-based minimum wages for the working class on the basis of the norms laid down by the 15th Indian Labour Conference;

Full neutralisation of the rise in the cost of living, and removal of the cellin of Rs. 1.30 per point rise in the price index (1960 base) arbitrarily fixed by the bureau of Public Enterprises;

Amendment of the Payment of Bouns Act providing bonus to all workers without ceiling or preconditions;

[Shri K. A. Rajan]

Ban on retrenchment and closures; introduction of unemployment allowance to the unemployed;

Withdrawal of all victimisation measures against trade union workers and activivists;

Rectification of the fraudulent cost of living indices;

Recognition of trade unions on the basis of secret ballot ; and

Full guarantee of collective bargaining and trade union rights.

Even though the hon. Minister is quite well aware of it because he has negotiated on this issue, I am just highlighting the point that there is a tirade going-on, consciously or not, I do not know, against the organised working class. They are only concerned with their own economic problems and their own-meagre wages and all those things. Now, the trade union movement is taking on to larger heights, taking the question of our toiling millions and also it is giving a new direction to the economy. A new situation has arisen in the working class movement in this country.

I would also like to mention something regarding the Bombay strike that is going on. I am not going into the merits of this issues. I am not going to argue about the leadership and its character. I would like to take-up an issue which is quite relevant to the trade union movement, the working class movement and also an issue which is very much connected with the basic industrial relations structure.

What is going on in Bombay? Whether the Government have recognised a union or the employers have recognised a union, or the workers have recognised a union, whether you like it or not, the Government stand is that they do not want to have negotiations with that union. About 2·5 lakh workers are strongly behind that union. The strike is going on for the last 2-1/2 months. Here comes the basic policy of the Government of India regarding the recognition of a union. Whom do they recognise? What is the criterion for that recognition? Under the old discredited policy a union has been sponsored by the Government and it is said that it represents the workers of Bombay. The workers say that they are never represented by that union. The whole working class is on the street. Whatever may be the impact or consequences of the strike, my comrade there is quite capable of dealing with it there.

Here, I am only raising the basic point regarding the recognition of a trade union. You know the whole edifice of industrial relations is built up on three pillers, right to organise, right of collective bargaining and right of strike. The right to organise is very much connected with the right of recognition. The right of recognition is a fundamental question regarding the workers in the country. If my understanding is correct, except the INTUC, all the trade unions have accepted that the secret ballot should be the democratic way of recognising a union in any industry or in any unit. So, I still emphasize that unless you tackle this question in a democratic way, you are not going to have industrial peace. The same story is going to be repeated in Bombay and also elsewhere.

The other point which I want to highlight is that we have seen a new development in the last year, 1980-81, of two or three major strikes in the Central sector. The issues are quite clear. One is the LIC issue. What happened was that under the Industrial Disputes Act an agreement was entered into and even that had been given a go by-by an Ordinance and subsequently by an Act of Parliament. The right of collective bargaining has been scuttled. Again, there was a public sector strike of Bangalore base workers. The same thing happened there. Then there was the loco-running staff strike. An agreement entered into in 1969 could not be implemented. This shows the way in which the things are moving, how the thirings are being handled by the Labour Department or the Government of India in regard to industrial relations.

The collective bargaining is a fundamental right; the bilateral negotiation is a very fundamental thing on which the whole edifice of industrial relations is built up. This is what happened on the LIC issue, the public sector workers' issue and the loco-running staff issue. The very fundamental right of collective bargaining and the very fundamental right of strike is being questioned. So many workers were victimised and the issue could not be solved. This issue I would like to highlight because the whole industrial relations policy regarding the fundamental principles has been violated. We are not going to bring peace.

Again one point that I would like to stress is regarding the wage policy that is being proclaimed by the Government now. As I understand, the Government is the biggest employer in the country having the larges number of workers

in the factories. It is in the public sector. I learnt that a Circular has been issued to all those public sectoce undertaking by the Ministry of finance or the so-called bureau of Public Enterprises that hereafter if any agreement is to be entered into regarding these wage negotiations, that great enhancement should be linked with production and productivity!

The other condition is that if all an agreement is to be made, it should not have any retrospective effect. It should have effect only prospectively. On this very fundamental question of linking wages with productivity, unfortunately there is a misunderstanding that the Indian organised working class whether it is in public sector or in the private sector, is getting its due share in the over-all production which is now attained. But statistics prove that it is not correct. I have got the statistics to show how for the worker's share is in the over-all cost of production, whether the worker has got enough compensation for what he had produced, whether the worker got enough wages for emoluments for what he produced. Here are statistics.

The following Table published in the 'Economic Times' dt. 29th July, 1980, would further prove that wages or emoluments are lagging behind productivity or value-added by manufacture. The name of the industry is 'Food Products.' Value added per employee per annum is Rs. 4,498/-. Emoluments per employee Emoluments per employee per annum are Rs. 2,211/-.

If you take the wages in cotton textiles, wool, jute , leather, rubber, chemicals, non-metallic, basic metals, metal products, machinery, electric machinery, transport equipment, water supply, all these industries, you can see that the wages are lagging behind.

I would like to say this because there is a misunderstanding caused by the daily announcements made by the Government that the workers are getting their due share for what they are producing.

But the industrial workers are not at all getting their due share for what they are producing. Why is it so ?

Infact, they are entitled to get more for what they produce. Unless they are compensated up to that limit, you cannot think in terms of linking wages with productivity.

This is the stand, the declared stand of Central Trade Unions like AITUC, CITU etc and the question is that linking wages with productivity can be thought of only when you adequately compensate the worker for what he has produced. The worker is not adequately compensated.

There is no question of linking productivity with wages unless you compensate the worker for what he has produced, unless you give the workers their due share of emoluments.

Then there is another question regarding minimum wages. What is the concept of minimum wages? You very well know that we have under the able leadership of Shri Nandaji, in 1957, if I am correct, at the 15th Labour Conference laid down certain norms regarding minimum wages. Certain accepted norms were laid down. We are just working on the need-based norms of those minimum wages. Under he Minimum wages Act, we quantify what should be the minimum wage according to its norm. The Government has thrown out all that now and it is not at all thinking in terms of the norms also.

A new theory is brought up now that the minimum wages should never go below the poverty line !

That is the conception of the new national policy on minimum wages which should be implemented for the poor ! You have forgotten what you yourselves have laid down at the tripartite Conference in which a consensus of the whole industry as well as labour and of the Government was arrived at on the need-based minimum wages. If you quantify that concept, can you claim that you are giving the need-based minimum wages in the present context to workers in the organised industry. in any organised industry in the country? No. Not only that. You are not keeping up to your promise. On the other hand, you are going back on your promise and you are saying that you can think in terms of minimum wages on the lines which coincides with 'poverty line'! And you talk so much of workers' welfare and all those things.

This is the position regarding the wage policy. Apart from all these things, the times are very hard now. The working class knows it, the trade union movement knows it, because of the policy that is being pursued by the Government.

But you say "We are very victorious in respect of the wages of the LIC. the public sector workers and the loco-shed workers."

[Shri K. A. Rajan]

But you know very well that things are very bad and that the working class is going to wage a higher form of struggle.

That is the reason why the fundamental rights of trade unions are being curtailed by those most malicious and most dangerous Acts like ESMA.

We strongly oppose this sort of Acts. When you introduced these Acts, you claimed that you would never use them against the workers. But what has been the history of the last one year? Whether it is the organized sector or the unorganized sector, whether it is in the public sector or in the private sector, whether in coalfields or in mines, you have been using these enactments against the workers who have gone on strike. What happened in Bangalore when there was strike in public sector undertakings? What happened to the loco running staff who went on strike? What happened to those who went on one-day protest strike on 19th January? You used these repressive Acts against all those workers who went on strike. That is why I say that the very fundamental pillars on which industrial relations are being built up are in a very unfortunate position, in a shaky position. The right to organize, the right to collective bargaining, the right to strike, all these rights are being scuttled because of the wrong policies pursued by the Government. Unless Government reverse its policies, unless a broad consensus is built up by invoking the tripartite machinery, unless a natinal labour consensus on the whole policy is achieved, I do not think we can have industrial peace.

With these words, I conclude.

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं कि इस चर्चा के दौरान श्रम मंत्रालय के बारे में कार्यान्वित की जाने वाली सामाजिक सुरक्षाओं के बारे में मुझे कहने का मौका मिला ।

मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं । कुछ माननीय सदस्यों ने सामाजिक सुरक्षा के विषय में संक्षेप में अपने विचार रखे हैं और उनके विचारों का मैं पूरा सम्मान देता हूं । मान्यवर, आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सदन के अन्दर बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं, जिनका सारा जीवन श्रमिकों के हितों के लिये बीता है और आज हमारे सम्माननीय सदस्य श्रम मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर अपने विचार दे रहे हैं, उनके विचार मजदूरों के हितों का ध्यान में रखते हुये हैं ।

श्रीमान्, जहां तक श्रमिकों के हित का प्रश्न है, उसमें हम सबकी एक ही राय है, एक ही विचार हम सब रखते हैं । हमारी नीति हमेशा मजदूरों की सुरक्षा की रही है और उसकी भावनाओं की कद्र की रही है और देश के उत्पादन में देश का आगे ले जाने में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है और आदरणीया प्रधान मंत्री जी ने भी देश में उत्पादन का महत्व देते हुये और श्रमिकों का महत्व देते हुये "श्रम-एव-जयते" द्वारा उत्पादकता वर्ष घोषित किया है । इसके लिये हम सबको मिलकर औद्योगिक शांति इस देश में बनाए रखना है ।

जहां तक श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने का प्रश्न है, इस पर हम बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और अभी तक इस ओर जो भी कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं संक्षेप में विवरण आप के सामने देना चाहता हूं ।

भारत में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम की शुरुआत, वर्ष 1923 में हुई थी जब वर्क्समैन कंपेंशेशन एक्ट को पारित किया गया । वर्क्समैन कंपेंसेशन एक्ट रेलवे कर्मचारियों तथा ऐसे कामगारों पर लागू है, जिन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह, तक वेतन मिलता है । यह उन पर भी लागू होता है जो कठिन कार्य करते हों, जैसे फैक्ट्री, खान, चाय/काफी बागान इत्यादि । इस अधिनियम के अन्तर्गत, निम्नलिखित स्थितियों में लाभ दिये जाते हैं ।

टैंपरेरी डिसएबलमेंट, परमानेंट डिसएबलमेंट, मृत्यू। टेंपरेरी डिसएबलमेंट के लिये हर 15 दिन में 30 रूपये से लेकर 175 रूपये तक का लाभ दिया जाता है। परमानेंट डिसएबलमेंट में 10000 रुपये से लेकर 42 हजार रुपये तक लाभ दिया जाता है। मृत्यु की घटना में 7200 रुपये से लेकर 30000 रुपये तक का लाभ मिलता है।

इस अधिनियम में आखिरी संशोधन, वर्ष 1976 में किया गया था, जबकि लाभ की दरें बढाई गई थीं। वर्तमान समय में, इस अधिनियम में व्यापक संशोधन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन संशोधनों में कम्पैन्सेशन की दर को बढ़ाने, तथा एक्ट के अधीन आने वाले कामगारों के लिये वेतन की सीमा को एक हजार रुपये से बढ़ाकर 1600 रुपये तक करने का प्रस्ताव है। यह लाभ उन्हें ही प्राप्त होगा जो ई०एस० आई० सी० के अन्तर्गत नहीं आते।

कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट 1948 में बनाया गया था और 1952 में सबसे पहली बार यह योजना कानपुर में चालू की गई थी। इस योजना का अब तक देश भर में 421 केन्द्रों में विस्तार किया गया है जैसा कि हमारे डी० एम० के० के सदस्य श्री पलिअप्पन ने भी कहा था। इसमें तकरीबन 72 लाख इन्स्योर्ड पर्सन्स शामिल हैं। बीमाकृत व्यक्तियों को सभी स्थानों में पूर्ण चिकित्सा सुविधा दी जाती है, इसमें हास्पीटलाइजेशन भी शामिल है। योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ पाने वालों की संख्या 2 करोड़ 79 लाख है जिनमें बीमाकृत व्यक्ति और उनके परिवार भी शामिल हैं। इसके अलावा 4 प्रकार के नकद लाभ भी हैं बीमाकृत व्यक्तियों को दिये जाते हैं। उनके परिवारों को सुविधानुसार पूर्ण चिकित्सा लाभ विस्तृत लाभ, एक्सपैंडेड मेडिकल बैनेफिट्स तथा वाह्य रोगी चिकित्सा सुविधा दी जाती हैं।

इस समय तक 54 लाख 10 हजार परिवारों को पूर्ण चिकित्सा लाभ, 9 लाख 47 हजार को विस्तृत लाभ और 11 हजार 150 को वाह्य रोगी चिकित्सा लाभ (रेस्ट्रीक्टेड) दिया जा रहा है।

रैस्ट्रिक्टेड लाभ उत्तर प्रदेश में रेणुकूट क्षेत्र में स्थित कर्मचारियों के परिवारों को दिया जा रहा है। वहां निगम ने एक 50 विस्तरों वाला हस्पताल बनाने का फैसला कर लिया है और इस हस्पताल के बन जाने पर सभी के पूर्ण चिकित्सा लाभ दिया जायेगा।

विस्तृत लाभ पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में दिया जा रहा है। यहां इस समय हस्पताल की सुविधा नहीं है। निगम ने राज्य सरकारों से इन स्थानों पर हस्पताल की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। इन हस्पतालों के बन जाने पर उनको पूर्ण चिकित्सा लाभ दिया जायेगा। यदि अस्पताल बनाना संभव नहीं हुआ तो किसी सरकारी या निजी अस्पताल में भी निगम द्वारा विस्तरों का आरक्षण किया जा सकता है। जैसा कि बीमाकृत व्यक्तियों के लिये किया जा रहा है। निगम ने अब तक 79 अस्पताल और 37 अस्पताल एनेक्सी बनाई हैं जिनमें 17,304 पलंगों की व्यवस्था है। इनमें 9 हस्पताल और 2 अस्पताल एनेक्सी, जिनमें 1642 पलंग हैं, पिछले एक वर्ष में चालू किये गये हैं। इनके अलावा 4 हस्पताल—2 गुजरात में और 2 उत्तर प्रदेश में, तैयार हैं जिनमें 400 पलंगों की व्यवस्था है, जिन्हें शीघ्र ही चालू कर दिया जायेगा। 13 हस्पताल और 6 हस्पताल एनेक्सी जिनमें 1344 विस्तरों का प्रबन्ध है, देश के विभिन्न भागों में बनाये जा रहे हैं।

निगम ने पूर्ण चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति व्यक्ति व्यय पर एक सीमा

[श्री धर्मवीर]

निर्धारित की है जो अभी 120 रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष है। मोटे तौर पर इनमें से लगभग 50 रुपये दवा पर खर्च होते हैं तथा इसका एक-तिहाई भाग स्थापना वगैरह पर व्यय होता है।

वर्ष 1981–82 में चिकित्सा लाभ के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को वार्षिक आय लगभग 200 करोड़ रुपये है और इसका व्यय भी लगभग इतना ही है। निगम के पास पिछले वर्षों की बचत राशि लगभग 325 करोड़ रुपये है जिनको सरकारी सिक्योरिटी और बैंकों में जमा किया गया है। उपर्युक्त पूरा पैसा, कर्मचारियों के लिए अस्पताल इत्यादि बनाने पर खर्च किया जा रहा है।

निगम की चिकित्सा व्यवस्था के प्रशासन सम्बन्धी सुझाव देने के लिए एक त्रिपक्षीय समिति गठित की गई है जिसको मैडिकल बैनिफिट काउंसिल कहते हैं। निगम द्वारा चिकित्सा के अलावा बीमाकृत व्यक्ति को ये लाभ भी दिये जाते हैं—

(1) बीमारी लाभ (सिकनेस बैनिफिट) यह वर्ष में 91 दिन तक दिया जा सकता है जिसमें कुल वेतन का लगभग 50 प्रतिशत उनको नकद लाभ के रूप में दिया जाता है।

(2) एक्सटैंडिड सिकनैस बैनिफिट : यह ऐसी लम्बी बीमारी के लिए दिया जाता है जैसे कैंसर, टी० बी०, लैपरोसी। जिसमें 309 दिन के लिए समय प्रदान किया जाता है जिसमें वेतन का 62 प्रतिशत लाभ दिया जाता है।

(3) मैटरनिटी बैनिफिट : यह लाभ प्रसूति के समय 12 सप्ताह के लिए दिया जाता है। इसमें पूरा वेतन देने की व्यवस्था है।

(4) डिसेबलमैंट बैनिफिट : यह दो प्रकार के होते हैं एक अस्थाई और दूसरा स्थाई। दोनों में ही वेतन का 70 प्रतिशत नकद लाभ देने की व्यवस्था है।

(5) डिपैंडेंट्स बैनिफिट : मृत्यु की अवस्था में आश्रितों को वेतन का 70 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलता है।

इसके अलावा एक और बैनिफिट भी है जिसे फेनरल बैनिफिट कहते हैं।

वर्तमान समय में, दिल्ली को छोड़ कर अन्य स्थानों पर इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा व्यवस्था का प्रशासन, राज्य सरकारों के जिम्मे है। चिकित्सा व्यवस्था पर हो रहे कुल व्यय का आठवां हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है तथा शेष निगम द्वारा दिया जाता है।

दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था निगम खुद करता है।

इस समय दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक अस्पताल है, जिसमें 400 पलंगों का व्यवस्था है । इसमें 250 और पलंगों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । इसके अलावा निगम ओखला में एक 200 पलंगों वाला अस्पताल और झिलमिल एरिया में 250 पलंगों वाला अस्पताल तथा तीसरा एक टी० बी० क्लिनिक पश्चिम: दिल्ली में 150 पलंगों वाला बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

दिल्ली में इस समय 30 डिसपेंसरियां कार्य कर रही हैं ।

इस समय कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मौसमी कारख़ानों (सीज़नल फैक्टरीज़) में लागू नहीं है, जैसे चीनी मिल । निगम को एक समिति ने सुझाव दिया है कि मौसमी कारख़ानों के कर्मचारियों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाया जाए । यह अभी सरकार के विचाराधीन है ।

इस पूरी योजना के कार्यों के विस्तार, चिकित्सा सुविधा, नकद और बकाया राशि का वसुल करने की व्यवस्था को ठीक करने के सम्बन्ध में सुझाव देने हेतु एक प्रमुख मज़दूर नेता, श्री बी आर हीमिंग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है । यह समिति निकट भविष्य में ही अपनी प्रतिवेदन दे देगी ।

31 मार्च, 1981 तक कुल बकाया राशि 41.24 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 8.41 करोड़ रुपये सरकारी कारख़ानों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से और बाकी 32.83 करोड़ रुपये निजी कारख़ानों से बकाया है ।

मोटे तौर पर लगभग 30 करोड़ रुपये रुग्ण कपड़ा मिलों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और ऐसे प्रतिष्ठानों से देय हैं, जिनसे पैसा लेने पर न्यायालय ने रोक लगा दी है । बाकी 11 करोड़ रुपये की वसूली हेतु निगम प्रभावी कदम उठा रहा है ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है । मंत्री महोदय और मैं इस बात के लिए चिन्तित हैं कि बकाया राशि को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी वसूल कर के मज़दूरों के हितों की रक्षा की जाए और उन्हें सुविधाएं प्रदान की जा सकें । मगर न्यायालय के निर्णय के सामने हमें नतमस्तक होना पड़ता है । लेकिन फिर भी हम इस पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से बकाया राशि को वसूल किया जा सकता है ।

सामाजिक सुरक्षा के रूप में तीसरी सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि योजना की है । 4 मार्च, 1952 को कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट पारित किया गया और 1 नवम्बर, 1952 से कर्मचारी भविष्य निधि योजना लागू की गई । 1952 में यह अधिनियम केवल 6 मुख्य उद्योगों, जैसे सीमेंट, सिग्रेट, बिजली, इंजीनियरिंग, लोहा और इस्पात तथा वस्त्र उद्योगों से सम्बन्धित 1400 स्थापनाओं में कार्यरत 12 लाख अभिदाताओं (सब्स्क्राइब्र्ज़) के साथ प्रारम्भ हुआ । आज इस अधिनियम के अन्तर्गत 172 विभिन्न उद्योगों एवं प्रतिष्ठानों की संख्या आती है । 31-12-81 को इस अधिनियम तथा योजना के कार्यक्षेत्र में आने वाले प्रतिष्ठानों तथा अभिदाताओं की संख्या बढ़ कर क्रमश: 1,08,520 तथा 1,14,48,153 हो गई । कर्मचारी भविष्य निधि योजना की सफलता एवं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए, अधिकांश ग़रीब मज़दूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए तथा सदस्यों की असामयिक मृत्यु पर उनके परिवारों को लम्बी अवधि तक वित्तीय सुरक्षा देने के लिए क्रमश:

[श्री धर्मवीर]

1 मार्च, 1971 तथा 1 अगस्त, 1976 से कर्मचारी परिवार पेंशन योजना (फ़ैमिली पेंशन स्कीम) तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (एम्पलाईज़ डिपाज़िट लिंक्ड इनशोरेंस स्कीम) को चालू किया गया ।

वित्तीय वर्ष 1980-81 में कुल 133.30 करोड़ रुपये का भुगतान ऐसे व्यक्तियों को किया गया, जो सेवा-निवृत्त होने या अन्य कारणों से इस योजना से अलग हो गए । इसी वर्ष योजना से विभिन्न उद्देश्यों हेतु अग्रिम के रूप में 21.21 करोड़ रुपये की राशि दी गई । यह उल्लेखनीय है कि इस योजना का कोई भी सदस्य महत्वपूर्ण कार्यों, जैसे शिक्षा, लम्बी बीमारी, घर बनाने, जमीन ख़रीदने, बीमा अथवा विवाह इत्यादि के लिए जमा राशि में से अग्रिम ले सकता है । अग्रिम लेने की प्रक्रिया को धीरे धीरे और अधिक उदार बनाया गया है । यह बात उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत जो भी अग्रिम दिया जाता है, उसे सामान्यतः वापस नहीं लिया जाता है ।

पारिवारिक पेंशन योजना के अन्तर्गत मृतक के आश्रितों को 60 रु0 से ले कर 150 रु0 तक पेंशन देने की व्यवस्था है । हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है कि पेंशन कम मिलती है और ठीक से नहीं मिलती है । अतः अब यह निश्चित कर दिया गया है कि 60 रु0 प्रति मास पेंशन अवश्य उनको मिलेगी और इसमें एज फैक्टर का कोई ख्याल नहीं रखा गया है । 60 रु० कम से कम पेंशन अवश्य दी जायगी ।

इसी प्रकार से इमप्लाइज़ डिपाज़िट लिंक्ड इन्शयोरेंस स्कीम के अन्तर्गत किसी मजदूर की कार्यकाल में मृत्यु होने की अवस्था में भविष्य निधि में 1 हजार या इससे अधिक की राशि जमा होने पर उस राशि के बराबर की राशि एक मुश्त में आश्रितों को दी जाती है । परन्तु वह राशि 10 हजार रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास 31-12-1981 तक कुल 70.36 करोड़ रु0 बकाया के रूप में था । इसमें 47.67 करोड़ रु0 की राशि भविष्य निधि योजना अन्तर्गत, 1.16 करोड़ रु0 की राशि इमप्लाईज़ डिपाज़िट लिंक्ड इन्शयोरेंस स्कीम के अन्तर्गत, 2.59 करोड़ रु० की राशि फैमिली पेंशन योजना के अन्तर्गत तथा शेष डेमेजेज, प्रशासनिक शुल्क आदि के रूप में स्थापनाओं और प्रतिष्ठानों से बकाया थी । इसमें से 2.88 करोड़ रु० की राशि वसूल करने में कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है । 8.32 करोड़ रु० की राशि रुग्ण कपड़ा मिलों के पास बकाया है । 18.54 करोड़ रु० की राशि छूट प्राप्त मिलों से बकाया है । 31-12-81 तक 3254 स्थापनाओं, प्रतिष्ठानों की कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अधीन छूट प्राप्त थी ।

कर्मचारी भविष्य निधि में 30-9-1981 तक 7294 करोड़ रु० की राशि जमा थी । इस राशि पर प्राप्त ब्याज को अभिदाताओं को उनसे प्राप्त जमा राशि पर ब्याज के रूप में दिया जाता है । 1981-82 वर्ष में अभिदाताओं को 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया गया है ।

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम में निगरानी के कार्यों को देखने के लिए निगरानी

विभाग की स्थापना की गई है । इस कार्य हेतु एक निदेशक, निगरानी का भी पद सृजित किया गया है । आशा है कि बहुत जल्द उस पर नियुक्ति हो जायगी । इससे जो प्रोविडेंट फण्ड के अन्दर गड़बड़ होती है उसको दूर करने में हमारी शक्ति बढ़ेगी ।

बम्बई तथा हैदराबाद शहरों में उप-निदेशक के पदों का भी सृजन किया गया है । 30-9-81 तक कुल 3,696 करोड़ रु0 की राशि अभिदाताओं के बीच में बांटी गई । भविष्य निधि कर्मचारी संगठन के अतिरिक्त अभी कुल 15 क्षेत्रीय तथा 22 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं । भविष्य में 12 और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का खोलने का प्रस्ताव है । अधिक कार्यालय खोलने के पीछे यह उद्देश्य है कि इसकी सेवाओं को अभिदाताओं के निकट लाया जा सके । ताकि उनको कठिनाइयां न हों ।

वर्ष 1979 में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (सेण्ट्रल बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं इसके कर्मचारियों की सेवा के स्वरूप के अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसे फकीर चन्द कमेटी कहते हैं । इस समिति द्वारा कुल 131 अनुशंसाएं की गई थीं । इनमें से 75 अनुसशंसाओं पर निर्णय लिया जा चुका है । जिन महत्वपूर्ण अनुशंसाओं पर निर्णय लिये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं ।

1. प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस : नेशनल प्रोडक्टिविटी काउन्सिल द्वारा योजना बनाई जा रही है । वर्ष 1979-80 के लिए 15 दिन का तथा वर्ष 1980-81 के लिए 10 दिन का तदर्थ बोनस दिया गया है ।

2. छुट्टी के स्थान पर नकद भुगतान (ऐनकैशमेंट आफ़ लीव)

3. अधिक दर पर धुलाई भत्ता ।

4. "क" वर्ग के नगरों में अधिक दर पर मकान किराया भत्ता ।

5. 10 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिकों का 35 रु0 प्रतिमास की दर से विशेष वेतन ।

6. केन्द्रीय आयुक्त तथा वित्तीय सलाहकार के पद का उत्क्रमण (आग्रेडेशन) ।

7. सहायक एकाउण्ट्स अफसर के नये काडर का सृजन ।

फकीर चन्द कमेटी की कतिपय अनुशंसाओं पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है । इनकी वीस्कृति के प्रश्न पर वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग के साथ परामर्श किया जा रहा है और यह विचाराधीन है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विकासशील देशों के बीच भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है । कर्मचारी भविष्य निधि योजना आर्थिक रूप से उन्नतिशील देशों के बीच में इसका प्रचलन नहीं है, लेकिन मुख्यत: एशिया और अफ्रीका के कतिपय देशों में यह लागू है । यह कहते हुए गर्व होता है कि इन देशों की तुलना में इस योजना के सम्बन्ध में भारत में यह योजना काफी लोकप्रिय और उदार तथा प्रगतिशील है, जिसकी कि लोगों ने प्रशंसा भी की है । भारत में यह योजना काफी लोकप्रिय है । ऐसी योजना अन्य देशों में भी है, शायद इसी आधार पर अपने देश में भी करने जा रहे हैं । कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में संशोधन लाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । क्योंकि बहुत से माननीय सदस्यो, श्री दुबे, श्री मोहम्मद इस्माइल और श्री एच0 के0 एल0 भगत तथा

[श्री धर्मवीर]

श्री राजन, ने जो फण्ड्स सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत है, इसके अन्दर जो गलत प्रयोग होता है, की ओर ध्यान आकर्षित किया है। जो बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों में बड़े-बड़े एम्प्लायर्स है, जिनके पास बकाया राशि है, उसका शीघ्र भुगतान किस प्रकार से हो सके, इसके लिए हम सतत् प्रयत्न-शील हैं और चिन्तित हैं।

श्रीमन्, मैं आपको मैटरनिटी बैनि-फिट के बारे में पहले ही बता चुका हूं। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण अधिनियम दि पेमेंट आफ ग्रेच्यूटी एक्ट है, जो वर्ष 1972 में लागू हुआ है। इसमें जो राशि है, यह राशि अब बढ़ा कर 1600 रु0 प्रति मास वालों को दी जाती है। इस अधिनियम के अन्तर्गत लाभ केवल नियोजक द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से सुझाव समय-समय पर माननीय सदस्य देते रहते हैं, जिन पर हम कार्यवाही करते हैं। हमारे पास सीमित साधन हैं, जो नियम है, उनके अन्तर्गत जो शक्ति प्रदत्त है, उन अधि-कारों का प्रयोग करते हुए हम उन पर कार्यवाही करते हैं। ई0 एस0 आई0 कारपोरेशन एक्ट के अन्दर सेक्शन 85, 45 (ए), 45 (बी), का प्रयोग करते हैं। ई0 पी0 एफ0 फण्ड के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं, उसके द्वारा वसूली की कार्य-वाही करते हैं। इसके साथ-ही-साथ कई केसेज़ पुलिस में एफ0 आई0 आर0 भी दर्ज किए हैं। आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत 406/409 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में लाकर उस पर कार्यवाही करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बात को लेकर मंत्री जो कहते हैं कि यह कार्यवाही संतोष-जनक नहीं है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी रुपया वसूल कर सकें। समय समय पर प्रश्नों के माध्यम से भी माननीय सदस्य सुझाव देते रहे हैं। इस समय मंत्रालय को अनुदान की मांगो पर भी सुझाव दे रहे हैं। हालांकि उसका विवरण श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अन्दर दे दिया गया है। मैं उन तमाम सुझावों का आदर करते हुए, उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम और हमारे मंत्री जी हर संभव प्रयास करते हैं कि इस देश के अन्दर औद्योगिक शान्ति बनी रहे। किसी भी प्रकार से न तो मजदूरों का शोषण हो और न हम चाहते हैं कि नियोजन कर सकें तथा न हम चाहते हैं कि राजनीतिक दल ही इसका लाभ उठा सके। हमें मजदूरों और श्रमिकों के कल्याण के बारे में एक मत से, एक राय से देश का उत्पादन बढ़ाने में एक दूसरे के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर काम करना चाहिए।

मैं आप सब का आभारी हूं कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम जो कुछ भी सुविधायें मंत्रालय द्वारा श्रमिकों के कल्याण के बारे में और सामाजिक सुरक्षा के बारे में दे रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है और आगे भी जो आप सुझाव देंगे, उनका हम स्वागत करेंगे और आप को विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार भी हो सके उस पर कार्यवाही करके श्रमिकों का अधिक से अधिक कल्याण हो, देश का उत्पादन बढ़े, देश आर्थिक रूप से सक्षम हो सके—यह हमारी और आप सब की कामना है।

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur) Mr. Chairman, Sir, I personally feel that the hon. Minister for Labour, Shri Bhagwat Jha Azad is a very sincere person and he is trying to solve the problems of the working class. But, Sir, unfortunately the actual conditions of labour and the working class in this country is most miserable.

MR. CHAIRMAN : It is a very good compliment you are making...

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): He should withdraw the compliment.

SHRI HARIKESH BAHADUR: Both industrial and agricultural labour are facing great difficulties today. We are finding that they are always being subjected to some kind of harassment. Or some kind of torture—physical or mental or both—are there. This kind of thing is going on throughout the country. Sir, the Essential Services Maintenance Act and the National Security Act were enacted by this House. At that time, the then hon. Minister for Labour had assured the House on behalf of the Government, that these Acts would not be used against the working classes. But continuously and consistently, we are seeing that if there is any agitation by the working class or if they are raising any voice, these Acts are used against these people. Very recently, the Uttar Pradesh Government employees had gone on strike. Their demands are very genuine. But the Government openly used these Acts to suppress their strikes. Many of the employees' services were terminated, many of them were suspended, many of them were subjected to many types of harassment. Here I would like to request the hon. Minister that he should try to redress the grievances of these employees and ask the Uttar Pradesh Government not to adopt this particular tactics for suppressing their genuine demands.

Similarly, let us take the case of the Indian Railways. There is one rule known as Rule 14(2). I do not know what this rule is. It is a dictatorial rule. It is only to suppress the employees, to harass them, to torture them and without assigning any reason, the railway employees' services can be terminated under this rule. It is a very draconian type of law which has been exercised by the Railway authorities. (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE: When I was the Railway Minister, I was also to go out under this Rule. (*Interruptions*)

SHRI HARIKESH BAHADUR : I would request the hon. Minister kindly to see to it that this Rule 14(2) is abolished because it is only to harass the employees and justice is never done in the matter of employees under this particular Rule.

Now , let us take the case of unemployment in this country which has been growing by leaps and bounds every day. Because of the growing unemployment in the country, there is furstration among the youth and the result is that there is increase in violence in the society. Many of the youth being desgruntled and frustrated because of there not being able to get job, try to adopt some other course of action and that is why we are fiinding increasing violence in our society. Unless effective measures are taken to solve the unemployment situation, it would be very difficult for us to check this growing violence in our society. Sir, the brain-drain which is taking place today is also the result of this. Time and again we have been raising this issue in this House that the Government shoud take measures to stop the brain-drain. Sir, I may point out that about 125 scientists ate going to accept the American nationality and they are leaving the country. I do not want to praise them and I do not say that they are doing the good thing. But what I would like to say is that it is ultimately the result of unemployment. You must understand the implication of unemployment. That is why I am giving this particular example.

Now, take the case of an Engineering student. The Government spends about Rs. 50,000 in training an engineering student. After getting training engineers find themselves unemployed within the country, then they get frustrated and ultimately they would try to leave the country. In this process, we are losing many talents of our country. Now , because of the serious unemployment situation, many of our youth are subjected to exploitation.

I would like to quote one example of casual labourers in the Indian Railways. Some of the casual workers have been there for more than 15 to 20 years, but their services have not been regularised. They are made to remain temporary, and their services can be terminated at any point of time. Recently, there was a case before the Supreme Court. One Mr. D' Souza had been serving the Indian Railways for 20 to 25 years, but his services were terminated without assigning any reason. The Supreme Court gave a verdict that his services should not have been terminated and such a thing should not happen in the case of such employyees, and that he should be reinstated. Perhaps, he has been reinstated; I do not know the exact position.

Such thing have been happening to many people throughout the country and we have been raising this point here time and again. The hon. Railway Minister had assured us that persons who had been working for several years in temporary capacity would be regularised. I would request the hon. Labour Minister to see that the employees in the Indian Railways are not victimised like this.

I would now take up the case of agricultural labourers. Their condition is very bad; they are not getting minimum wages. I would not like to say more, my hon. friend, Shri Ram Vilas Paswan would throw more light on it when he

speaks. Six farm labourers were killed in firing in Bihar, when they demanded minimum wages. They meet with such a fate if they raise their demand.

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : आप कितना देते है ?

श्री हरिकेश बहादुर : हम तो ऐसी लेबर रखते ही नहीं और बोंडेड लेबर की हालत आप जानते है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं।

Police in collusion with big landholders are perpetrating such crimes, and the Government is completely ineffective to check such happenings. It is not only in Bihar, but elsewhere also.

So far as industrial labour is concerned, their condition is slightly better, but they are also subjected to harassment. I can quote the example of employes of the public sector undertakings in Bangalore, who had been agitanting when their demands were not properly met and their grievances were not redressed.

I would now like to say a few words about the employees of Provident Fund Department; the hon. Dy. Minister has also spoken just now about them. There is one Central Board of Trustees. There had been suggestions that Section 5 of the EPF Act of 1952 should be amended so that this body could be made more autonomus, but no steps have been taken in that direction. The hon. Dy. Minister did not say any thing about that. I think, the hon. Minister will say something when the replies to the debate. Actually they had asked for many things, and some of their demands were met also. As I said, there is one body, known as CBT, Central Board of Trustees and there is one Fakir Chand Committee. Both these bodies had unanimously recommended for increase in salary, bonus, medical and convenance allowances etc. for the employees. One point Secretary Finance is also on that Board. He accepted all the demands in the various meetings of the CBT and the Fakir Chand Committee, but when that comes to the Finance Ministry he takes a different posture, all and the suggestions and resolutions of the Board and Committee get fully frustrated. I would request the hon. Minister to see to this aspect of the matter.

Now, a few about the employees of the National Herald. They are subjected to all kinds of harassment. I had raised this issue in the earlier Parliament also. Since August, 1982, for no month they have been properly paid their salaries. You can verify this and will find it correct. Payment of bonus also does not take place properly. Not more than 50% of the bonus due for the last year had been given to the employees.

15.55 hrs.

[SHRI HARINATHA MISHRA *in the Chair*]

Palekar Award also is not being implemented by the National Herald. ESI and Provident Fund Act regulations and laws are not being properly implemented there. The contributions dedcuted from the salaries of the employes are not being properly deposited and the payment of gratuity also does not take place properly. Several employees have reitered, but gratuity is not paid to them even now, if the Hon. Minister verifies all these, he will find many things. That is why I request the Hon. Minister to look into all these problems of the employees of the National Herald, which is very much a paper of the Ruling Party. That is why I request him to reddress the grievance of all the employees and try to solve the problem of the working class throughout the country.

AN HON. MEMBER : What about the Indian Express ?

SHRI HARIKESH BAHADUR : Indian Express is all right. You should speak about them.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, अभी हमारे दोस्त हरिकेश बहादुर जी ने जो बात कहीं मैं पहले उनका समर्थन करता हू।

मंत्री जी अभी बता रहे थे और उन्होंने दो तीन प्वाइंट्स के सम्बन्ध में सदन का ध्यान खींचा । एक उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के, ई० एस० आई० के संबंध में बताया । जहां तक मुझ को जानकारी है और जो आपकी रिपोर्ट के द्वारा मैंने हासिल की है कि आपके 421 सेन्टर्स में हास्पिटल्स हैं और उनमें आप 63.62 लाख कर्मचारियों की सेवा करते हैं । सेन्ट्रल गवर्नमेंट अण्डरटेकिंग्स के यहां से

8.41 करोड़ रुपये और प्राइवेट अण्डर-टेकिंग्स के यहां से 328.3 करोड़ रुपये आप कर्मचारियों से ले लेते हैं लेकिन जब मेनेजमेंट या एम्प्लायर द्वारा उस पैसे को जमा करने की बात आती है तो फिर वह पैसा जमा क्यों नहीं होता है । 8.41 करोड़ रुपया और 328.3 करोड़ रुपया दोनों मिल कर कितना पैसा हो जाता है और इस से एम्प्लाईज को कितनी मेडिकल फेसिलिटीज मिल सकती हैं लेकिन उन फेसिलिटीज से एम्प्लाईज वंचित रह रहे हैं । मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या यह एक्ट का वायोलेशन है या नहीं ? अगर है तो सरकार इसके बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ।

दूसरे आपने एम्प्लाईज प्राविडट फंड के सम्बन्ध में कहा । वह भी आपकी रिपोर्ट से जाहिर है कि 281.9 करोड़ रुपया एम्प्लायर्स की तरफ बकाया है । एक तरफ तो आप मजदूरों से और एम्प्लाईज से ले लेते हैं और जब उसे एम्प्लाईज को देने की बात आती है तो वह सारा का सारा मामला एम्प्लायर की पाकिट में होता है, उस से वह निकल नहीं पाता है ।

कोर्ट के सम्बन्ध में, न्यायालय के सम्बन्ध में भी बताया गया । पांच-छः दिन पहले मैंने देखा कि दिल्ली में ही एक पार्टी के खाते में 4,460 केस लेबर कोर्ट्स में पेंडिग हैं । इनमें कुछ केसिज ऐसे हैं जो 9 साल से पेंडिग हैं : रेड्डी साहब आप जानते हैं कि अगर किसी लेबर कोर्ट में किसी का मामला पेंडिग होता है तो वह नौकरी नहीं कर सकता है । अगर वह करेगा तो उसका केस खत्म हो जाएगा । इस तरह से एक मजदूर को इतने दिनों तक बेरोजगार और भूखा रखना कहां का न्याय है ? जैसी कि कहावत है कि जस्टसि डिलेड इज जस्टिश डिनाइड । इसलिए मैं आप से आग्रह करूंगा कि जो जनरल कोर्ट्स हैं उनमें ऐसे केसिज का फैसला होने में काफी समय लगता है । जिस तरह से हमारी हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है क्या सरकार इसी लेवल की इंडस्ट्रियल कोर्ट्स या ट्रिब्युनल्स का निर्माण नहीं कर सकती जिससे कि पेंडिग केसिज का जल्दी से जल्दी निबटारा हो सके । इसलिए मेरा आप से आग्रह है कि आप इस पर कदम उठाएं क्योंकि जैसा मैंने कहा जस्टिश डिलेड इज जस्टिश डिनाइड । फैसला जल्दी हो जाए अब चाहे वह उसके पक्ष, में हो या विपक्ष में हो ।

अभी मेरे साथी बेरोजगारी के संबंध में बोल रहे थे । यह आपका 1981–82 का रिपोर्ट है । इस हिन्दी रिपोर्ट का पेज 55 आप देखें । इस में जनवरी 81 से ले कर अक्तूबर 81 तक ।

16.00 hrs.

एप्लायमेंट एक्सचेंजों में नाम दर्ज कराए हैं 49 लाख 76 हजार करीब लोगों ने और रोजगार मिला 4 लाख 11 हजार लोगों को । अगर यही रफ्तार रही, यह हालत रही तो देश की क्या स्थिति होगी । आपने अपनी रिपोर्ट में ठीक ही कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होते-होते 4 करोड़ लोग बेकार हो जायेंगे । क्या स्थिति होगी ? बेरोजगारी की फौज क्या करेगी, यह विचारणीय प्रश्न है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) युवा कांग्रेस में जाएगी ।

श्री राम विलास पासवान : तब तक वह समाप्त हो जाएगी, बूढ़ी कांग्रेस बन जाएगी ।

[श्री रामविलास पासवान]

इसी प्रकार मैट्रिक से लेकर एम० ए० तक 90 लाख लोग हैं और बिना पढ़े लिखे नौजवान। 1 करोड़ 74 लाख 24 हजार बेरोजगार हैं । जनवरी से अक्तूबर तक आंकड़े दिये हैं। और यह तो सर्वेक्षण की कार्यवाही एंप्लायमेंट एक्सचजों के जरिए होती है और उसमें कितनी धांधली होती है यह किसी से छिपी नहीं है वहां पर सीधा रुपये का खेल होता है । जिसका सोर्स नहीं होता, उसका पहले तो नाम ही दर्ज नहीं होता और दर्ज हो भी जाएगा तो जिंदगी भर काल नहीं दिया जाता ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : रुपये का खेल कहां नहीं है ?

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आज लेबर मिनिस्ट्री पर चर्चा हो रही है, इसलिए उसी के बारे में कहना है ।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति-जनजाति की चर्चा भी की गई है । आपने अनुसूचित जाति के 16.61 लाख लोगों के नाम दर्ज किए हैं और 1980 में 18.15 लाख हैं, अनुसूचित जन जाति के 4 लाख हैं और 1980 में 4.76 लाख लोग हैं, लेकिन जब नियुक्ति का मामला आएगा तो उस समय कह दिया जाएगा कि उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके यहां जो इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसका क्या होगा ।

कोई भी सरकार सब को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन हमने एक व्यवस्था की थी ।

श्री गिरधारी लालव यास (भील वाड़ा) : आपने तो अव्यवस्था की थी ।

श्री राम विलास पासवान : हम लोगों ने सरकार जिनको नौकरी नहीं दे सकती तो उनको काटेज इंडस्ट्रीज में, स्माल स्केल इंडस्ट्रीज में लागने की कोशिश की । लेकिन आपने जो आंकड़े दिये हैं, उनके अनुसार 50 लाख लोगों ने नाम दर्ज कराए और 4 लाख लोगों को रोजगार दिया गया । इस प्रकार 46 लाख बेरोजगार हुए । इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं , क्योंकि भले ही श्रम विभाग को कम महत्व दिया जाता हो, लेकिन यही एक विभाग है जो इस समस्या की रीढ़ है । इसलिए जब तक इस समय पर गंभीरता से विचार नहीं करेंगे और देश की जनता को बतलाएंगे नहीं कि बेरोजगारों के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं, तब तक जनता संतुष्ट नहीं होगी । एंप्लायमेंट में इससे चौगुने नाम दर्ज होकर आ जायेंगे और जब इतने लोगों को काम नहीं मिलेगा तो यह बेरोजगारों की फौज किसी भी सरकार को चलने नहीं देगी । आज कानून-व्यवस्था की स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, उसकी तह में भी एक सब से बड़ा कारण बेरोजगारी की समस्या ही है ।

बांडेड लेबर के संबंध में यहां काफी चर्चा हुई । एक तरफ तो कहा जाता है है कि बांडेड लेबर है ही नहीं और दूसरी तरफ रोज बांडेड लेबर निकल रहे हैं । अभी मैं मध्य प्रदेश गया था, 2 दिन पहले हरयाणा में गया था, वहां देख लीजिए जितना एग्रीकल्चरल लेबरर है वह सब बिहार और यू० पी० से जा रहा है । उसको वहां बांडेड लेबर के रूप में बनाया जा रहा है । ऐसे हजारों करोड़ों लोगों को बांडेड लेबर का काम चल रहा है, क्या आपने कभी यह देखने की कोशिश की है कि जो मजदूर वहां काम करते हैं, क्या उनको कभी ओवरटाइम मिलता है,

क्या उनसे काम करवाया जाता है, कितने किस्म का काम करवाया जाता है, कितने घंटे करवाया जाता है ? क्या उस मजदूर की स्थिति बांडेड लेबर के समान नहीं है ? उसके लिए कहीं कोई रहने-सोने के स्थान की व्यवस्था नहीं है । उसका इतना एक्सप्लायटेशन हो रहा है कि हद से ज्यादा, उसकी कोई सीमा नहीं है ।

एक तो बांडेड लेबर का सर्वेक्षण नहीं किया गया है, मंत्री महोदय ने कहा है कि वे चिन्तत हैं दूसरी जो अन-बांडेड लेबर पैदा हो रही है, जिससे लेबर का काम लिया जाता है, उसके सम्बन्ध में भी सरकार को सोचना चाहिये ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान एक और तरफ भी खींचना चाहूंगा । सागर में मध्य प्रदेश में मंत्री महोदय के बगल में संथाल परगना है जहां कि बीड़ी-मजदूरों की समस्या बहुत भंयकर है । वह अपने आप में एक काटेज इंडस्ट्री है, छोटा उद्योग है । हजारों लाखों लोग इस बीड़ी उद्योग में लगे हुए हैं, लेकिन उनका किस तरह से शोषण हो रहा है इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिये । सबसे पहली बात यह होती है कि उसको मजदूरी नहीं दी जाती है । दी भी जाएगी तो 3, 4 रुपये दी जायेगी । अभी मजदूरी बहुत जगहों में रुपये के बदले में सड़ा हुआ अनाज देकर दी जाती है, नतीजा क्या होता है कि टी० बी० के पेलेन्ट वह लोग हो जाते हैं ।

मुझे कल ही पता लगा कि मजदूरों को जो पत्ता दिया जाता है, उसमें 1,000 बीड़ी बनाने में 12 घंटे लगते हैं । उसको खराब पत्ता दिया जाता है, लेकिन उससे बीड़ी बनेगी तो 1000 तक ही बनेगी । उसको पत्ता कम दिया जाता है और जर्दा भी कम दिया जाता है लेकिन उससे बीड़ो पूरी ली जायेगी । जब वह बनाकर लायेगा तो उसमें बीड़ी को छांटा जायेगा । उसकी छांट कौन करेगा वह मालिका का स रबरदार रहता है और उसको पहले से ही कह दिया जाता है कि 200 बीड़ी की छटैय्या कर देनी है । इस तरह से 1000 में से 800 बीड़ी रह जाती है, 200 बीड़ी छांट दी जाती है । वह 200 भी उसको वापिस नहीं की जाती है मालिक अपने पास रख लेते हैं और उसको कह दिया जाता है कि तुम्हारी 200 बीड़ी खराब हैं इसलिए इसका पैसा नहीं मिलेगा । काटने के बाद उसको कुछ नहीं मिलता है । है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि बीड़ी उद्योग में जहां लाखों गरीब लगे हुए हैं इसका राष्ट्रीयकरण करने में सरकार को क्या दिक्कत है ? सरकार को निश्चित रूप से इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ।

बाम्बे टैक्सटाइल के संबंध में श्रीमती प्रमिला दंडवते जी बोलेंगी । वहां 4 करोड़ प्रतिदिन का घाटा जा रहा है, टैक्सटाइल बन्द है । उसके सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक कोई नीति साफ नहीं बताई है । उसका पार्लियामेंट में भी डिस्कशन हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं हुआ ।

इंडस्ट्रियल रिलेशन उद्योग में इंड-स्ट्रियल रिलेशन बिटविन इम्पलायर एंड एप्लाई, मैनेजमेंट और मजदूर के बीच में सम्बन्ध सुधरे हैं, ऐसा कहा गया है । आपके मजदूरों और मिल के बीच में सम्बन्ध जब सुधरे हैं तो एसेन्शियल सर्विसेज एक्ट क्यों लाया गया ? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनको क्यों परेशान किया जाता है ?

[श्री राम विलास पासवान]

आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1980–81 में 2.20 करोड़ मैन-डेज लास हुआ है । आपसे यहां नेशनल पालिसी, वेज पालिसी नहीं है आपने 1982-83 को उत्पादन का वर्ष डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन यह कैसे होगा ?

मेरी समझ में तो 1982–83 के बाद जो लेबर अनरेस्ट ईअर शुरूआत होने जा रहा है, इसमें सबसे ज्यादा मजदूर तबाह होगा, ज्यादा भयानक रूप से उग्र होगा और आपका उत्पादकता वर्ष का जो निर्णय है, वह समाप्त हो जायेगा ।

वेजेज बोर्ड में कौन लोग हैं ।

श्री धर्मवीर : आपने यही तय कर रखा है तो यही होगा ।

सभापति महोदय : रामविलास जी अब आप समाप्त करें ।

श्री राम विलास पासवान : मैं तो सोच रहा था कि आप घंटी बजायेंगे ।

सभापति महोदय : साधारणतया : थे नाम लेता हूं, जब समय बहुत हो जाता है ।

श्री राम विलास पासवान : मैं अभी समाप्त करता हूं ।

अभी हमारे साथी ने पालेकर अवार्ड के संबंध में कहा ।

पालेकर एवार्ड अभी तक पूर्ण रूपेण कहीं भी लागू नहीं हुआ है, व्यावहारिक रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है । नेशनल हैरेल्ड और कई एजेन्सीज में वेतन चार पांच महीने से बकाया है, बोनस तीन वर्ष से बकाया है । पालेकर ने अनुशंसा की थी कि जिला और डिवीजन के स्तर के पत्रकारों को वेतन का एक-तिहाई मिलना चाहिए था । सरकार ने उसके सम्बन्ध में कोई नीति नहीं बनाई है ।

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक बोलने की आजादी है, यूनियन बनाने की आजादी है । क्या उस आजादी को एसेंशल सार्विसिज (मेन-टेनेंस) एक्ट और नेशनल सिक्युरिटी एक्ट के तहत छीन नहीं लिया गया है ? मेरे पास पेपर का कटिंग है । सरकार द्वारा 16 एसेंशल सर्विसिज के नाम गिनाए गए हैं, लेकिन आखिर में यह जोड़ दिया गया है कि इसके अलावा जो भी लोक महत्व की सर्विसिज हों । इसका मतलब यह है कि सब सर्विसिज इसके अन्तर्गत आ जाती है । मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों कानून सरकार पर, देश पर और संविधान पर सब से बड़े कलंक हैं । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह इन कानूनों को वापस लेकर मजदूरों का जो अनरेस्ट ईअर आने वाला है, उसको वह रेस्ट दें ।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का विरोध करता हूं ।

श्री कुंवर राम (नवादा) : सभापति महोदय, श्रम मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते हुए अभी कई माननीय सदस्यों ने मंत्रालय की त्रुटियों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है । मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय और मंत्रालय को उससे अपने आप को चैतन्य करना चाहिए । इसमें कोई शक नहीं कि जितने भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी ने यह मान लिया है कि यह उत्पादकता का वर्ष है और इसका सम्बन्ध सीधे श्रम से होता

है । जब से प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी , ने उत्पादकता वर्ष का आह्वान किया, तभी से सब के दिमाग में यह बात है कि यह वर्ष श्रमिकों से ही सम्बद्ध है और अगर इस देश को इसका फलाफल मिलना है, तो वह श्रमिकों के माध्यम से ही मिल सकता है, चाहे वे इंडस्ट्री में काम करते हों और चाहे खेतों में ।

मंत्रालय की रिपोर्ट में जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं, वे हैं औद्योगिक सम्बन्ध, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम मजदूरी का है, श्रम शिक्षा का है, श्रमिक कल्याण का है, बाल श्रम का है, श्रमजीवी पत्रकार का है । कलकारखाने का है, खेतों में काम करने वालों का है । लेकिन जब मैं उसको देखता हूं तो मुझे कुछ क्षोभ भी होता है कि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये इन्होंने एक अच्छा खाका खींचा है । 33 वर्ष हुए आजाद हुए और संगठित मजदूर हैं उनके लिये एक अच्छा खाका तैयार किया है, उनके लिये व्यवस्था भी करते चले जा रहे हैं और उनकी बेहतरी के लिये भी काम कर रहे हैं । और इनके अनुदान मांगने का जो एक सिलसिला है और उस पर जो आपकी विवेचना है उसके आधार पर यह पता चलता है । लेकिन बहुत खेद लगता है कि श्रम मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कृषक मजदूरों के सम्बन्ध में, जो अभी तक प्रगति का सवाल उठाया है, प्रगति का जो दर्शन दिया है, उसको देखने से यह पता चलता है कि अभी भी लगता है कि पता नहीं 50 वर्ष और लगेंगे इस हुकूमत को खेतिहर मजदूरों की दशा को सुधारने में । अभी तक यह रास्ता तय नहीं कर सके हैं । केवल इतना ही फैसला कर सके हैं कि हर ब्लाक में आप एक आनरेरी आर्गेनाइजर देने जा रहे हैं । आनरेरी आर्गेनाइजर की बात इतने साल बाद आयी है और अब देने जा रहे है ...

सभापति महोदय : माननीय कुंवर राम जी समय बहुत कम है और मंत्री जी जवाव देना चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : (मधपुरा): सभापति जी, समय को थोड़ा वढ़ाया जा सकता है ।

सभापति महोदय : मैं नहीं जानता । मंत्री महोदय जानत हैं ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मंत्री महोदय को कोई एतराज नहीं है । इसलिये आधा घंटे का समय आप बढ़ा सकते हैं । सब पार्टियों के एक एक सदस्य तो बोलेंगे ।

श्री मूल चन्द डागा : मंत्री जी में बड़ी क्षमता है और आपकी भूमि के हैं ।

सभापति महोदय : आप संक्षेप में कहिये ।

श्री कुंवर राम : अगर मंत्रालय को, इतने बड़े सैट अप के दिमाग में यह बात नहीं आती हो एिक खेतिहर मजदूरों के भविष्य को कैसे ठीक कर सकें, तो मैं एक सुझाव देता हूं, अपने ऐक्सपर्टस को आप बैठायें जो उस पर विचार करें । आज तक इनके बड़े बड़े ऐक्सपर्टस रास्ता नहीं निकाल सके, और 33 वर्ष में पहाड़ को खोदा चुहिया निकली वाली मसल चरितार्थ होती है । हर ब्लाक में एक आनरेरी आर्गेनाइजर को नियुक्त करने जा रहे हैं जो असंगठित मजदूरों को संगठित करेंगे । इस संदर्भ में मैं यह सुझाव दे रहा हूं, मजदूरों के हित के लिये थोड़ी सी भूमिका में आप जायेंगे. . .

सभापति महोदय : मैंने शुरू में आप से कहा था, 10 मिनट आपके हो गये

[सभापति महोदय]

उसके बाद और भी बोलने वाले हैं और मंत्री जी जबाब देने वाले हैं । कृपया आप संक्षेप में बोलें ।

श्री कुंवर राम : आजादी मिली तो पंडित नेहरू ने नारा दिया औद्योगिक क्रान्ति का । जब उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी आये तो उन्होंने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया और जब श्रीमती इन्दिरा गांधी आयी तो उन्होंने नारा दिया "गरीबी हटाओ और समाजवाद लाओ" । इस नारे ने कुछ लोगों को तकलीफ भी दी, तो 1977 में एक परिवर्तन आया, कुछ संघर्ष लोगों ने किया ... कुछ बड़े-बड़े लोगों का राहत थी । हरित-क्रान्ति का सवाल उठा, समाजवाद और ग़रीबी हटाओ की बात चली तो उस से प्रतिक्रियावादियों को बहुत तकलीफ होने लगी । उस परिवेश में जो लोगों को तकलीफ हुई, तो 1977 में लोगों ने संघर्ष छेड़ दिया और श्रीमती इंदिरा गांधी को पद से हटा दिया । सभापति जी, आप घण्टी बजाते जा रहे हैं, आप थोड़ा रहम कीजिए ।

सभापति महोदय : रहम की कोई कमी नहीं है । यहां पर जो बैठता है, वही असली कठिनाई को जानता है ।

श्री कुंवर राम : अब मैं मजदूरों का सवाल रख रहा हूं । जितनी क्रान्ति इस मुल्क में आई, उससे उन ग़रीबों को कभी भी कोई लाभ नहीं मिला । हम 33 वर्ष की आजादी में उनको अभी तक संगठित नहीं कर सकते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में मैं सुझाव देना चाहता हूं । आप हर प्रखण्ड में दो पदाधिकारी रखिए—एक राजस्व के लिए और दूसरा विकास के लिए । विकास से और राजस्व से जो गांव में प्रभावित लोग हैं, उनको फायदा होता है, जो बीच के लोग होते हैं, उनको न तो राजस्व से फायदा होता है और न ही विकास से । उसकी झोपड़ी में आज भी एक इंट नहीं लगी हुई है । जिसके पास साधन है, पैसा है, वही उसका उपयोग करता है । कितनी बड़ी क्रान्ति की बात की जाती है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ग़रीबी हटाओ का नारा दिया, जो गांव में रहने वाले थे, उसको विफल बनाने का प्रयास किया । मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों के बीच में एक श्रम पदाधिकारी को देने की जरूरत है । वही सैटअप जो राजस्व में कर रखा है और आज वही विकास के लिए कर रखा है, अगर ऐसी व्यवस्था करेंगे तो मुझे यह कहने की जरूरत नहीं थी कि आपके एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में कभी भी इस चीज़ को नहीं दर्शाया है । जैसा मैंने कहा है, उसको करने से प्रशासन में पूरी शक्ति आयेगी और फिर प्रशासन चुस्त होगा । सभापति जी, आप बार-बार घण्टी बजाते जा रहे हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं । जब से माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का कार्य-भार संभाला है, तब से इसमें काफी सुधार लग रहा है । पहले ऐसा लगता था कि कोई इसका डिपार्टमेंट ही नहीं है । अब लगने लगा है कि कुछ-न-कुछ इसमें होने वाला है और मजदूरों के लिए सुधार होने वाला है ।

इन्होंने अपने छोटे से शासनकाल में जिस प्रकार का काम किया है, जिस प्रकार का सुधार लाने की कोशिश की है,

जिस प्रकार के कानून और कायदे लेबर की समस्याओं को दूर करने के लिए इस पार्लियामेंट के सैशन में लाने जा रहे हैं, वे निश्चित तौर पर स्वागतयोग्य है। सभापति जी, कांग्रेस की सरकार जब से इस देश में आई है, उसने मजदूरों के हितों में बहुत से कानून बनाए हैं। ये जितने इधर के बोलने वाले लोग हैं, ये शासक लोग हैं, शासन करने वाले हैं, इन्होंने कभी भी मजदूरों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आप देखिए---लेबर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उस में कहा गया है कि वेस्ट बंगाल ने सब से ज्यादा "मैन-डेज" लास्ट किये हैं। अगर किसी ने सब से ज्यादा देश का नुकसान किया है तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया है। उस सरकार ने ता० 19 को हड़ताल में शरीक हो कर इस प्रकार का नमूना पेश कर दिया जो दुनिया में आप को कहीं भी देखने का नहीं मिलेगा। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि उस जगह की सरकार ने हड़ताल कराई हो, लेकिन दुनिया में पहली मर्तबा वेस्ट बंगाल की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं---इस देश में भी इस प्रकार के लोग रहते हैं जो इस इस देश को बिगाड़ने के सिवाय, देश को कमजोर बनाने के सिवाय कोई दूसरा काम इस देश में नहीं कर सकते। इस प्रकार के लोगों से देश को सतर्क रहने की आवश्यकता है, वरना ये लोग देश की दशा को बिगाड़ने में कोई कोर-कसर नहीं रखेंगे।

मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा---आप ता० 19 की हड़ताल को देखिए---इण्टक के सिवाय और कौन सी यूनियन थी जो हड़ताल में शामिल नहीं हुई। ए० आई० टी० यू० सी०, सी० टू०, या दूसरे जो भी संगठन हैं सब ने इस बात की कोशिश की कि देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ा जाय, देश की शासन व्यवस्था को बिगाड़ा जाय जिस से यहां कोई सरकार कायम न रह सके। इन लोगों की करनी से इस बात का अन्दाज़ लगता है कि ये लोग जिस देशभक्ति की बात करते हैं उस में शकी-शुब्हा पैदा होता है, क्या ये लोग वास्तव में इस देश की भक्ति में विश्वास करते हैं? जब देश कमजोर होता है, देश का विघटन होता है, टुकड़े-टुकड़े होता है तो निश्चित तरीके से दुश्मन को अवसर मिलता है---देश की आजादी को बरबाद करने का, देश की स्वतन्त्रता खतरे में पड़ जाती है। इस प्रकार की स्थिति ये लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आप से निवेदन कर रहा हूं कि इन लोगों से सावधान और सतर्क रहिए। इनको ज्यादा प्रोत्साहन न दें। ये लोग डण्डे के बल पर कहते हैं कि बेरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। चुनाव की बात ये क्या कहते हैं? इसलिए कि लाठी के ज़रिए, बन्दूक के जरिए, चाकू और छुरी के ज़रिये मजदूरों को डरा धमका कर उन के वोट प्राप्त कर के उन पर काबू करना चाहते हैं :.. (व्यवधान) ... कितने वर्षों से मजदूर उन स्थानों में विश्वास रखते चले आ रहे हैं, कितने वर्षों से चन्दा देते आ रहे हैं, कितने वर्षों से उस संस्था को पनपाने में अपना योगदान दिया है, उन संस्थाओं के सदस्यों से डण्डे के बल पर वोट प्राप्त कर के रिकगनोशन ले जायं, यह प्रजा तान्त्रिक तरीका नहीं है। गांधी जी का मुल्क अहिंसा की बात में विश्वास करता है और ये लोग उस व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंसक प्रवृत्ति को पैदा करना चाहते हैं। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि वेरीफिकेशन की जो हमारी सरकार की नीति है वह निश्चित तरीके से सही है, उस का हमें पुरज़ोर तरीके से समर्थन करना चाहिए। यदि हम उस चीज़ को कायम रखेंगे तो सारी चीजें, सारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकेगी। ये मार्क्सिस्ट कम्यूनिस्ट लोग जिस तरह की धारणा के ज़रिए इस देश की व्यवस्था को बिगाड़ना

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

चाहते हैं, इस देश के उत्पादन को कम करना चाहते हैं, इस देश को आर्थिक स्थिति को कमजोर करना चाहते हैं, हम को और ज्यादा गरीब बनाना चाहते हैं, उसका मौका इन को नहीं मिलना चाहिए ।

हमारे श्रम मंत्री महोदय इस वर्ष सदन में 10–12 नये कानून ला रहे हैं—वे कानून हैं :—

> "दि इण्ड्रस्ट्रीयल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, इण्डस्ट्रीयल एम्पलायमेण्ट एक्ट, हास्पिटल एजूकेशनल इन्स्टीचुशन एण्ड पेमेण्ट आफ ग्रैचुइटी एक्ट, इम्मिग्रेशन बिल, आयरन ओर एण्ड लबर वेलफेअर फण्ड बिल, मेंगनीज एण्ड लेबर वेलफेयर बिल, पेमेण्ट आफ़ वेजेज़ बिल, मिनिमम वेजेज़ अमेण्डमेण्ट बिल, लाइमस्टोन, डोलोमाइट बिल, आदि ।"

इस प्रकार कई कानून वे ला रहे हैं । इस में मैं दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक मेरा सुझाव ग्रेचुएटी के सम्बन्ध में है

सभापति महोदय : मंत्री महोदय इस का जवाब देने वाले हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह होगा कि आप सुझाव ही दें । और भी जो अन्य माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, वह भी सुझाव ही दें, तो अच्छा होगा ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : सभापति महोदय, मजदूरों से सम्बन्धित यहां पर बात नहीं करेंगे, तो फिर कहां जाएंगे । इसलिए आप हमें बोलने दीजिए ।

ग्रेचुयेटी के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर खास तौर से ध्यान दें । ग्रेचुएटी पहले 15 दिन की एक साल में मिलती थी । जो मजदूर 5 साल तक काम कर लेता था, उस को साल में 15 दिन की ग्रेचुएटी मिल जाती थी लेकिन अब कानून में परिवर्तन हो गया है । सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है कि जो मजदूर साल में 240 दिन काम नहीं करेगा, उस का उस साल का ग्रेचुटी नहीं दी जाएगी । इस के अलावा एक साल में 13 दिन की ग्रेचुएटी कर दी है । पहले 15 दिन की ग्रेचुएटी हर साल मिलती थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से इस प्रकार का फैसला हुआ है, जिस में इस को घटा कर 13 दिन की ग्रेचुएटी कर दी । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मजदूर को साल में 15 दिन की ग्रेचुएटी मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है, उसको देखते हुए आप इस सम्बन्ध में कोई ऐसा माकूल कानून लाएं, जिस में इस प्रकार की व्यवस्था हो ।

एक बात और यह कहना चाहता हूं कि डोलामाइट और लाइमस्टोन के मजदूरों के लिए एक वेलफेयर एक्ट यहां पर लागू है । इसी प्रकार की चीज सोप-स्टोन के बारे में होनी चाहिए । सोप-स्टोन भी वैसे ही पत्थरों में से निकलता है । उस में भी उसी प्रकार के लेबर के कानून और कायदे लागू हैं और सैस भी आप ने लगाया है लेकिन वेलफेयर एक्टिविटीज का फ़ायदा उन को कुछ नहीं मिलता । इन्हीं पत्थरों में से वह निकलता है । इस-लिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट के साथ सोप-स्टोन को भी आप जोड़ दें, जिस से उन के लिए भी वेलफेयर एक्टिविटीज हो और इस में लगे लेबर को भी मजबूती

मिल जाए। अगर आप ने यह कर दिया तो इस से बहुत बड़ा फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा। इस सम्बन्ध में भी आप को कुछ कदम उठाने चाहिएं।

एक बात की ओर और आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है पेमेण्ट आफ़ मिनीमम वेजेज एक्ट के बारे में। जो कांट्रेक्ट लेबर है, वह पेमेण्ट आफ़ मिनीमम वेजेज एक्ट के अन्तर्गत दावा नहीं कर सकता और इस तरह से उस को कुछ रिलीफ नहीं मिलता। जो रेगूलर मज़दूर हैं, उन को पेमेण्ट आफ़ मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत फ़ायदा मिलता है, पेनेल्टी भी मिलती है और सब तरह के फ़ायदे मिलते हैं लेकिन कांट्रेक्ट लेबर के बारे में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस सम्बन्ध में आप को कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए, जिस से कांट्रैक्ट लेबर को इन सब बातों का फ़ायदा मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्था करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेबिल पर और स्टेट लेबिल पर जो आप के रीजनल लेबर कमिश्नरों के दफ्तर बने हुए हैं, वहां की व्यवस्था ठीक नहीं है। वे मज़दूरों के हिमायती न हो कर जो पैसे वाले खानों के मालिक हैं, उन के पक्ष की ही बात करते हैं। वहां पर जो आप के अधिकारी हैं, वे मज़दूरों के हितों की बात नहीं करते हैं। उन के सम्बन्ध में निश्चित तरीके से कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे मज़दूरों को लाभ पहुंचे। मैं माइका की बात करता हूं। वहां पर वे लोग पूंजीपतियों की मदद करते हैं। जब हम कहते हैं कि मज़दूरों को पर्मानेन्ट बनाओ ताकि उन को फ़ायदा पहुंचे, तो ये जो आदमी आप ने वहां बैठा दिये हैं, ये पूंजीपतियों की मदद करते हैं। होता क्या है कि एक साल एक नाम, दूसरे साल दूसरा नाम और तीसरे साल तीसरा नाम रख दिया जाता है और इस तरह से वे कभी भी पर्मानेन्ट नहीं हो सकते। इस प्रकार के अधिकारी वहां पर बैठा दिये हैं, जो सारे के सारे गलत काम करते हैं। आपने वहां पर एक एसिसटेंट लेबर कमिश्नर बैठा दिया है। एक एल० ई० ओ० जिसको शायद लेबर इवैलुयेशन आफ़िसर बोलते हैं, बैठा दिया है। हमारे यहां भीलवाड़े का एक आर्बीट्रेशन का केस उस को सुपुर्द कर दिया। हमको वहां पर 7 रुपये सोप-स्टोन में मिलता था। उसने आर्बीट्रेशन में उसको 6 रुपये 65 पैसे कर दिया। जब 7 रुपये हमें मिल रहा था, तो हमारी लड़ाई ज्यादा के लिए चल रही थी लेकिन उसके बावजूद 6.65 रुपये आपने आफर किया, आपके डिपार्टमेंट ने आफर किया। यह एल० ई० ओ० जो है, उसके बजाए एसिसटेंट लेबर कमिश्नर आपने बनाया और हमारी छाती पर उसको रखा ताकि हमारे मज़दूरों का वह बराबर शोषण करता रहे। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर की गई है और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ़ दिलाना चाहता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : यह मामला बहुत गंभीर है और इस मामले में मैं इनको सपोर्ट करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : दूसरा मेरा निवेदन एम्प्लाईज स्टेट इंश्योरेंस के संबंध में है। इसमें आपने बहुत प्रगति की है, बहुत काम किया है। मगर हमको इस से संतोष नहीं है। क्योंकि हमारे मज़दूरों को अच्छी-अच्छी दवाइयां नहीं मिलती हैं। डाक्टर लोग उनको घटिया किस्म की दवाइयां देते हैं और उससे उनकी बीमारी दूर नहीं होती है। उनको उनके मुआवजे का भी पूरा पैसा नहीं मिलता है। भीलवाड़ा

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

एक औद्योगिक केन्द्र है। वहां पर भी एक अस्पताल स्थापित होना चाहिए ताकि वहां के मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके।

हमारे यहां मेवाड़ टेक्सटाइल मिल के ओनर सेठ सम्पतमल लोढा हैं। उनकी तरफ ई० एस० आई० का साढ़े तीन लाख रुपया बकाया है। उस पैसे की वसूली के लिए क्लैक्टर के पास से डिग्री भेजी जाती है लेकिन आप के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की पूंजीपतियों से मिलीभगत होने के कारण पैसे की वसूली नहीं की जा रही है। इस तरह से वहां पर हालत खराब हो रही है। मैं आपसे मांग करता हूं कि आप इस पैसे को वसूल करके मजदूरों को फायदा दीजिए।

प्रोविडेंट फंड के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक बहुत बड़ा महकमा है। माननीय वित्त मंत्री महोदय एल० आई० सी० को पांच टुकड़ों में बांट रहे हैं लेकिन जो प्रोविडेंट फंड का इतना बड़ा महकमा है जिसमें कि सात हजार करोड़ रुपये जमा हैं...

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : सात नहीं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जितना भी जमा हो, उस पैसे की मजदूरों को दस-दस साल तक रसीद नहीं मिलती है। जब उसको इतने सालों तक रसीद नहीं मिलेगी तो वह कैसे शादी के लिए, बीमारी के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा ले सकेगा। हमारे यहां जितनी भी मिलें या माइंस चलती हैं सभी में यह हालत है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा के मालिकों की तरफ बीस लाख रुपया प्रोविडेंट फंड का बकाया है। आपका डिपार्टमेंट उसे वसूल नहीं कर रहा है। वे बराबर हेराफेरी करते हैं। उसके मैनजिंग डायरेक्टर सेठ सम्पतमल लोढा से पैसा आज तक वसूल नहीं हुआ है। मैं बराबर दो साल से इस पार्लियामैंट में कहता आ रहा हूं मगर इसके संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे लोगों के खिलाफ 406 और 409 में सीधा केस बनता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जाता। इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ किया जाना चाहिए।

कैजुअल लेबर के संबंध में मैं माननीय श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 180 दिन जिन मजदूरों ने काम कर लिया है उन मजदूरों को पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिएं।

हमारे यहां राजस्थान सरकार के नीचे पब्लिक सेक्टर में मजदूर काम करते हैं और वहां प्राइवेट सैक्टर में भी मजदूर काम करते हैं। आप सभी को देख लीजिए। राजस्थान सरकार का चाहे पी० डब्ल्यू० डी० डिपार्टमेंट हो, चाहे इरीगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सब में करीब एक लाख मजदूर हैं। जब 1972 में कांग्रेस सरकार थी तो यह निर्णय किया गया था कि जिस मजदूर को दो साल से ज्यादा काम करते हो गये हैं उसको परमानेंट कर दिया जाएगा। मगर जब 1980 में प्रेजीडेंट रूल आया तो उस डिसीजन को ताक पर रख दिया गया और इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इन डिपार्टमेंट में दस-दस साल से ज्यादा से लोग काम कर रहे हैं। न उनको स्थायी किया गया है और न उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं दी गयी हैं। इसलिए आपका निश्चित फर्ज बनता है कि आप राजस्थान सरकार से कहें कि पी० डब्ल्यू० डी० वाटर वर्क्स, बिजली विभाग और दूसरे विभागों में जिनमें कि कैजुअल वर्कर्स हैं और जो दो साल से काम कर रहे हैं उनको परमानेंट

किया जाय और उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : इस पर विचार विमर्श और आगे बढ़े, इसके पूर्व बहुत नमतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष की दृष्टि इस पर रहती है कि कितना समय है और कितने बोलने वाले हैं।

...अध्यक्ष अगर बार-बार समाप्त करने के लिए कहें और उसके निवेदन को अनसुना करते हुए बोलते चले जाएं तो कैसे काम चलेगा। इस प्रकार से कार्यवाही चलाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। इसलिए मैंने नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि जो कोई भी इस आसन पर हो, जब तक आप माननीय सदस्यगण सहयोग प्रदान उसे नहीं करेंगे, तब तक वह गाड़ी नहीं चला सकता।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : हरिकेश जी खड़े हुए हैं, इन का विशेष ध्यान रखना आप।

सभापति महोदय :.. आप भी ध्यान रखें हां, श्री जटिया जी, आप 5 मिनट में अपनी बात कहिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : सभापति महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है। श्रम विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है और बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि एक घंटे के लिए समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : समय बढ़ाएंगे तब भी किसी तरह से पार तो लगे उसका प्रयास होना चाहिए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी, हम श्रम मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय सरकार के सभी प्रमुख मंत्रालयों का आधार है। मुझे यह कहते हुए बड़ा अचरज होता है कि सरकार के अन्दर श्रम मंत्रालय को उचित दर्जा नहीं दिया जाता। इसलिए मैं मांग करूंगा कि श्रम मंत्रालय की महत्ता को उचित रूप से आंका जाए।

आज देश भर में उत्पादन वर्ष की बात हो रही है।

"श्रम-एव-जयते" कहेंगे, "श्रमनू बिना न सिद्धयते"

यह बातें कहेंगे, लेकिन श्रम का सम्मान ठीक से न हो सके, श्रम मंत्रालय को ठीक से दर्जा न मिल सके तो यह औचित्यपूर्ण बात नहीं होगी।

सभापति जी, श्रम विभाग का हमारे देश में निश्चितरूप से बहुत महत्व रहा है, श्रम की आधारभूत मान्यता मानने वाला हमारा देश रहा है। हमारे देश में विश्वकर्मा की पूजा होती है। इसलिए श्रम की महत्ता को जानना, श्रमिकों को न्यायोचित अधिकार देना हम सब का कर्त्तव्य है।

श्रम विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। आज सारे हिन्दुस्तान में संगठित और असंगठित मजदूर हैं। सरकारी महकमों में, संस्थानों में हजारों लोग काम करते हैं जो संगठित क्षेत्र में हैं और खेतीहर मजदूर, ईंट के भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, बाल श्रमिक हैं ठेकेदारों के यहां काम करने वाले मजदूर जो असंगठित क्षेत्र में हैं, उनको उचित हक नहीं दिया जाता। इसलिए मैं श्रम मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

[श्री सत्यनारायण जटिया]

सरकार की नीति समय-समय पर बदलती रहती है। सरकार की मान्यता के आधार पर यूनियनें चलती हैं। सरकार और श्रम विभाग द्वारा जो नियम बनाये गए हैं, उनके आधार पर समय-समय पर यूनियनों को वाजिब मान्यता मिले, ऐसी बात होनी चाहिए। जो यूनियनें सरकार का समर्थन करती हैं, जैसे इंटक, उनकी बात ज्यादा सुनी जाए, ऐसी बात सरकार के अन्दर नहीं होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में औद्योगिक अशांति पैदा होती है और ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं जिनमें श्रम विभाग की मशीनरी ठीक से काम नहीं कर पाती। श्रम मंत्रालय के काम में अड़चनें भी बहुत आती हैं। बहुत से मंत्रालय इसके काम में हस्तक्षेप करते हैं और ठीक से काम नहीं करने देते।

बंबई की कपड़ा मिलों की हड़ताल के बारे में मैं नहीं कहना चाहता परन्तु वस्तुस्थिति सरकार जानती है। सरकार को यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि इस क्षेत्र में शायद इंटक को मैदानी मान्यता प्राप्त नहीं होगी। जिन लोगों को मान्यता प्राप्त नहीं भी है उन सब लोगों को बुला करके उनके साथ बात कर के उस उद्योग को चालू किया जा सके इसकी कोशिश आपकी तरफ से होनी चाहिये। उत्पादन वर्ष में उत्पादन जारी रह सके यह आपको सोचना चाहिये और इसके आपको उपाय करने चाहिये।

उज्जैन में विनोद मिल बन्द पड़ी है। मिल मालिकों ने करोड़ों रुपये का गबन किया है, प्राविडेंट फंड मजदूरों का हज्म कर लिया है, करोड़ों रुपया उनको बिजली का देना बाकी है, पानी का पैसा उन्होंने नहीं दिया है। मजदूर आवाज उठाते हैं। उन पर दमन चक्र चलाया जाता है। इसके बारे में श्रम मंत्री जी से बार-बार निवेदन किया जा चुका है। मुझे लगता है कि श्रम मंत्रालय के पास कोई शक्ति नहीं है, उस का कोई जोर नहीं है, उसकी चलती नहीं है, उस में कुछ ताकत नहीं है और उसकी बात कोई मानता नहीं है। मेरा सुझाव है कि श्रम मंत्री को कैबिनेट स्तर का दर्जा दिया जाए और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इस विभाग को प्रधान मंत्री के अन्तर्गत कर दिया जाए। इससे इसका महत्व बढ़ जाएगा। इस मंत्रालय को महत्वपूर्ण मंत्रालय बनाया जाना चाहिये।

बोनस का मसला भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोनस दे कर आप किसी पर कृपा नहीं करते हैं, यह आपकी अनुकम्पा का प्रतीक नहीं है। मजदूर का यह हक है। यह डैफर्ड वेज है, विलम्बित वेज है। यह हक उसको मिलना चाहिये। सभी वर्कर्ज को बोनस मिलना चाहिये। जितने भी श्रम करने वाले हैं मेहनतकश हैं उनको बोनस मिलना चाहिये। ईज वेज अर्नर शुड गैट बोनस।

रेल मंत्रालय, डाक तार आदि मंत्रालयों को आप लें। इन सब विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की परिस्थितियां अलग-अलग हैं। कहीं-कहीं दो-दो यूनियज हैं जिन को मान्यता मिली हुई है। उनकी बात को सुना जाता है और जहां मानना हो माना भी जाता है। लेकिन इनके अलावा रजिस्टर्ड यूनियज भी हैं जिन की बात को सुना ही नहीं जाता है। इतना ही नहीं कि सुना नहीं जाता बल्कि इस प्रकार से सक्युंलर भी इशू किए जाते हैं कि उनकी बात को सुना न जाए। ऐसी व्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र में कैसे शान्ति बनी रह सकती है, यह प्रश्न वाचक चिन्ह बना हुआ है।

बिना किसी भेदभाव के, मतभेदों के रहते हुए श्रम मंत्रालय को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिये और श्रम मंत्री को शक्ति इसको करने के लिए पहुंचाई जानी चाहिये, उन में क्षमता पैदा की जानी चाहिये कि वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकें ।

माइका उद्योग को आप लें । उस में दो लाख मजदूर काम करते हैं । चालीस करोड़ से ज्यादा की इस उद्योग से फारेन एक्सचेंज की कमाई होती है । इस में काम करने वाले मजदूरों को पांच छः रुपये से अधिक मजदूरी नहीं मिलती है । इस पर आप ध्यान दें । औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंज के ऊपर आप ध्यान दें । प्रदूषित वायुमंडल में जो उनको काम करना पड़ता है, उसकी ओर आपका ध्यान जाना चाहिये । बिजली घरों की चिमनियों से राख निकलती है और उस राख के अन्दर मजदूरों का जीवन खाक हो जाता है । इस पर आप ध्यान दें । मंदसौर में स्लेट पैंसिल बनाने का काम चलता है । सिलीकोस नाम की बीमारी मजदूरों को इससे हो जाती है जो टी बी से भी अधिक भंयकर बीमारी है । उनके जीवन के लिए इससे खतरा पैदा होता है । मजदूरों के वेलफेयर पर आपको ध्यान देना चाहिये, उनके हितों की आपको ठीक प्रकार से देखभाल करनी चाहिये । यह आपसे अपेक्षा की जाती है ।

इस विभाग को मजबूत बनाया जाना चाहिये । जो यह मशीनरी है इसको समर्थ बनाया जाना चाहिये । निष्पक्ष रूप से यह काम कर सके, श्रमिकों और मेहनत-कशों के हित में काम कर सके, इस काबिल इसको बनाया जाना चाहिये, इस योग्य इसको बनाया जाना चाहिये । यही मेरा आप से निवेदन है ।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, बहुत कम समय में मैं अपने विचार आपकी सेवा में रखूंगी ।

कांग्रेस आई को सत्ता में आए हुए 27 महीने हो गए । 27 महीने के जनता पार्टी के राज से हम इनकी तुलना कर सकते हैं । मैं आपका ध्यान रिपोर्ट नं० 1 के पीछे जो एक ग्राफ दिया गया है उसकी ओर दिलाना चाहती हूं । यह वर्कर्ज एजुकेशन के बारे में है । यह ग्राफ बताता है कि किस प्रकार से काम जनता पार्टी के राज में हुआ था और किस प्रकार से कांग्रेस आई के राज में हुआ है । यह एजुकेशन 1977 में 150,000 वर्कर्ज को मिल रही थी । 1979 तक उनकी संख्या बढ़ कर 290,000 हो गई । इसका मतलब यह हुआ कि 140,000 और वर्कर्ज को एजुकेट करने की, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश की गई । अब आपके राज में क्या हुआ । कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुई । लाइन ऐसे ही सीधी चली जा रही है । जितना हो रहा था उतना ही आज आपके राज में हो रहा है ।

टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स की एजूकेशन के बारे में भी वही बात है । जनता पार्टी के राज में 1977 में, जो 38,000 टीचर्स की ट्रेनिंग का काम चल रहा था, वह 57,000 हो गया । इसका मतलब यह हुआ कि 19,000 ज्यादा लोगों को वर्कर्स को ट्रेनिंग का लाभ मिला और आपके राज में 57,000 से 61,000 हो गया, उसका मतलब कि 4,000 । अब आप ही तय कीजिये ।

जैसे आपके राज में कहा जाता है कि फारेन एक्सचेंज खत्म हो गई, लेकिन

जनता पार्टी के राज में फारेन एक्सचेंज 2300 करोड़ रुपये से 5300 करोड़ रुपये हो गई, लेकिन आपकी दृष्टि में 5300 करोड़ कम है ।

अभी हमारे पहले वक्ता भी कह चुके हैं कि हमारे आज के लेबर मंत्री जो आजाद साहब हैं, उनके बारे में यह आशा है कि वह बहुत काम कर सकेंगे, अगर उनको एक साल तक काम करने देंगे तो । क्योंकि पिछले 27 महीने में 5 मिनिस्टर बदल गये । मैं समझती हूं कि यह मिनिस्टर तो बदली के अन्दर हो गये हैं और इनको विदाउट नोटिस निकाल दिया जाता है । ये कुछ काम नहीं कर सकते हैं । जो आश्वासन यहां पर देते हैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं । पिछले साल तिवारी जी ने जो कुछ यहां कहा था, उसकी जिम्मेदारी आज के मिनिस्टर पर कैसे रहेगी ? मेरे ख्याल में कम-से-कम एक साल आप बने रहे, और एक साल के बाद जब हम मिलेंगे तो आप अपनी मिनिस्ट्री के बारे में आपने क्या किया है, वह बता सकेंगे ।

सभापति महोदय : आश्वासन तो सरकार की ओर से देते हैं ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : : सच्चे मायनों में

the Labour Ministry has become an irrelevant Ministry. Unfortunately, Mr. Bhagwat Jha A ad is holding charge of an 'irrelevant portfolio'.

एक माननीय सदस्य : यह इर्रेलेवेन्ट कैसे हो गया ?

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्योंकि इस प्रकार की हालत है । उनकी जिम्मेदारी नहीं है, यह हो गया । इसका कारण है कि यह दृष्टि है वर्कर की ओर देखने की ।

एमर्जेंसी के समय, जो अधिकार थे, बोनस इम्पाउन्ड कर दिया, सी०डी०एस० लगा दिया, वर्कर्स के सारे स्ट्राइक के अधिकार निकाल दिये, उनके कलैक्टिव वार्गेनिंग के अधिकार निकाल दिये गये, जनता पार्टी के आने के बाद इमीडिएटली उनको बोनस वापिस दे दिया गया, सी०डी०एस० दे दिया और कलैक्टिव वार्गेनिंग को औवलीगेटरी समझा गया । जब कलैक्टिव वार्गेनिंग कर के एग्रीमेंट होता है, तो वर्कर्स के को-आपरेशन से आप काम करना चाहते हैं ? वर्कर्स के लिये एसमा और एन एस ए आपने रखा है । यह आपको तय करना है ।

श्रम मंत्रालय में आप 95 परसेंट आफ लेबर फोर्स पर विचार करते हैं । 83 परसेंट आफ दी लेबर फोर्स अन-आर्गेनाइज्ड है, उसके लिये भी आपको बहुत कुछ कदम उठाने हैं ।

मैं जानती हूं कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अगर करना है तो आपकी पहली ड्यूटी यह होनी चाहिये कि कि आप जो प्रोडक्टिविटी ईयर है, उसके लिये आप किस को इन्सैंटिव देना चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट को या वर्कर्स को देना चाहते हैं ?

मैं आपको यह इसलिये बताती हूं, मि० दंडवते इस समय यहां नहीं हैं, जब जनता पार्टी का राज आया था, तो 1974 में जो रेलवे मजदूरों को निकाला गया था, उन सब को वापिस ले लिया गया । उस समय बजट के समय 89 करोड़ का सरप्लस बताया गया था,

लेकिन इन वर्कर्स के सहयोग से वह 126 करोड़ का सरप्लस हो गया । क्योंकि उस समय इस प्रकार की भावना बनी थी । वह जनता पार्टी के राज्य में बनाने की कोशिश हो रही थी ।

16.54 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

30 साल में हमारे आजाद देश में अन-आर्गेनाइज्ड रूरल सैक्टर के लिये कुछ नहीं हुआ है । जनता पार्टी के राज्य में पहली मीटिंग हो गई ट्राइपार्टेट, उसकी वजह से रूरल डैवलपमेंट में लेबर के बारे में कुछ कदम उठाये गये । स्पेशल कान्फ्रेंस हो गई, एक पर्मानेन्ट बाडी बन गई जिस की वजह से रूरल वर्कर्स के लिये एक ठोस कदम उठाने की कोशिश हो गई । आप आगे चलकर कुछ कर सकते हैं । लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि लेबर मिनिस्ट्री ने कौन से डिस्प्यूट में अपने कुछ काम किये हैं ?

27 महीने में जब कभी सवाल उठा तो स्टीफन साहब ने अपनी मिनिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल हल करने की कोशिश की, लेबर मिनिस्टर नहीं थे, क्योंकि वह जगह पर बैठते नहीं हैं । उनको यहां से वहां, वहां से यहां भगा देते हैं । बेचारे लेबर मिनिस्टर क्या करें ?

एक माननीय सदस्य : वह बेचारे हो गये ?

श्रीमती प्रमिला दंडवते : लेकिन जनता पार्टी के राज्य में लेबर मिनिस्टर ने खुद डिस्प्यूट्स में काम किया और मैं आपको बताती हूं कि स्टील, कोल वगैरह में मजदूरों को 105 से 110 रुपये प्रति महीना ज्यादा तनख्वाह देने की व्यवस्था की गई ।

महाराष्ट्र में पी डी एफ के शासन-काल में बम्बई के टेक्सटाइल मजदूरों की तनख्वाह स्ट्राइक किए बगैर 50 से 65 रुपये तक बढ़ गई थी । आज बम्बई में स्ट्राइक चल रही है । अगर सरकार इंडस्ट्रियल रिलशन्ज में सुधार करना चाहती है, तो उसे यूनियन की रैकगनीशन की माडेलेटीज को बदलना पड़ेगा और सीक्रेट बैलट की व्यवस्था करनी पड़ेगी । यदि सरकार आर एम एम एस पर निर्भर करेगी, तो वह श्रमिकों के असंतोष को कम नहीं कर सकती । सरकार कहती है कि पहले स्ट्राइक को वापस लो, तब हम बातचीत करेंगे । इससे यह समस्या हल नहीं हो सकती ।

एक जमाना था कि महाराष्ट्र और बम्बई में टैक्सटाइल मजदूर होना एक प्रतिष्ठा की बात समझी जाती थी । आज हालत यह है कि टैक्सटाइल मजदूरों के मुकाबले में अन्य मजदूरों की तनख्वाहें और सुविधाएं बढ़ गई हैं । टैक्सटाइल मजदूरों की रेकगनाइज्ड यूनियन आर एम एम एस है, जो कि इनटक की यूनियन है कहा जाता है कि मिल-मालिक सिर्फ रैकगनाइज्ड यूनियन के साथ बात करेंगे । मैं बताना चाहती हूं कि मोदी नगर में स्ट्राइक हुई । वहां हिन्द मजदूर सभा के 14,000 सदस्य थे और इनटक के 55 सदस्य थे । लेकिन उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री कहते थे कि इनटक के साथ बात करनी चाहिए । वह स्ट्राइक 104 दिन तक चली । आखिर में प्रधान मंत्री ने संदेश भेजा और सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्टरवीन करना पड़ा ।

आज बम्बई में सब टैक्सटाइल मजदूर स्ट्राइक पर हैं । उन्हें काम पर जाने से रोकना नहीं पड़ता है । मेरे एक सवाल के जवाब में बताया गया कि 28 मिलें चालू हो गई हैं, 70,000 मजदूर वापस

[श्रीमती प्रमिला दंडवते]

काम पर आ गए हैं, स्ट्राइक फिजल आउट होने वाली है। लेकिन जब महाराष्ट्र के लेजिस्लेटर्ज वहां पर गए, तो उन्होंने देखा कि बहुत थोड़े-थोड़े लोग काम कर रहे हैं, जो मज़दूर नहीं हैं। आज भी वहां पर चार करोड़ रुपये रोजाना का घाटा हो रहा है। इस स्ट्राइक में कोई भी मज़दूर मिल के दरवाजे पर नहीं जाता है, क्योंकि वे सब अपने गांव में चले गए हैं। वहां पर शान्ति है, ला एण्ड आर्डर सिचुएशन नहीं बिगड़ी है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि टेक्सटाइल मज़दूरों की स्ट्राइक की उन्हें प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, उन लोगों के हितों की रक्षा करना उनका काम है, उन्हें इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए। मंत्री महोदय आज ही ऐलान करें कि सब यूनियनों के साथ बातचीत की जाएगी और आरबिट्रेशन के लिए कार्यवाही की जायेगी। मैं किसी यूनियन में काम नहीं करती हूं, लेकिन बम्बई के मज़दूरों ने आर एम एम एस के अध्यक्ष, श्री होसिंग, को परास्त कर के मुझे चुन कर यहां भेजा।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है, इस रिपोर्ट में उनके बारे में एक पन्ना भी नहीं, बल्कि सिर्फ एक पैराग्राफ है। 96 परसेंट स्त्रियां अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में हैं। सरकार को उनके बारे में कुछ करना चाहिए। आने वाले साल में स्त्रियों के बारे में केवल एक पैराग्राफ लिखने के बजाए पूरी किताब लिखी जाए कि उनकी क्या अवस्था है, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, क्या ईक्वल रीम्युनरेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है या नहीं, मेटर्निटी बेनिफिट्स और क्रेश की व्यवस्था की गई है या नहीं, वे सब डीटेल्ज दी जाएं। आर्गनाइज्ड सैक्टर से महिलाओं को निकाला जा रहा है। मेरा सुझाव है कि एक बिल ला कर प्रत्येक इण्डस्ट्री में मिल-ओनर और एम्प्लाईज़ पर नामिनल सेस लगा दिया जाए और स्टेट गवर्नमेंट तथा सैंट्रल गवर्नमेंट उसमें कांट्रिब्यूट करें। इस प्रकार मेटर्निटी बेनिफिट्स और क्रेश आदि की व्यवस्था एक सोशल रेसपांसिबिलिटी, , समाज की ज़िम्मेदारी, समझी जाएगी। इससे फ़ेमिली प्लानिंग के कार्यक्रम को भी लाभ हो सकता है।

बांडिड लेबर का जहां तक सम्बन्ध है, मैं गांधी पीस फाउंडेशन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि इस सरकार को उससे एलर्जी है। लेकिन उस संस्था ने बांडिड लेबर के बारे में एक सरवे किया है। सरकार भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कितने बांडिड लेबर हैं। लेकिन माइग्रेण्ट लेबर और बांडिड लेबर में फ़र्क बहुत कम है। माइग्रेण्ट लेगर की हालत हरियाणा में मैं खुद देख कर आई हूं। पता नहीं वे माइग्रेण्ट लेबर हैं या बांडिड लेबर हैं। जनता पार्टी के राज्य में 1979 में पहली बार इस बारे में कानून बना। वह अक्तूबर, 1980 में गज़ेट किया गया। सरकार ने उसके बारे में अभी तक क्या किया है ?

17.00 hrs.

अगर आप उस पर कार्यवाही करते तो आज जो हरियाणा में किल्न वर्कर्स, कांट्रेक्ट वर्कर्स और एशियाड में काम करने वाले मज़दूर हैं उनकी हालत सुधारने के लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में हमारे सामने जो खबरें आ रही हैं वह मुझे लगता

है कि श्रम मंत्रालय के लिए शोभाजनक नहीं है। हमारे मंत्री महोदय कुछ ठोस कदम उठायें। महिलायें मांग कर रही हैं कि नेशनल कमीशन ऑन वीमेन होनी चाहिए। The National Committee on Women is not going to satisfy the needs of women कमेटी बनाने से उनके सवाल हल नहीं होंगे। मेरा निवेदन है कि हमारी जो मांग है कि देश में रोजगार उपलब्ध किया जाये, हैल्थ, ऐमप्लायमेंट के बारे में जो मांग हैं इस मांग को आप मान लें।

अन्त में एक बात फिर कहूंगी कि बम्बई के टैक्सटाइल्स वर्कर्स का सवाल हल करने के लिए आप उसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें। आपको जल्दी कुछ स्टैप्स लेने चाहियें। अगर ऐसा आप करेंगे तो 19 तारीख को स्ट्राइक नहीं होगी। नहीं तो उस से सारी हवा बिगड़ जायगी और प्रोडक्टिविटी आपकी खतरे में पड़ जायगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The time allowed to his party is three minutes.

SHRI R.P. YADAV: Can I sit down without speaking? I shall take some more time.

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is for your information. You can take fiv minutes.

श्री राजेन्द्र प्रसद यादव (मधेपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1982 का उत्पादकता वर्ष घोषित किया है और उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने "श्रमेव जयते" का नारा दिया है। ठीक ही है जब तक श्रम मजदूर किसी मुल्क का संतुष्ट नहीं होगा तब तक उत्पादकता नहीं बढ़ सकती। लेकिन क्या इस मुल्क का मजदूर संतुष्ट है? यह देखना चाहिए इसका जवाब मैं एक शब्द में कह सकता हूं कि कतई नहीं। मजदूर को दो भाग में बांट सकते है। एक संगठित और दूसरा असंगठित। संगठित मजदूर वह हैं जो कल-कारखानों में काम करते है और असंगठित मजदूर वह जो खेतों में, ईंट के भट्टों में काम करते हैं या चाइल्ड लेबर हैं। संगठित मजदूर के लिए आपने देखा ज्यादा दिन नहीं हुए सरकार की तरफ से जो काला कानून लाया गया, जो उनके संवैधानिक अधिकार पर रोक लगाई गई हड़ताल करने पर। दूसरी तरफ असंगठित मजदूर की हालत देखें, खासकर के ग्रामीण मजदूरों की हालत बहुत खराब है। हमारे यहां आज से 25 वर्ष पहले जो दिन भर की मजदूरी में तीन किलो प्रति दिन अनाज दिया जाता था वह आज भी कायम है। इतनी महंगाई बढ़ गई उसके बाद भी वही रेट है। कानून में संशोधन हुए होंगे मिनिमम वेजेज के बारे में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं देखता है। देश के विभिन्न प्रदेशों में लैंड सीलिंग ऐक्ट लागू हैं, लेकिन वास्तव में कहां लागू हो रहे हैं इसको श्रम मंत्रालय को देखना चाहिए कि वास्तव ; लैंड सीलिंग ऐक्ट लागू हुआ कि नहीं।

हमारे प्रदेश में बटाईदार का कानून है। बटाईदार को तीन चौथाई मिलना चाहिए और मालिक को एक चौथाई मिलना चाहिए। जब कि हकीकत में बटाईदार को आधा भी नहीं मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कहने के लिए पूंजीवादी मुल्क अमरीका है वहां पर बटाई दार को 6 बटे 7 हिस्सा मिलता है और मालिक को 1 बटे 7 मिलता है। तो हम कहने के लिये तो सोशलिस्ट समाज हैं क्या हम उसकी भी बराबरी कर पाये हैं? इस ओर मंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिये।

हड़ताल और तालाबन्दी से काफी देश को क्षति होती है। यदि आप आंकड़े देखें जोकि

[श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव]

सरकारी हैं तो 1980 में 18.93 मिलियन मैन डेज का लौस हुआ और 1981 में 22.56 मिलियन मैन डेज का लाभ हुआ । तो यह बढ़ोत्तरी क्यों है ? यह आपके ही आंकड़े हैं । एक तरफ़ "श्रमेव जयते" का नारा देते हैं और दूसरी तरफ इनके हिसाब से मैन डेज लौस आप देख सकते हैं । बदकिस्मती से यहां यह सरकार हड़ताल की भाषा समझती है । क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि मजदूरों की वाजिब मांगों पर उनकी हड़ताल हो जाने से पहले ही विचार किया जाए और जो वाजिब हों, उनको मान लिया जाए । मैं समझता हुं इससे देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा । इस संदर्भ में एक-दो बातें मैं कहना चाहता हूं । आज जो देश की स्थिति है, मजदूरों की, मैं समझता हूं कि 1975–76 की स्थिति है, यह बात ठीक है । मजदूर चाह कर भी अपनी बात नहीं कह सकते हैं । मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि तूफ़ान आने से पहले ही मंत्री जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए । इस मुल्क का मजदूर जिस तरह से 1976 में जागा था, कहीं ऐसा न हो कि फिर जाग जाए और उस आग में आप भी झुलस जायें । मंत्री जी बहुत सक्षम हैं और बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वे इस ओर ध्यान देंगे और इसको दूर कर पायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं कैजुयूअल लेबर के बारे में कहना चाहता हूं, जिनकी हालत बहुत ही बदतर है । रेल मजदूरों के साथ काम करने और उनको देखने का सौभाग्य मिला है । बहुत से लोग तो 10–10, 12–12 साल तक लगातार काम करते हैं, लेकिन फिर भी कैजुयूअल हैं । जब कि कैजुयूअल लेबर 180 दिन से ज्यादा काम नहीं करता है । इस संबंध में एक नहीं अनेक उदाहरण हैं मैं आपको दे सकता हूं , जहां पर लाखों मजदूर कैजुयूअल लेबर हैं । इस पर मंत्री जी को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि वे अपने वायदे पर कायम रह सकें और लोगों को आपकी सरकार में विश्वास हो ।

नारा "श्रम-एव-जयते" का दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इसको "श्रम-एवक्षयते" होना चाहिए । श्रम की बात नहीं होती है, बल्कि उनको हर जगह तबाह किया जाता है, परेशान किया जाता है, डराया जाता है धमकाय ाजाता है, नौकरी से निकाला जाता है । अभी भी हजारों लोग निकले हुए हैं, नौकरी से । लेकिन उनके मुंह में आवाज नहीं है, इनके डिफ्रेंट कानूनों के चलते, इनके सामने वे आ नहीं सकते हैं ।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है, जो कि देश के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं । जैसा कि इनकी रिपोर्ट में बताया गया है, मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । रोजगार दफ्तर में वन-एम्प्लायमेंट की संख्या अक्टूबर 1980 तक 159.53 लाख थी, 1981 अक्टूबर तक 174.24 लाख हो गई । इस प्रकार सालाना बढ़ोतरी 9.2 प्रतिशत हुई । यदि यही रफ्तार चलती रही और खास कर पढ़े-लिखे बेरोजगार, तो एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है । जो उनके लिए औप देश के लिए भी खतरनाक है इसलिए आवश्यक है कि मंत्री महोदय इस पर विशेष रूप से ध्यान दें ।

सभापति महोदय, आज की शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने की भी जरूरत है । मेरी समझ में नहीं आता है कि जो शिक्षा अंग्रेजों के जमाने से चल रही है, वह आज भी चल रही है, मैट्रीक्यूलेशन यदि कोई पढ़ लेता है, तो वह अपने हाथ से काम नहीं करना चाहता है । इस सिस्टम की ओर भी ध्यान देना होगा, जिसको कि आज तक नहीं बदला जा सका है । उन लोगों को नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन के काम में योगदान होना चाहिए । इसलिए मैं माननीय मंत्री का ध्यान खींचना चाहता हूं और चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल

परिवर्तन करके वे देखें कि यहां के लोग यहां के नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन के काम में अपना योगदान दे सकें ।

एक दो शब्द में इम्प्लाइज़ प्रोवीडेंट फंड के बारे में कहना चाहता हूं । मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां के बारे में एक बात कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष जी, बिहार में एम्प्लाइज़ प्रावीडेन्ट फण्ड का कवरेज जान कर नहीं किया जाता है । खास कर "टिस्को", "टेलको" में कान्ट्रैक्ट लेबर को आज तक कोड नम्बर नहीं दिया गया है । डीसैन्ट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के लिये आवश्यक है कि ज्यादा से ज्यादा प्रावीडेन्ट फण्ड के दफ्तर खोले जायं । हम मांग करेंगे कि बिहार के विभिन्न भागों में जैसे जमशेदपुर का मैंने उल्लेख किया, भागलपुर की बात कही, वहां इस तरह के दफ्दर खोले जायं ताकि वहां के मज़दूरों को भी कवर किया जा सके ।

अब मैं दो-तीन बातें कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा । 35 वर्षों से आज तक न सरकार की कोई नेशनल वेज पालिसी बन पाई है और न नेशनल लेबर पालिसी बन पाई है । इस उत्पादकता वर्ष में हमें इस तरह की कोई नेशनल वेज पालिसी तथा नेशनल लेबर पालिसी बनानी चाहिये ।

पालेकर एवार्ड मेण्डेटरी है, लेकिन अभी तक उसको सब जगह इम्प्लीमेन्ट नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस तरफ़ तुरन्त ध्यान दे ।

अन्त में मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं आग्रह करूंगा कि जिन बिन्दुओं की मैंने अपने भाषण में चर्चा की है वे अपने उत्तर में उनके सम्बन्ध में बतलायेंगे तथा उनकी पूर्ति की ओर ध्यान देंगे ।

श्री कमलनाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम विभाग की मांगों का समर्थन करते हुए, चूंकि आपकी समय की तलवार कच्चे धागे में लटकती रहती है, इसलिये जल्दी में कुछ बातें कहना चाहता हूं । सदन में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य सरकार पर आरोप लगा सकते हैं, जनतन्त्र है, और हम सरकारी पक्ष के लोग भी विरोधियों पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, इस सदन में हम लोग जो चुन कर आये हैं उनमें 100 में से 80 देहाती क्षेत्रों से चुन कर आये हैं और हम में से जो लोग डिस-आर्गेनाइज्ड सैक्टर की बात करते हैं, खेतिहर मज़दूर, बंधुआ मज़दूर, क्वेरी मज़दूर, ये सब मज़दूर देहाती क्षेत्र के मज़दूर होते हैं, सब देहात के लोग होते हैं । अगर क्राप-शेअरर (बटाईदारों) को भी एग्रीकल्चर लेबरर मान लें, जोकि मानना चाहिये , तो हिन्दुस्तान में 30 करोड़ मज़दूरों की आबादी गांवों में रहती है और इन 30 करोड़ मज़दूरों के प्रतिनिधि इस सदन में 80 प्रतिशत हैं ।

85 per cent Members of Parliament represent those constituencies where these unorganised labour reside.

हम सरकारी पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, विरोधी पक्ष पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हमको, आपको, इतिहास से डरना चाहिये, इतिहास किसी को माफ़ नहीं करेगा कि हिन्दुस्तान की संसद में 35 वर्षों तक गांवों के गरीबों के प्रतिनिधियों ने, जो यहां 100में 80 बैठे हुए थे, शहर में काम करने वालों के लिये दर्जनों कानून बनाये, फैक्टरीज़ एक्ट, स्टैंडिंग आर्डर्ज एक्ट, प्राविडेन्ट फण्ड एक्ट, एक्सीडेन्ट एक्ट, बोनस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, लेकिन भारत का इतिहास साक्षी है कि गांव में चिलचिलाती धूप में, गरजती हुई वर्षा में, हड्डियों को सुखा देने वाले जाड़े में, काम करने वाले मज़दूरों के लिये कोई कानून नहीं बनाया । इस सदन में हरिजन और आदिवासियों के लिये इतने आंसू बहाये जाते हैं कि यह सदन

[श्री कमल नाथ झा]

डूब जाय, माइनारिटीज़ और पिछड़ी-जातियों का रात-दिन उल्लेख किया जाता है--ये चार वे वर्ग हैं जिन के लिये 99.9 प्रतिशत सदस्य, सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों, आंसू बहाता हैं। लेकिन इन 35 वर्षों में छोड़ दो प्रोवीडेंट फंडा, छोड दो बोनस, छोड़ दो एक्सीडेंट के लिए पी०एफ, इन बड़ी बड़ी बातों को छोड़ दो, मज़दूरों को चार पैसे की इन्ट्राक्योनोल और सल्फा-गोलाइडीन टेबलट भी नहीं मिलती। सेक्यूरिटी आफ़ सर्विस, एक्सीडेंट के लिए पी० एफ़ और तरह तरह की बातों को छोड़ो। इसलिए मैं आप के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जभी जागो तभी सवेरा हैं। अब यह सिर्फ सरकार की रेस्पोंसी-विलीटी नहीं हैं, विरोधी पार्टियों की ही रेस्पोंसीबिलीटी नहीं हैं, यह हम सबों की रेस्पोंसीबिलिटी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम के मुताबिक हम आर्गेनाइज्ड सेक्टर के मज़दूरों के लिए सोचें और मिल कर कुछ करें चाहे वे मार्कसिस्ट के चेले हों और चाहे लेनिन के चेले हों। लेनिन और मार्कसिस्ट ने केवल सर्वहारा का सपना देखा था। सर्वहारा कौन हैं '? वही सर्वहारा, जिसके लिए जो गांधी जी का चेला था, उस ने गांधी जी से पूछा कि किस के लिए यह योजना हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू जी से कहो कि आप की योजना लास्ट मैन के लिए हो। इसी से हम आप की योजना को समझेंग लेकिन बोलो, 35 वर्षों में लास्ट मैन के लिए आप ने क्या किया ? अभी श्रीमती दंडवते जो बोल रही थीं आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए। जरूर, उस के लिए कुछ होना चाहिए लेकिन आर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक चपरासी भी एयरकंडीशन्ड रूम में बैठता हैं और उस को 700 रुपये मिलते हैं और डिसआर्गेनाइज्ड जो खेतिहर मज़दूर हैं, उस को साल में 150 दिन से कम काम मिलता हैं और वह भी 100 रुपये से ज्यादा का नहीं। इन के लिए पहले कुछ करना चाहिए। यहां स्टोर्मी पेट्रल से जोरजोर से बोलने वाले लोग किस के लिए बोलते हैं। अब लेबर में भी दो सेक्टर हैं। इसलिए इस के बारे में आप भी सोचिये। मैं आप को ही एक्यूज नहीं करता, ... मैं अपने को भी एक्यूज करता। मैं आप के माध्यम से भारतवर्ष की तमाम पार्टियों से भारतवर्ष के तमाम यूनियनिस्टों से और सरकार से कहना चाहता हूं कि मज़दूर आन्दोलन को दो भागों में बांटें और एक टाइमबाउंड प्रोग्राम के मुताबिक यह तय करें कि डिसआर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोगों को जब तक हम मिनीमम मज़दूरी और मानवोचित सहूलियतें नहीं दे देते, तब तक आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग कुछ ढाडस रखें, भाई भाई के लिए सोचें और जो आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लोग हैं, उन के लिए मेरी मांग हैं कि जब हम अपने को समाजवादी कहते हैं, हन में सोशलिस्ट हैं, सोशलिज्म हमारे कांस्टीट्यूशन में है तो आर्गेनाइज्ड सेक्टर के मज़दूरों की तरफ़ से यह पहल होनी चाहिए कि उद्योगों में हमारी साझीदारी एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम के मुताबिक करो और 10 वर्षों में उद्योगों में मज़दूर ही मालिक बन जाएं। यह सोशलिज्म का आइडियल है। आप 4 रुपयों के लिए मत लड़ो, 2 रुपयों के लिए मत लड़ो, बोनस के लिए मत लड़ो, आप इस बात के लिए लड़ों कि हिन्दुस्तान में जो मींस आफ़ प्रोडक्शन हैं, उन पर लेबर का स्वामित्व हो। गवर्नमेंट को यह सजेस्ट करो,

not only participation in the management

हम यह दान नहीं मांगते हैं, मज़दूर भीख नहीं मांगता है, मज़दूर अपना हक मांगता है लेकिन आप यह मांग नहीं कर सकते। लेनिन ने अपने मज़दूरों को बेल्ट टाईट करने के लिए सिखाया था, आप नहीं सिखा सकते। रूस अपने मज़दूरों को नेशनल रिकंस्ट्रक्शन

के लिए बेल्ट टाइट करने के लिए सिखा सकता था लेकिन आप यह नहीं सिखा सकते क्योंकि आप के ट्रेड यूनियन मूवमट में ओवरटोन पालीटिक्स है । . . . (व्यवधान) मेरी भी हो सकती है ।

I do not say that I am free

लेकिन आप के ट्रेड यूनियन मूवमेंट में ओवर-टोन है । इसलिए मैं यह कहूंगा कि आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर को मूव करो towards the ownership of the means of production और आर्गेनाइज्ड सेक्टर के लेबर को मूव करो t ards the humanitarian living यह दो प्वाइन्ट का प्रोग्राम होना चाहिए ।

तीसरा प्वाइन्ट जो मैं मीट करना चाहता हूं वह यह है कि आज अनएम्प्लायमेंट की बात होती है और अनएम्पलायमेंट की प्राब्लम बहुत एक्यूट हो रही है लेकिन जिस ढंग से उस प्राब्लम को हम हल करने की कोशिश करते हैं, वह सोशलिज्म की जड़ों को काट देगा । इस देश को दरिद्र बना देगा, इस देश को भिखमंगा बना देगा । आज सरकारी क्षेत्र में लोग काम खोजते हैं । क्यों ? सरकारी क्षेत्र में बिना काम किये हुए तीस तारीख को पैसा मिल जाता है । उनमें क्या भरती होती है ? चपरासी की, कोरानी की, असिस्टेंट को, आफिसर की पुलिस में और सी०आर०पी० में जो भरती होती वह आल नान-प्रोड्युसिंग भरती होती है । उत्पादन करने वालों की कोई नौकरी इनमें नहीं है । सुपरवाइजर स्टाफ, क्लेरिकल स्टाफ सोशलिस्ट सोसायटी नहीं ला सकता है । अगर एक आदमी काम करने वाला हो और सात आदमी सुपरवाइजरी करने वाले हों, एक आदमी काम करने वाला हो, पांच आदमी उसकी रिपोर्ट लिखने वाले हों तो इस से एम्पलाएमेंट की प्राब्लम जो हल करना चाहते हैं वह नहीं होगी । सुपरवाइजरी, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लेरिकल स्टाफ की भरती कर लेना एम्प्लाएमेंट नहीं है । प्रोडक्शन ओरियेन्टेड एम्प्लाएमेंट होना चाहिए । नहीं तो इस देश में कोई पार्टी सोशलिज्म नहीं ला सकती, कोई पार्टी गांधीज्म नहीं ला सकती । इस देश में पूंजीवादी तानाशाहीज्म चलेगी । जितने लोग क्लर्क, चपरासी, नान प्रोड्युसिंग वर्क पर लगे हुए हैं, इसको बदला जाए ।

आज मुझे खुशी है कि लेबर डिपार्टमेंट में जो दो-दो नये मंत्री लगे हुए हैं वे क्रान्तिकारी विचारों के हैं । वे केवल कानून में मंत्री बल्कि सिद्धांत में विश्वास करते हैं और एक नया रास्ता देने में लगे हुए हैं । जब तक इस देश को लीडरशिप श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी शक्तिशाली और प्रोग्रेसिव नेता के हाथ में है तब तक इस देश में कोई कमजोरी नहीं आयेगी । अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी का नेतृत्व सफल नहीं होगा तो आपका भी नहीं हो सकता दिस इज द टाइम जबकि हमें राइट डाय-रेक्शन में मूव करना चाहिए ।

एक बात मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मैं जिस प्रदेश, बिहार से आता हूं वह बहुत ही गरीब सूबा है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से—बिहार, उड़ीसा असम और मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों से अधिक से अधिक मजदूर गरीबी के चलते पश्चिमी भारत में काम करने के लिए जाते हैं । जैसा कि कुछ मित्रों ने भी कहा, उनकी दशा बंधुआ मजदूरों से भी बदतर है । इसलिए आपका जो 1979 का कानून है वह नाकाफी है । उसमें आप सुधार लाइये और उन राज्यों को बाध्य कीजिए कि वे बाहर से आने वाले मजदूरों का अपने यहां रजिस्ट्रेशन करें और उनकी देखभाल करने के लिए उनके

[श्री कमल नाथ झा]

राज्य के प्रतिनिधि को उस राज्य में रहने की इजाजत हो। उस प्रतिनिधि को उन मजदूरों की दशा देखने और उनकी हालत में सुधार लाने का अधिकार दिया जाए, ताकि जो उन पर जुल्म होता है वह न हो सके।

आपने चूंकि घण्टी बजा दी है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, हालांकि कहने को मुझे और भी कहना है। मैं अनुशासन में रहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं और इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : माननीय सभापति जी, मैं अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहती हूं।

दुनिया के किसी भी देश में जहां क्रांति हुई, जहां सामाजिक परिवर्तन हुआ उसमें उस देश के कामगार, मजदूरों और किसानों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। कोई भी प्रश्न हो, चाहे स्वतन्त्रता के लिए विदेशी ताकतों से लड़ने का प्रश्न हो, स्वतन्त्रता प्राप्ति का प्रश्न हो, चाहे सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का प्रश्न हो सब में मजदूरों और किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए कोई भी राष्ट्र किसानों और मजदूरों की उपेक्षा कर के अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता।

आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ऐसा मैं मानती हूं। इसीलिए इस महत्वपूर्ण विभाग के तीन हिस्से हो गए हैं। एक है एम्प्लायमेंट अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि एम्पलायमेंट एक्सचेंज का जो आज की पालिसी है, कार्यपद्धति है वह ठीक नहीं है और जो आंकड़े दिए गए हैं, उनके बारे में मैं बाद में बोलूंगी। तीन हिस्सों में पहला एंप्लायमेंट और दूसरा कामगारों की कार्यकुशलता बढ़ाने के बारे में प्लानिंग में कुछ दिया गया है और तीसरा हिस्सा कामगार कल्याण योजनाएं हैं, इसके बारे में भी प्लानिंग में विचार हुआ है।

पहला महत्वपूर्ण भाग एंप्लायमेंट है, इसके बारे में मैं कहना चाहती हूं कि जो नाम दर्ज करने वाला लाइव रजिस्टर होता है, उसके मुताबिक नाम दर्ज कराने वालों की संख्या 174.24 लाख 1 980-81 में है, इस प्रकार 9.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बात सच है लेकिन जिस देश की आबादी 680 मिलियन हो, उसमें एंप्लायमेंट एक्सचेंजों की इतनी कम सुविधा है, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें एंप्लायमेंट एक्सचेंजों की संख्या बढ़ानी होगी और इसकी कार्य प्रणाली जो सदोष है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। देहातों और आदिवासी इलाकों में इस बात का उचित प्रचार-प्रसार होना चाहिए कि कहां नाम दर्ज होते हैं, कहां काम मिलता है।

लेबर स्किल के बारे में यहां पर और भी माननीय सदस्यों ने कहा है कि खेतीहर मजदूरों का इसमें समावेश क्यों नहीं किया गया। मैं इस बात का समर्थन करती हूं और सारा सदन इस बात का समर्थन करता है कि राष्ट्रीय कानून है वह संगठित और असंगठित कामगार-मजदूरों के दोनों क्षेत्रों में लागू होना चाहिए। असंगठित क्षेत्रों में भी श्रमिकों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए।

आज हम उत्पादकता वर्ष मना रहे हैं और आंकड़े बतलाते हैं कि इस बार हमारा कृषि का उत्पादन इतना होगा। क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने समय बाद तक खेती में काम

करने वाले मजदूरों की लेबर स्किल के बारे में हम विचार नहीं करेंगे । इस बारे में भी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिएं । इस वर्ष तो नहीं, लेकिन अगले वर्ष की प्लानिंग में इनका समावेश भी करना चाहिए ।

मिनिमम वेजेज़ एक्ट 1948 में लागू किया गया था । 34 साल हो गए, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरह से नहीं हुआ है । इसके पूरे इंप्लीमेंटेशन की कोशिश करनी चाहिए ।

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि कामगारों के लिए यह-यह कार्य किया जा रहा है, इंश्यारेंस आदि कल्याण की स्कीमें हैं, लेकिन जिनके बारे में इसमें विचार नहीं किया गया है, उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । हैण्डलूम उद्योग में बहुत मजदूर काम करते हैं, इनके लिए भी कोई कानून बनाना चाहिए । इनको भी सहूलियतें देनी चाहिए । आज की स्थिति यह है कि उनको कानूनी राहत देने की बात तो अलग है, लेकिन इस उद्योग में उपयोग में आने वाला धागा भी वहां नहीं मिलता है । इस वजह से कई कोओपरेटिव सोसाइटीज़ तक काम नहीं कर रही हैं, हैंडलूम का काम करने वाले जो बुनकर हैं, वे बेकार हैं । उनके बारे में सोचा जाना चाहिये ।

बीड़ी मजदूर समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है । उनके वास्ते आपने वैलफेयर के प्रावधान भी कर रखे हैं और भी उनके बारे में आप सोच रहे हैं । कई जगहों पर उनकी हालत आज भी ठीक नहीं है । उनके वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर कोई कामगार कानून नहीं बनाया गया है । महाराष्ट्र में दूसरे प्रान्तों से बीड़ी मजदूरों के लिए थोड़े इस वास्ते महाराष्ट्र के कई कारखानेदार आंध्र में या कर्नाटक में जा कर बस गए हैं और उन्होंने वहां इन कारखानों को स्थापित कर लिया है । इस का नतीजा यह हुआ है कि महाराष्ट्र के कामगार बेकार हो गए हैं । बीड़ी मजदूरों की बेकारी कई प्रान्तों में और कई जिलों में बढ़ती चली जा रही है । हजारों की संख्या में बीड़ी मजदूर इस कारण से बेकार हो गए हैं । जिन हालात में बीड़ी कारखानों में मजदूर जा कर काम करते हैं, उनको आप देखें । वह एक छोटी सी जगह होती है जहां बैठ कर उनको काम करना पड़ता है । क्षय रोग से सब से ज्यादा ग्रस्त बीड़ी मजदूर होते हैं । शासन को इनके बारे में सोचना चाहिये, उनको राहत पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिये और कामगार उनको समझा जाना चाहिये ।

हमारी बहिन ने महिलाओं के बारे में जो बात कही है वह सच है । महिलाओं के लिए अलग से एक सैल बनना चाहिये । ऐसी मैं मांग करती हूं । आर्थिक निर्भरता जब तक महिलाओं को नहीं मिलती है, आर्थिक तौर पर जब तक वे अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती हैं तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है । कारखानों में या दूसरी जगहों पर जब के काम करने के लिए जाती हैं तब उनके चरित्र, उनके शील, उनके व्यक्तित्व की रक्षा करने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये । आधी से अधिक उनकी देश में आबादी है । आप उत्पादन वर्ष मनाने जा रहे हैं, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं । उस में आधी ताक़त को खोना ठीक नहीं होगा । महिलाओं के बारे में

आपने कुछ नहीं लिखा है । बहुत दुर्लक्षत उनको आपने किया ऐसा करके । यह बड़े खेद की बात है । सब से कनिष्ठ काम महिलाओं को करना पड़ता है फिर चाहे खेती का हो या भंगी समाज में काम करने वाली महिलाएं हों या सर्विस करने वाली हों या अस्पताल में काम करने वाली नर्सें हों । सेवा के काम में उनको लगाया जाता है । निकृष्ट काम उन से लिया जाता है । उन पर दोहरा भार होता है । घरबार को भी उनको सम्भालना पड़ता है ।

MR DEPUTY SPEAKER : 'Worker' means both man and woman.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : That is what I also wanted to say, Sir.

MR DEPUTY SPEAKER : we don't say man-worker or woman-worker. The saying is : "Workers of the World, unite !"

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी: समान वेतन उनको मिलना चाहिये । समान वेतन से आपको इस काम को शुरु करना चाहिये । खेतों में काम करती हों, कारखानों में फिर चाहे वे बड़े हों या छोटे उनको पुरुषों के बराबर वेतन मिलना चाहिये । उनको तनख्वाह कम दी जाती है और काम उन से ज्यादा लिया जाता है । जहां पर समान वेतन देने का कानून बना हुआ है, वहां पर उस पर सख्ती से अमल भी होना चाहिये ।

बाल कामगारों की समस्याओं को हल करने की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । मैं ने एक बार सवाल उठाया था कि पद्रह साल से कम जो बालकामगार काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कर रहे हैं । चाइल्ड लेबर एक्ट आपने बनाया है । वह इम्पलेमेंट होता है या या नहीं इसको भी आपको देखना चाहिये । अगर आप टोटल एबालिशन आफ चाइलड लेबर इस देश में करना चाहते हैं तो यह ना-मुम्मिकन है । ऐसा करना उनको भूखों मारना होगा । इस पर अमल भी नहीं हो सकता है । खदानों से लेकर होटल बाय तक तो लड़के काम करते हैं, कानूनी तौर पर तनख्वाहों की आपको उनके लिए व्यवस्था करनी होगी । ऐसा आपको चाइल्ड लेबर एक्ट को पावरफुल बना कर करना चाहिये। हम बोलते हैं कि बच्चों के हाथ में हमारा भविष्य है, उनकी शिक्षा और संस्कृति का विकास हम करना चाहते हैं । इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि प्लानिंग कमीशन की स्कीम के मुताबिक चाइल्ड लेबर सैल के लिये सिर्फ 4 लाख रुपये रखे हैं इतनी कम राशि है । मेरा कहना है कि रखें या न रखें, इसका कोई फायदा नहीं है । जितनी प्राबलम चाइल्ड लेबर की है, उसके अन्दर कोई व्यवस्था नहीं है । उसी प्राबलम के बारे में मैं पूछना चाहती हूं कि 1979 में बाल मजदूरों के सम्बन्ध में एक कमेटी बैठी थी, जिसने बाल श्रमिकों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी और उसमें 22 सिफारिशें शासन ने मंजूर की है, लेकिन उनका क्या हुआ ? उन पर कुछ कार्यवाही हुई या नहीं हुई, इसके बारे में हमारे मंत्री महोदय अपने जवाब में कुछ बतायेंगे, ऐसी आशा में व्यक्त करती हूं ।

प्रमिला जी ने कहा कि रिपोर्ट के पीछे जो आंकड़े दिये हैं तो जनता राज्य में ट्रेनिंग काफी अच्छे हुई थी । हम तो जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं,

इस उपेक्षित बस्ती में झांक रहे हैं सब मिलकर, कामगर वर्ग के लिए, देश के भविष्य के लिए सोचना चाहिये । किस के जमाने में क्या हुआ था, क्या राजनीति चल रही थी, इस प्राबलम को हमें राजनीतिक प्राबलम नहीं बनाना चाहते । लेकिन एक बात बड़े विश्वास से मैं बताना चाहती हूं कि एमर्जेन्सी के समय में उत्पादन भी बढ़ा था, डिसिप्लिन भी आया था, और यूनियन में राजनीति नहीं चलती थी, भ्रष्टाचार भी कम हुआ था । यह फायदे हमारी एमर्जेन्सी में रहे हैं और आज तो सिर्फ हम इन कामगारों की बात करते है कि इनको शिक्षा मिलनी चाहिये । जिस विभाग में, क्षेत्र में वह काम करते हैं, उसकी ट्रेनिंग तो उनको मिलनी ही चाहिये । उसके साथ साथ जो बेकार कामगर, युवक हैं, उनको काम दिलाने के लिए भी हमारी 20-सूत्री कार्यक्रम का सबसे बड़ा टारगेट वही है । इसी दृष्टि से हमें लेबर प्राबलम की तरफ देखना चाहिये ।

आखिर में मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करना चाहती हूं कि इंटरनेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन में भारत को परमानैन्ट रिप्रैजन्टेशन देना चाहिये क्योंकि हमारे यहां लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है। इससे हमारे देश की समस्याओं का यू० एन० ओ० में पूरी तरह से संशोधन होकर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता हमारे देश को अगली प्लानिंग के लिए यू० एन० ओ० से मिलनी चाहिये । इसके लिए हमारे कार्य-दक्ष श्रम मंत्री कुछ उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे, इतनी उमीद रखते हुए मैं इन अनुपूरक मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं ।

SHRI MAHENDRA PRASAD (Jahanabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the solution to all national problems, in one word, is production. The other cause or causes of national evils can be tackled and solved with a little effort, but the foundation of that effort will also be based on the strength that comes out of production. Thus, the keynote of solutions of all problems is production. Amidst despair and despondency, fortunately comes the ray of hope with the announcement of the current year, by the Prime Minister, as the year of productivity It is a happy note that the importance of production is recognised by the Govt. Some of the recent efforts and policy announcement by the Government of India, including the recent announcement by the Industry Minister some days back about credit liberalisation to industry with a view to pushing production, reflects the seriousness of the Government to transform the current year, as the year of productivity, into a success. But success will evade and elude the Government if some vital measures are not taken immediatey. The Government wants production, and rightly so. But what are the factors that contribute to production ? Apart from land, building, power and management etc. The two most important factors, without which production is impossible, are capital and labour.

Labour plays a very important part in production. What is going to be the role of labour towards making the current year, the year of Productivity, a success ? Labour is organised, and rightly so, through unions. Though a lineal connection has not been established, trade unions are, through the channel of different developments, like the association of journeymen, the combination of which later on become unions, with the transformation of journeymen into wage-workers direct descent of craft guilds of medieval Europe. A look of the history of medieval Europe, the history of craft-guilds and the 14th, 15th and the 16th century, when journeymen's associations flourished and later transformed into unions with the journeymen's transformation into wage-workers, shows that these associations came into being as a necessity to satifeguard the interest of the exploited against the exploiters. It was a natural development, and the leadership of these associations lay in the hands of the direct constituents of these associations with no interference through outside leadership. The trad union movement is a result of the Industrial Revolution which took place in England from 1760 to about 1830 and in other countries at varying later, dates and which, by creati ng the factory system, transformed the merchant capitalism into industrial capitalism. The factory system enormously increased production and brought tremendous

[Shri Mahendra Prasad]

prosperity and richness to industrialists thereby creating a vast disparity between the employers and the employees. It also caused suffering to men, women and children through exploitation by employyers. The unions played a very important part in mitigating the suffering of the workers through the fight against exploitation of the workers by the employers. All these years unions were unity of workers to fight against exploiters. And to remember here is the fact that the leadership always remained in the hands of the concerned workers of a unit with no import of outside leadership. The only interest in the fight by the workers against the employers was the interest of the workers. With the passing of time and with different developments taking place all over the world and social, political and idologiical changes occurring, diffrent forces started influencing unions and labour movements. At times, at different stages, persons not working in a particular unit, started influencing the decision and functioning of the unit's union : the leadership also passed on to these persons. All this time the outside persons were people who entered these unions and give leadership because of human and philanthropist considerations they saw the pitiable condition of the workers and they wanted to help the suffering workers. These people had no motive of personal gain; their intention used to be good. With the advent of conflicting political ideologies, political parties and political workers with a particular ideology entered into these unions, took leadership and started helping and organizing workers with political motive, but, however, the motive was not personal. This trend became sepcially evident with the communist movement. Later on the political motive became more predominant rather than the sense of service to the workers ; even workers and unions were exploited to serve political motive and meet the politieal ends. Union leadership by outsiders turned out to be power wielding and unions were used to influence the industrialists. Money started playing part. All this started happening with the introduction of outsiders into the workers' unions.

The recent trend, in India, in trade union sector is awfully dangerous. Most of the unions are manned, at the leadership level, either by political workers with political and personal motives or by anti-social elements wity purely personal motives. At times strikes are resorted to, and workers are used, to meet political ends and to bring discredit to the government with no good to the workers, ignoring the interest of the nation. The railway strike of 1974 and the 'Bharat Bandh' on 19th January this year are some of the countless examples where unions and workers were misused by the political parties to serve their political ends without keeping the interests of the workers and the nation in mind. It caused irreparable damage to the national economy by marring production.

More dangerous than the use of unions and workers by political parties and workers for political purposes is the use of union and workers by anti-social and even criminal elements. Such elements are friends of neither workers nor industrialists nor the nation; rather they are the enemies of the workers and the nation and they use unions and workers for their personal mean ends. Such anti-social goonda elements form unions, take leadership, terrorise workers and industrialists both and blackmail industrialists to extract money by resorting to strikes and at times even by using physical force, even murders of workers and industrialists, and the fatal attempt some years back on the life of Mr. Godrej, a Bombay industrialist, to quote one among many much examples. For such people, unionism has become a flourshing business. They enter and control unions to make money. They are also many times used by industrialist, through bribe, to break strikes of workers, strikes based on very just and reasonable demands. The only purpose of such union leaders is making money by use of physical force as a result of which workers and industrialists both suffer; production suffers and the nation suffers. Some of the union leaders have minted money and have become financial magnates. They possess money in crores. From where does this huge amount of money come ? It comes mainly from industrialists by way of bribe, and also from the workers by way of terrorisation. Such union leader put fantastic and unreasonable demands to industrialists intentionally and settle the dispute after accepting huge amount of money as bribe making workers, industrialist and finally the nation suffer. This is not unionism but goondaism and criminality. There are many cases in Bombay and in industrial belt of Bihar, as also elsewhere, where countless strikes have been resorted to for money-sake through blackmail. In all these cases, workers suffer, production suffers and pathetically suffers the nation.

Sir, I am giving an example of exploitation of workers by union leaders. One day I was waiting at the Patna airport for a flight to Delhi. That flight came from Calcutta via Ranchi. On this flight came a union leader from Ranchi. Some of the people at Patna airport enquired from that union leader about his source

of travel by air from Ranchi to Patna. Immediately came the reply,

मुझे तो हमेशा गरीब मजदूर हवाई जहाज से यात्रा कराते हैं ।

(poor workers always arrange for my travel by air). Everybody was shocked; nobody said anything than and there. The Union leader proudly left the airport in a taxi. People who heard him, started abusing him, calling him blood-sucker of poor workers. That leader could have conveniently travelled by train; it is a night journey from Ranchi to Patna. There is another example of a union leader who used to purchase agricultural land every year in his village. After some years, he stopped purchasing land. People asked his family members the reasons for stoppage of purchase of land. His family members replied that he had been dethroned from the leadership of the union. Such examples are many. The stories of union leaders spending lavishly on wine and other luxuries, including the one, which, as a matter of decency, should not be mentioned here, are not unknown. The money to maintain them richly comes from industrialists and poor workers, and if the money does not come, there are unjust strikes causing loss to production and the nation.

MR. DEPUTY SPEAKER : Please come to the last point. There are many other Members to speak from your party.

SHRI MAHENDRA PRASAD : Sir, if the Government is really serious to translate this year into action as the year of productivity, they will have to go all out to stop strikes, which mar production, by elements, as mentioned above whose motive of strike is either political or personal gain in terms of money making. Those who are not workers themselves should not be allowed by law, to participate in union activities and leadership. Gone are the days when workers were unconscious of their rights and needed protection, guidance and leadership of outside elements.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have to call the next Member. Please conclude.

SHRI MAHENDRA PRASAD : The workers of today are conscious and know their rights and needs, and they, and only they, can do justice to themselves. Left to themselves, they will do their duty towards themselves and the nation, and exercise their rights judiciously, in the best interest of themselves and the nation. The founder of organised labour movement in India, Shri N.M. Lakhande, was a factory worker himself as early as in the year 1880. The Government must come out with a legislation, debarring the people other than workers, from participating union activity and taking leadership of the unions with ulterior motives. This will reduce the number of countless unjust strikes and help the production improve tremendously. The parasites and blood-suckers, the outsider union leaders, must go. Sir, have you not heard of some of the industrialists, newspaper owners, Ministers and ex-Ministers and Members of Parliament controlling unions by assuming leadership ? I am myself the President of a Confederation of over 12,000 officers, though I am not an officer myself. Is it not funny?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I suppose you are not exploiting the workers.

SHRI MAHENDRA PRASAD : Sir, I know my suggestion will hurt some of my friends on both sides of the House. But my suggestion is in the national interest ; my intention is not to hurt anybody.

Sir, I want to draw the attention of the House and, through you, the attention of the Government towards another prevalent aspect of trade unionism and labour situation. What has happened in Poland in recent times is a great eye-opener. Poland is a Communist country, with a Government of the dictatorship of the proletariat. The labour class belongs to the proletariat category, and the Government of Communist countries, as is inherent in their ideology, are pro-labour. However, the Government of Poland had to take cudgels against labour, and the labour unions in Poland were banned and dealt with a heavy hand. For such a thing to happen in a Communist country is a surprise. Why has it happened in Poland ? Of course, Poland is a friendly nation, and we have got sympathy for them. The national interest is above all interests, including the interest of labour and trade unions. This was, and is, the feeling in Poland, where the Government probably felt that the trade unions and labour were behaving in a way which adversely affected the national interest and, therefore, they came out with a heavy hand and suppressed the unions and the labour forcibly. Personally, I appreciate such an attitude. The interest of the nation should be above the interest of all and everybody.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am calling the next speaker, Shri Chitta Basu. Because, he has taken more time and he is not stopping. He is not seeing my face also.

SHRI MAHENDRA PRASAD: I am concluding.

The same thing should apply to India also. If the country has to progress, production is a must. Production without hard work is an impossibility. Labour plays a very important role in production. The labour force must work, hard in the national interest. But what is happening on the labour front in India?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Come to the last point.

SHRI MAHENDRA PRASAD: The labour force is not working hard and most of the trade unions that control the labour force are instruments of blackmail, rather than an agency which works for the mitigation of suffering of the labour. Many times strikes are resorted to because the managements, want hard work.

Sir, I am giving one local example, which speaks volumes about the behaviour, attitude and indifference of the labour force towards their work. All of us, Members of Parliament, have to deal with the CPWD and horticulture workers. Every bungalow and flat under the occupation of the MPs needs the services of the workers of the CPWD. It is common knowledge what amount of labour the CPWD workers put in for which they are paid. I have got such sad experience in recent-times. The CPWD workers, with a few exceptions come to work at 11 O'Clock in the morning and leave at 3 O'Clock in the afternoon, with a midway recess of at least one hour and, in many cases, two hours, when their official duty is probably from 9 a.m. to 5 p.m. And how many hours do our malis work ? Have the authorities, including the Ministers, got the gut to rectify it ? If they attempt it, there will be strikes and abuses will be hurled upon them. They may even lose their positions. If such things can happen in MP's bungalows and flats, God knows what would be the fate elsewhere. And what is happening in the Government offices? How much time do the Government servants put in their work ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He should conclude now. I am calling the next speaker .

SHRI MAHENDRA PRASAD: There are innumerable cases where one has to pay the Government servants to make them sit in their seats in order to get a thing done; they do not sit in their seats on Government account.

The attitude of labour force is unfortunately indifferent to the national interest. The Government should come out heavily and control and discipline the labour force. Hard work is a binding necessity to production and prosperity. No country can progress without the cooperation of labour force. In this year of productivity, I appeal to the Government, in order to increase production, to manage to take measures to ensure hard work by the labour force. I also appeal to take measures, through legislation, to ban the entry of of all outside forces into the labour unions to guard against exploitation of workers by Union leaders. The country needs it; the Motherland cries for it.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sir, I am quite aware of the limitation imposed by the short duration.

The very Report which we have to consider today admits that there has been increase in the mandays lost compared to the earlier period, and the Report also mentions about the major causes which have contributed to the loss of mandays. It identifies, and I quote :

> "The major causes for strikes and lockouts were 'Wages and Allowances', 'Personnel and Retrenchment' and 'Indiscipline and Violence'.

Naturally, Sir, the question of wage has assumed importance in the matter of formulation of any policy which the Government proposes for the improvement of indiustrial relations in our country.

Before the industrial relations policies are formulated, it is necessary for the hon. Labour Minister to bear in mind certain basic issues concerning the labour or the working class of our country today.

The first point is that there has been a constant and continuous erosion of real wages. Natually as I have not got much time to dilate upon the subject, I would only quote a particular paragraph from *The Indian Labour Year Book*, 1978, which is the latest one as available with me. It says :

> "The real wages of factory workers earning less than Rs. 400 per month fell by 34·95 per cent between 1962 and 1975. Money wages during the period, however, increased by 95 per cent.'
>
> It is, of course, clear that increases in the money wage rate have not kept up with the increase in prices over the years."

That is the crucial point. The crucial point is that the real wages have constantly been eroded and therefore, the major policy should be formulated on the basis of this understanding that appropriate measures should be taken for the protection of the real wages of the working class of our country.

Sir, you also know that a new slogan has been raised today, that is, the wages are to be connected or linked with productivity. Sir, as a matter of fact, this is the question which is not to be disputed. But the question I would put before the hon. Minister is whether he is aware of the fact that there has been a disparity in the indices of productivity and wages. And in this connection I would only like to mention certain observations made by the *Financial Express* of March 15 this year. And they have quoted certain figures to show the comparative study between the index of wages and the index of productivity. If we compare it, the index of wage is always lower than the index in the productivity. And if you analyse this figure, you will come to the conclusion that a look at the figures relating to the productivity or wages reveals that index of the real productivity·

18.00 hrs.

Mr. DEPUTY SPEAKER : As a matter of fact I had announced in the morning that the Minister would reply at about 16·30 P.M. or about 17·00 P.M. But since many speakers from both the sides have expressed their desire to participate in this important Demand, now I leave it to the sense of the House for how long more we should sit.

There are five more speakers—three from this side and two from that side. We will complete the discussion today and the Minister will reply to-morrow. How long should we sit? We must fix some time.

SOME HON. MEMBERS : Half-an-hour.

MR. DEPUTY SPEAKER : We extend the House upto 18·30 P.M.

SHRI CHITTA BASU : As I was marking the point that there has been disparity between the productivity index and the wage index.....

SHRI A.K. ROY (Dhanbad) : If the Minister is to reply to-morrow, then the debate should also be carried over to to-morrow. If all the Members are to speak to-day then the Minister should also speak to-day.

MR. DEPUTY SPEAKER : You leave it to me. The sense of the House has been taken.

SHRI A.K. ROY : Since you announced that the Minister will speak to-morrow, the Members will leave the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : I request you to go as per consensus.

SHRI A.K. ROY : We will press for quorum then. We are ready to sit upto 9 O'Clock. Minister should also speak to-day.

Mr. DEPUTY SPEAKER : I have already announced that discussion will be complete to-day. Actually the time of the debate is already over. We have taken the sense of the House, Mr. Roy. I think you were not in your seat.

SHRI A.K. ROY : I was here. I am apprising you of the consequences of this sense of the House.

MR. DEPUTY SPEAKER : To give opportunty to speak to all the Members, in the larger interest of all of you we have done this. As a matter of fact your name is now third and I am shortly going to call you.

SHRI CHITTA BASU : I was making a point that there has been disparity between the index of productivity and the index of wage. Unless this is equated, unless this is brought at per, the question of linking wage with productivity is a measure which is anti-working class. The first and primary consideration should be that there should be parity between the index of productivity and the index of wage. As I have said earlier that all along these years the index of productivity has been higher than the index of wage. That means the workers have not been paid according to the productivity and according to producton. Therefore, they should be compensated, if I am allowed to use the proper language. The National Labour Commission went into this subject the subject of parity between the index of wage and the index of productivity The National Labour Commission clearly showed that the wages have always lagged behind the productiion and the productivity. Therefore, my point is that Government should have the policy to see that this disparity between the index of productivity and the index of wage is compensated for. Once it is compensated for, then the question of further linking of productivity with wage can be taken into account and that may not be against the interest of the working class.

I would simply give one example to show how the workers have been denied of their legitimate share of wage. According to one estimate while the per capita value of productivity during the period 1960-78 has increased by 50·3 %the annual wages have shown an increase of

[Shri Chitta Basu]

2·3% only. Sir, any one can understand. There has been an increase in the value of product in the order up to the extent of 50·3%. The only average increase of wages has been only in the order of 2·3%. Is it justice? Is it legitimate? This is how the working classes have been exploited.

Again, the question of price and wages. To be very brief, I think the hon. Minister understand all these things. I would like just to mention the reality of the situation today regarding wage and price. The wage chases the price and not the price chases the wage. In this situation, the protection of wage becomes a crucial question and the Government has not taken any effective measure to protect the the wages of the working classes. Therefore, Sir, the working class today is engaged in a grim battle—not to win fresh wage increase, but in the battle of preserving the present wage.

Now the question of inflation comes in. I would like to be very brief. A wrong impression is sought to be created that wage increase will lead to further inflation. Therefore, the only panacea, the only talisman is wage restraint and wage freeze. Let me draw the attention of the House to the economic factors. Let me submit that in the Indian Context today, inflation is cost-push and not wage-push. I think you understand this. In todays context, inflation is cost-push and not wage- push. (*Interruptions*). I think, he has understood.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD : I hope, you understand what you mean.

SHRI CHITTA BASU : I understand what I mean. I do not say it without any sense. (*Interruptions*) As he was interrupting me, I was just saying, you understand it. Inflation, today, is not wage push. It is cost push. This is substantiated by the fact that the Reserve Bank of India's Bulletin of November, 1981 states :

> "In the total manufacturing cost, the share of raw material components accounted for 51·5%, while that of remuneration accounted for only 40·2% in the earlier. year and a few years ago, and very recently, it has declined only to 40%.

Therefore, the cost of manufacturing is more due to the other factors than the factor relating to wage. Therefore, wage freeze or the wage restrain is not the way out. It is the measure which the Government has taken resort to only to punish the workers and that, I think, would not help the year of Productivity to become a successful one. Because of this continuous exploitation, the workers have always been on the losing side. This exploitation by the capital has not only continued unabated but it is further intensified and the result of the further intensification of exploitation by ac capital has become a further fattening of the capital. I will give you only one example to show.

According to the Reserve Bank study

> "The financial performance of 1720 selected medium and large non-financial and non-Government public limited companies with a laid-up capital of Rs. 5 lakhs or above, during 1978-79 was charaterised by an uptrend in the sense, value of production profit, assets formation, inventory accumulation and capital formation."

Therefore, while the worker became poor the capitalist became rich. And that has led to concentration of wealth.

In this context, the Government knows that there will be grim battles on the part of the working class of our country to preserve the present rate of wage. and to preserve the democratic reghts of the worker. In order to annihilate or crush the democratic rights of the worker and the legitimate trade union movement of our country, the Government has unleeashed weapons in the shape of the Essential Services Maintenance Act and the National Security Act. The The recent notification under the National Security Act in respect of 16 industries has really become the greatest and the gravest threat to the working class struggle in our country.

MR. DEPUTY SPEAKER : I think, it is under the directive of the Supreme Court.

SHRI CHITTA BASU : This is what it means. Since the time at my disposal is very limited, I would only like to read a particular pargraph from the comment of a political and economic weekly. It says :

> "....a more apprehension of which now enables the Government to detain without trial those taking part in strikes or those inciting others to take part in strikes, in other words, the working class and its leadership. In fact the last point of the notification issued on Monday makes it possible for the Centre to detain virutally any person connected with any activity related to organising the working class and

with the assistance of other provisions of the NSA and the necessary paper work, possibly indefinitely.",

A situation has been created that with the ESMA and with the notification under NSA, the entire working class can be prevented from going in for a legitimate trade union struggle. This is nothing but a negation of the basic right which the working class has earned after many struggles.

Lastly, there has been a suggestion that there should be compulsory arbitration. I oppose it. In a state of compulsory arbitration, the principle of collective bargaining has to be recognised. Some hon. Members in this House have posed that the demand of the unorganised labour is antagonistic to the demand of the 9 organised labour. I want to make this point clear. There is no antagonism between the demand of the unorganised labour and the demand of the organised labour in our country. As a matter of fact, the organised working class movement today has taken the lead of organising the unorganised labour. The 19th November struggle did prove that the entire working class is united today, both the organised sector and the unorganised sector also. Therefore, the Government should take note of it and formulate their policies in such a way that industrial relations can be improved and improved with the willing cooperation and consent of the working class and that it should not be pushed to a position where the working class will have no alternative but to fight back. If you want that the working class should take the position of fighting back, we are prepared to fight back and we will fight back all the oppressive and offensive policies of the Government.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY (Nizamabad) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, my hon. friend, Shri Chitta Basu, who is a senior member of this House has thrown a challenge. Already, in West Bengal the figure of the man-days lost is the highest in the whole country. That is his partriotism; that is his democracy. Next comes Tamil Nadu. It is unfortunate that in an enlightened State like Tamil Nadu it should happen.

Every year, we are importing oil worth thousands of crores of rupees from Gulf countries. Here, the hon. Minister of Labour has got the best chance, Already, he is doing it. We should at least get Rs. 5000 crores by sending our labour force to Gulf countries.

We are getting about Rs. 2,500 crores. What I suggest to the Hon. Minister is that the Government should send a Team of Officers to Gulf countries to find the avenues of employment and the Ministry of Labour is taking all precautions, very good agreement, very good countracts' very good living conditons.....

(Interruptions)

The Ministry of Labour is doing a very good job.

I would request the Hon. Minister to send a Team of Officers there.

The Ministry of Finance or this Ministry or that Ministry should not come in the way.

The Ministry of Labour should send a few officers. After all, it is not going to cost much.

The Hon. Minister has mentioned a very good point.

"Cases handled under Screening Procedure. In order to check prolonged litigation and expenses by the concerned parties a screening procedure was evolved by the Government of India."

The labour and the employers are an unequal point. That is why, if any cases are being taken to higher court, They must consult the concerned Minist ries in public sector. I would like to ask the Hon. Minister why the same rule should not be applied to private sector also so that the poor people should not be dragged to higher courts and in the process put to lot of inconveniences and made to suffer losses.

The productivity of our Indian labour when compared to other countries is less. The simple reason is that the living conditions of labour are not good in India.

I do not support the view that more money should be given to the labour in India.

But I support the view that more facilities should be provided to labour in India to live in comfort. That is very important.

I would request the Hon. Minister kindly to concentrate his full attention to provide accommodation to labourers in our country.

For the prupose of increasing productivity, workers' participation in industry should be promoted. Labour must be treated well by the employers.

[Shri Ram Gopal Reddy]

I am sure that our labour will produce lot of wealth in our country if these two aspects are taken good care of.

As a matter of fact, labour on farm, the farm workers are the wealth of this country but not gold.

SHRI N. E. HORO (Khunti) : The Labour Ministry seems to be not very much concerned with the people who are not in the organised sector.

The Labour Ministry in the Governmen has a responsibility under the Constitution to bring about economic and social justice to the prople.

Much time and energy is being wasted now about discussing the affairs of labour unions. Government has a special responsibility for the promotion of labour welfare to millions of unorganised people in the rural areas.

The figure of unemployment is going higher and higher day by day, and in order to solve he problem of unemployment, the Government should strike at the very root of the problem. They have to go to the rural areas.

I suggest that the Ministry of Labour should find a mechanism through which they could take care of these people by giving them Training in different trades and skills.

I learn that the Ministry of Labour are imparting vocational Guidance courses. But they are able to give this Vocational Guidance courses only where Employment Exchanges are situated. The number of such Vocational Guidance Centres comes to only 263 in the entire country. That means, the Government is giving Vocational Guidance to the people at only 263 places or centres located at Employment Exchange Offices.

I suggest that the Vocational Guidance Centres should be established at the block-level, so that the poor people can get vocational guidance.

Further Government should start a Vocational Training in middle schools and in High Schools in order to involve young men right there. The Government should provide money for trained Career masters to enable them to get employment. The trained who could be sent to middle schools where they can impart vocational training to young men in schools.

Similarly, vocational training centres should be spread over all the areas and I would suggest that such training should be given at the panchayat level. Then only we can help these people get self employment since unemployment is growing.

There are problems of migrant labour and bonded labour. Government has not taken concrete steps in this area. If you go through the performance budget, reports you will find that they have provided some money here and there, for their welfare, but it is just a cosmetic treatment; they have not, it seems to me, understood the dimension of the problem and the dimension of the responsibility that they have towards these people. This is a very serious matter. During the Janata regime, they enacted a law to tackle the problems of the migrant labour. But if you go to the rural areas, you will not find anything happening ; at least I have not seen Government doing anything anywhere. Under that law, the Deputy Commissioners or the authorities concerned have to implement those programmes, but nothing is being done. In my district I find that thousands of people are going out every day to other areas, towards Haryana, Punjab, etc., and they are becoming bonded labour there. We only hear assurances from important persons; we read them in the newspapers; some of us make speeches here. That is all. Government has not really tackled the problem at the root. I woud draw the attention of the hon. Minister to this fact because the Minister comes from Bihar and he knows the problem.

I was looking through the figures they have given in their report. The number of Scheduled Caste and Scheduled-Tribe people employed in the Ministry and its attached and subordinate offices is very low. How is it that in your own Ministry you are not able to give employment to thes people? This is a serious matter. Wherever the vacancies are reserved and which should be available to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe

candidates, they have just not gone to those people.

There are some coaching centres for Scheduled Caste and Scheduled Tribe young boys and girls. But where have they started these centres? Only in big cities; except in Ranchi, they have not opened such centres in tribal areas. If they are really sincere, and if they want to help the weaker sections of the society like Scheduled Castes and Scheduled Tribes, they should open more coaching centres in the heart of the tribal areas. But they have not done that.

Similarly for training of personnel, all such institutes are located in places like Delhi Kanpur, Madras, Bangalore and Calcutta. Why do you not take these institutes to places where they could do more service to the people there in areas largely inhabited by such Communities ?

I would say that the entire administration under the Labour Ministry should re-orient itself to the present situation. The economic situation and the social problems are becoming more and more complex, and the old, traditional, hackneyed methods cannot deliver the goods. My suggestion would be that the Labour Ministry should re-orient itself and should have a new outlook; they should take a second look at their policies and re-organize their administration.

My last point is this. The Labour Ministry is now put under the charge of a person whose status is very low. This is what I feel and so many others also feel. The Labour Ministry has been put under the charge of a Minister of State, although it is an independent charge. This is the way Government has been treating this important Ministry. I would really want that the Labour Minister should be given a lift; his status should be that of a Cabinte Minister. My suggestion would be that, if possible the Labour Ministry and the Industries Ministry should be linked together and put under one Minister, the Labour Minister, so that there could be more coordination.

What I want to say is that that way the Labour Minister should be given a status so that people could understand and let the people who ate running this affair feel that they have a status, a prestige and they have a big responsibility.....

MR. DEPUTY SPEAKER: What you mean is that because the Industry Minister is a Cabinet Minister, Labour Minister also should be a Cabinet Minister.

PROF. N. G. RANGA (Guntur): My hon. friend is very high in the Congress organisational set up. There is no question of State Minister or Cabinet Minister.

SHRI N. E. HORO: Sir, I stick to my point and I request the hon. Prime Minister through you to take into consideration the point I have made.

SHRI A. K. ROY (Dhanbad): Unlike Labour, the Laour Ministry does not produce any goods. It produces files. Now that also it has stopped producing in a correct way. One thing also I find and that is that the biggest offenders of the Industrial Disputes Act and all the laws of the Labour Ministry are the Energy and Coal Ministries. I am findding other Ministers but persons from that Ministry should be present here.

In the present system of a capitalist government and an exploitative set up the role of the Labour Ministry is just like a shock absorber and to absorb the shocks created out of the inherent disharmony in the society it requires some weight. That is why many members have suggested that the Labour Mnistry must be led by some Cabinet Minister. One of our veterans and respected members has his own observations to make. But I would like to remind him that the Labour Ministry used to be led by very senior men like Jagjivan Ram, V. V. Giri, Khandubhai Desai, G. L. Nanda, Jaisukhlal Hathi and ultimately D. Sanjivayya. Only in the last ten years we are having State Ministers and Deputy Ministers in this Ministry. I also agree with my colleagues that the present State Minister should be upgraded as a Cabinet Minister. I also want to add that the Deputy Minister also should be promoted as a State Minister.

We are not in a good situation—I should say. If we look at the figures, this government is equipped and armed with all sorts of preventive Acts like the ESMA and NASA and still you find the number of mandays lost in 1980 was less than the mandays lost in 1981 and in 1982 nobody knows what will hapen. I do not want to give some very fundamental and other types of suggestions. I know they will not be able to do it. But certain very practical things I would like to say which we, working in the labour field, experience.

First let us take the Screening Committee. One of our esteemed colleagues said that they have made a Screening Committee and that Screening Committee should be extended to the private enterprise. Sir, we raise disputes and those disputes come to the Labour Ministry. The Labour Mi-

nistry has 1700 disputes and they reject 1200 and send the balance 500 disputes to the Tribunal. On these disputes which they reject there is no way of going to the court because it is at the discretion of the Ministry. The Ministry executive sitting in a judicial capacity decide the matter and reject the dispute against which you do not have a right of appeal. So I say you should never be so strict. You should be liberal except *prima facie* on account of some flimsy grounds you should not reject the case. Let it go to the Tribunal; let the workers fight out their case there. Why do you sit in between ? That is my first point. Let at least 75 per cent of the cases go to the Tribunal and they can reject 25% of them. Instead, what they are doing is that they send only 25% of the cases as against 75% of them as they used to send. I would like to impress on you that after all, after following all the procedures only, the labour gets an award from the Central Labour Tribunal which is presided over by the High Court Judge. When they get that award, then, the Labour Department should see that the award is implemented. That is not taking place now. They are not only going to the high courts and the Sureme Court but they are also prolonging the litigation which the labour cannot endure beyond a limit. Even when their writs are rejected by the High Courts or the Supreme Court, these are not implemented by the Labour Department.

PROF. N. G. RANGA: Why ?

SHRI A. K. ROY : I am telling you that. In reply to my unstarred question No. 677 dated 24-2-82, in this session —the Minister may see that—the Labour Minister informed me that till 31-12-82, 23 awards of the Central Labour Tribunal have not been implemented by the Bharat Coking Coal Limited. This is their sister ministry. In four cases they went it in appeal; in 19 cases, the Ministry has started the prosecution in the criminal court. There is prosecution against the ministry itself as if they are a criminal. You can of course send the Managing Director to jail for three months. I know that. You must also catch hold of the Central Minister. After all the labourers have followed all the laws or rules before going to the court. When they get the awards and when your writs are rejected by the courts, why should one ministry prosecute another like a criminal ? I would like the Minister, when he is going to reply to this debate, to tell about these things. I would now like to make a practical suggesgion. Last time while replying to a debate, he said that for the agricultural workers' wages, he had to depend on the State Governments. He was calling a conference of the States' Labour Ministers. While some of them were implementing that, the others are not implementing that. They are only a supervisory authority. We cannot do much on that. So, I want to know whether it is possible for the Central Labour Ministry to bring in the agricultural labourers, the construction workers, who generally come from the harijans and adivasis, under the purview of the Labour Ministry. They used to keep the miners in the earlier days under their control when thr Collieries were in the hands of the State Governments or in the hands of the private mine owners. They all come from a very poorer section of the society and they do not know any thing. That was the reason why, for all time the Central Government used to keep the miners within their control so that they can enforce the rules and even launch prosecution as and when a need arose. My proposal is that the agricultural labourers and the contractual workers too should be brought directly under the control ofthe Central Labour Department. My last point is this, Sec. 10 of the Contract Labour Abolition and Regulation Act prohibits the employment of contractual labourers. I could understand that, what is happening to them is this. In the name of abolition of contract labour system, they are retrenching the workers and replacing them by importing sophisticated machines like the dumpers and so on from outside. If this thing takes place, as happened in the 18th Century in England where the people started the hat, machines movement, in India too, that movement will start. They will feel that the machines are coming to snatch away their wages. Machines are coming to make unemployment and in the name of that gap in the law they are taking shelter. I would like to say that the Labour Ministry should send circulars that the spirit of the Contract Labour Abolition and Regulation Act is not to create fresh unemployment but to create proper employment and, as such no person who is in work in a perennial type of job should be thrown out of the job.

Sir, I want to end my speech by making an appeal that all these snags and gaps must be meticulously studied and rectified and a comprehensive Bill brought before the House and in any future legislation the words of justice Krishna Aiyar who gave the judgement on the contract labour in Hossanbai's case be kept in mind. I quote :

"The source of strength of industrial branch of third world jurisprudence

is social justice proclaimed in the Preamble to the Constitution. Indian justice beyond Atlantic liberalism is a rule of law which runs to the aid of the rule of life. And life in conditions of poverty and plenty is livelihood, and livelihood is work with wages. Raw special realities, not fine spun legal niceties not competitive market economy, but complex protective principles, shape the law when the weaker working class sector needs succour for livelihood through labour."

श्री पीयूलोष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि होरो, सिंहभूमि जिला, बिहार में मजदूर पशु सरीखा जीवन बिता रहे हैं। वहां पर एस्बेस्टस बनाने के कारखाने हैं। उन कारखानों के जो मालिक हैं वे मजदूरों के स्वास्थ्य की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिणामस्वरूप मजदूरों को भयानक रोग होते जा रहे हैं। न तो उनके काम करने के समय की कोई पाबन्दी है और न ही उनके ठीक रहन-सहन की कोई उचित व्यवस्था की गई है। यह सब कुछ इस लिए हो रहा है कि अधिकतर मजदूर ट्राइबल्स हैं। शायद इसीलिए सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं गया है। वे विशेष रूप से मंत्री जी का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं।

ईस्टर्न इंडिया में चाय-बागानों की बहुतायत है। सरकार को तमाम किस्म के टैक्सों के द्वारा 80 करोड़ की धन-राशि प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ 600 करोड़ का फारेन एक्सचेंज प्राप्त हो रहा है। इसके बावजूद, हालांकि एक सेन्चूरी बीत गई है, अभी तक भी लेबर मिनिस्ट्री का ध्यान वहां पर काम करने वाले मजदूरों की ओर नहीं गया है। वहां पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सुझाव है कि जहां जहां भी यह इण्डस्ट्रीज हैं (वहां पर सभी प्रान्तों के विभिन्न भाषा-भाषी रहते हैं,) ऐसे हर इण्डस्ट्रीयल एरिया में, जहां पर 5–7 लाख मजदूर हों, वहां पर सेन्ट्रल स्कूल टाइप के स्कूल स्थापित किये जायें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यह अच्छा नहीं होगा। मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही बेकारी की समस्या भी बढ़ रही है। मेरा यह भी सुझाव है कि चाय-बागानों के आस पास दूसरी इण्डस्ट्रीज खोलकर अतिरिक्त एम्पलायमेन्ट देने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मंदसौर, मध्य प्रदेश में पेंसिल बनाने के कारखाने हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों को एम्पलाय किया गया है। इस सम्बन्ध में मैंने एक बार क्वैश्चन भी किया था लेकिन आज तक भी वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। वहां पर एक बच्चे को 12 घंटे काम करने के बाद केवल दो रुपए दिए जाते हैं। ऐसी बुरी दशा में बच्चे पेंसिल के टुकड़े खाकर अपनी भूख का निवारण करते हैं। ऐसा करने से उनकी आयु बहुत कम हो जाती है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि 40 वर्ष से अधिक की आयु में कोई भी नहीं पहुंच पाता है। ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष की उम्र रह गई है। यह बात मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में मने बताई है। मंत्री जी को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

आज जितने लेबर लाज हैं उन को जो चलाने वाले हैं वही सब से ज्यादा उन को तोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर बिहार के चीफ मिनिस्टर का जो फार्म है वहां लेबर से 14 घन्टे काम लेने के बाद 2 रुपये दिये जाते हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस ओर ध्यान दें और जहां इस तरह से नियम को तोड़ा जाय वहां उस लैंड को सरकार अपने

[श्री पीयूष तिरकी]

कब्जे में ले कर लैण्ड-लेस लेबरर्स में वितरित कर दे ।

एफ० आइ० सी० सी० आई० का सुझाव है कि ट्रेड यूनियनिज्म पर पाबन्दी लगाई जाय । उन्होंने यह मांग सरकार के पास भेजी है । सरकार को चाहिये कि वह इस मांग को बिलकुल रद्द कर दे ।

"एसमा" इसलिये बनाया गया है कि मजदूरों पर ज्यादा से ज्यादा सख्ती की जाय । लेकिन मंत्री जी जानते हैं कि जब घर में बहुत ज्यादा सख्ती होती है, तब कोई भी काम नहीं होता है । केवल प्रेम और सौहार्द से ही काम लिया जा सकता है । यदि आप डण्डे और बन्दूक से काम लेना चाहेंगे तो विद्रोह होगा । इस लिये मेरा सुझाव है कि "एसमा" जो कि आज के समय में बिलकुल बेकार है, उस को हटा देना चाहिये ।

आज जितने कल-कारखाने या खानें बन्द पड़ी हैं उन के लिये उन के मालिक ही दोषी हैं । मालिक सोचते हैं कि मजदूर मजबूर हो कर यहीं आयेंगे । मालिक देश के किसी भी कानून को नहीं मानते हैं । इस लिये जो दोषी मालिक हों उन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय । अगर वे लाक-आउट या क्लोजर करते हैं तो उस को रोकने के लिये कोई ऐसा कानून बनायें जिस के अन्तर्गत उन को सख्त से सख्त सजा दी जा सके और वे मजदूरों की रोजी-रोटी के साथ खिलवाड़ न कर सकें .....

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : उपाध्यक्ष जी, अभी उन्होंने बिहार के चीफ मिनिस्टर के फार्म का उल्लेख करते हुए कहा है कि वहां 2 रुपया मजदूरी दी जाती है । मैं इन को चेलेन्ज करता हूं—सरासर गलत बात है, बेसलेस बात करते हैं । हम इन को चेलेन्ज करते हैं । वे हमारे साथ वहां चलें । वह मेरी कांस्टीचूएन्सी में है । मैं उस कांस्टीचूएंसी को रिप्रेजेन्ट करता हूं । इन को मेरा चेलेन्ज स्वीकार करना चाहिये । अगर गलत हो तो हम रिजाइन करेंगे, अन्यथा ये रिजाइन कर दें ।

SHRI CHITTA BASU : I was listening to him. The Sunday Weekly published a news item alleging non-payment of minimum wages for the agricultural workers engaged in Bihar Chief Minister's farm.

MR. DEPUTY SPEAKER : He is coming from that constituency.

SHRI CHITTA BASU : Let him go to the Court.

MR. DEPUTY SPEAKER : The Hon. Member may please conclude now. His time is over.

श्री पीयूष तिरकी : उपाध्यक्ष महोदय, मजदूरों को हर कल-कारखाने में मुनाफे का हकदार बनाना चाहिये ।

विभिन्न उन्नतिशील कारखानों में लगे मजदूरों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिये । ऐसा देखने में आता है कि कारखाने शुरू कर दिये जाते हैं परन्तु मजदूरों के रहने, पीने के पानी, बच्चों की शिक्षा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था नहीं होती है । मेरा सुझाव है कि जब तक ऐसी व्यवस्था न हो, काम को शुरू नहीं करना चाहिये । मजदूरों का भी दूसरों के मुकाबले समान अधिकार होता है । हम इसलिये उन के रहने की व्यवस्था होने के बाद उन से काम लेना चाहिये ।

प्रत्येक कल-कारखाने तथा खानों के मालिकों के ऊपर मजदूरों के बच्चों की शिक्षा-दीक्षा, स्वास्थ्य तथा घर की

जिम्मेदारी डाली जाय । उन को इस जिम्मेदारी को उठाने के लिये बाध्य किया जाय ।

प्रशासन मजदूरों का विरोध न कर के उन की रक्षा करे । अभी ऐसा हो रहा है---हम अपने देश में उत्पादन-वर्ष मना रहे हैं और कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाय । लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि जितनी सम्पत्ति इन मजदूरों के हाथों से पैदा होती है वह तभी बढ़ेगी जब वे मन से काम करेंगे । इस लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि पुलिस का डर दिखा कर या पुलिस द्वारा डरा, धमका कर काम न लिया जाय । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । देहात में जो मजदूर काम कर रहे थे उन के पास खाने के लिये नहीं था । पास में एफ०सी०आई० का गोदाम था जिस में चावल का भण्डार था। वे लोग वहां गये और कहा कि हम लोग भूखे हैं । पुलिस ने उन से कहा कि हम ड्यूटी पर हैं, हम सब लोग भी मजदूर हैं और आप की कठिनाई को समझते हैं लेकिन यह बन्दूक सरकार की है और ये गोलियां तुम्हारे लिये हैं । इस लिये हम आप की मदद नहीं कर सकते हैं । ऐसी हालत चल रही है । लेबर मिनिस्टर अगर पुलिस या सी०आर०पी० लगा कर, गोलियां चला कर या अरेस्ट कर के उन को दबाना चाहेंगे तो यह नहीं चलेगा । लेकिन उन की कठिनाई को समझ कर उन की दिक्कतों को दूर करेंगे तो हम भी आप के साथ हैं, आप की सहायता करेंगे । इस में आर्गेनाइज्ड या डिस-आर्गेनाइज्ड सभी मजदूर आप की मदद करेंगे तथा इसी में देश का कल्याण होगा, आप का कल्याण होगा, आप का राज्य चलेगा, अन्यथा राज्य नहीं चल सकेगा ।

MR. DEPUTY SPEAKER : The Minister will reply to the debate tomorrow.

18.47 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 8, 1982 Chaitra 18, 1904 (Saka)

GMGIPND—M-353 LS—11-7-82—890